सर्व शिक्षा अभियान

वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट

वर्ष **2002–2003**

NIEPA DC
D11905

जनपद – देहरादून

(उत्तरांचल)

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D - 11905
DOC, No.....
Date 27-06-2003

सर्व शिक्षा अभियान – जनपद देहरादून

वार्षिक योजना – वर्ष 2002–2003

अनुक्रमणिका

क0स0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद देहरादून – एक परिचय	1–11
2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	12–33
3	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य	34–35
4	नियोजन प्रकिया	36–46
5	समस्याएँ एंव रणनीतियाँ	47–56
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार – प्रथम	57–65
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार – द्वितीय	66–69
8	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम तथा गुणवत्ता विकास	70–78
9	दिसंबर 2001 से मार्च 2002 (SPILL OVER)	79–84
10	योजना कियान्वयन एवम् अनुश्रवण	85–96
11	वार्षिक बजट तथा समय सारिणी	
12	अनुलग्नक	

अध्याय–1

जनपद देहरादून – एक परिचय

जनपद देहरादून हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित उतरांचल राज्य का महत्वपूर्ण नगर व राजधानी है। यह नगर प्रदेश तथा देश के मानचित्र पर अपनी नैसर्गिक सौन्दर्यता एवम् शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जनपद शिवालिक पर्वत श्रृंखला की धाटी में स्थित है। इसको दून धाटी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की एतिहासिक एंवमृ सांस्कृतिक विरासत से संतृप्त दून धाटी अपनी आध्यात्मिक एंवम् सांस्कृतिक उपलब्धियों के इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपती रही है। अशोक महान का अहिंसा का संदेश कालसी के प्रस्तर खंड (शिलालेख) से सदियों तक इस धाटी में गूँजता रहा। गुरू राम राय ने यहां डेरा डालकर समन्वय एंवम् सद्भावना का अलख जगाया कदाचित अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्वाह करते हुए,देहरादून जनपद आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अनेक लब्ध प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के साथ श्री गुरू राम राय मिशन द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य इस जनपद से हो रहा है,वह निसंदेह अद्वितीय है। मात्रात्मक ही नहीं, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए देहरादून भारत के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाए हुए है।

1.1 नाम उद्भव

देहरादून नगर अपने नाम व अनेक सांस्कृतिक एंवम् धार्मिक विविधताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके नाम के सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार गुरू द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम के अनुसार द्रोणाश्रम था, जो कालान्तर में देहरादून के नाम से प्रचलित हो गया।एक अन्य मत के अनुसार देहरादून शब्द देहरा और दून शब्दों से मिलकर बना है। इस मत को गुरूरामराय के यहाँ डेरा डालने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार देहरा (डेरा) को दून के साथ जोड़ने से यह क्षेत्र देहरादून के नाम से पुकारा जाता है। भूगोल वेत्ताओं के मतानुसार, दो पहाडियों के बीच की घाटी को दून के नाम से पुकारा जाता हैं।

1.2 जनपद देहरादून की भौगोलिक स्थिति;

- जनपद देहरादून उत्तरांचल राज्य के गढवाल मण्डल के अन्तर्गत स्थित है। इसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है।
- जनपद देहरादून शिवालिक पर्वत श्रृखंला की घाटी में स्थित है।

❖ जनपद देहरादून उत्तरांचल की उत्तर पश्चिम सीमा पर **29.57** था **31.2** डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा **77.35** डिग्री एवं **29.20** डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।

❖ जनपद के पश्चिम में टौन्स और यमुना नदी, जनपद को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है।

❖ इस जनपद के पूर्व में टिहरी, पौड़ी, उत्तर में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में हरिद्वार व सहारनपुर जनपद है।

❖ जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल **3088** वर्ग किमी है।

❖ **2001** की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या **1279083** है। **603534** स्त्रियॉं, **675549** पुरूष है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व **414** प्रति वर्ग किमी है।

❖ जनपद में वर्ष **1991** की जनगणना के अनुसार **764** ग्राम आबाद है तथा **21** वनग्राम है। जनपद की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत **21.6** प्रतिशत है।

❖ प्रतिवेदित क्षेत्रफल का **15.9** प्रतिशत बायो क्षेत्रफल है।

❖ जनपद की वार्षिक सामान्य वर्षा **2212** मि0मी0 है।

❖ प्रमुख नदियॉं— गंगा, यमुना, टोंस, आसन, सुसवा, विन्दाल, रिस्पना, सौंग है।

❖ भूमिगत जल— भूगर्भ जल **50** फीट से लेकर **350** फीट तक उपलब्ध है।

❖ वन सम्पदा— इस जनपद में **219811** हेक्टेअर क्षेत्रफल में वन है।

❖ खनिज सम्पदा— खनिज पदार्थो में चूना, संगमरमर, चिप्स, फासफाइट, डोलोमाइट एवंम् ताबॉ प्रमुख है।

❖ तहसील–जनपद देहरादून में चकराता, देहरादून, विकासनगर एवम् ऋषिकेश **4** तहसीलें हैं।

❖ विकासखण्ड– इस जनपद में चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर डोईवाला तथा रायपुर छः विकासखण्ड है।

❖ भौगोलिक दृष्टि से– इस जनपद को **3** भागों में बॉटा जा सकता है।

- ♦ उत्तरी पहाड़ी भाग
- ♦ मध्य भाग
- ♦ दक्षिणी पहाड़ी भाग

❖ उत्तरी पहाड़ी भाग–

यह भाग अधिकतर पहाड़ी है जो समुद्रतल से **900** से **2700** मी उॅचाई तक फैला है। इसमें देववन, चकराता एवं बाबर मुख्य पहाड़ है।

❖ मध्य भाग घाटी–

यह भाग गंगा एवं यमुना के बीच का भाग है और समुद्र तल से **90** मीटर से **315** मीटर उँचाई तक फैला हुआ है। यह भाग धान की फसल के लिए बहुत अच्छा है। इस मध्य भाग को देहरादून नगर कहते है।

❖ दक्षिणी पहाड़ी भाग–

यह भाग शिवालिक पहाड़ी की तलहटी है जो समुद्र की सतह से **300** मीटर से **900** मीटर ऊँचा है। सहारनपुर जाते समय रास्ते में पहाड़ के बीच से जो सुंरग बनाई गयी हैं, ये ही शिवालिक की पहाडियाँ है।

1.3 जलवायु–

जनपद देहरादून की जलवायु शीतोष्ण हैं। यह स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभकारी है। जनपद देहरादून वनों के लिए प्रसिद्ध है, यहॉ दो प्रकार के वन पाये जाते हैं–

◆ प्रथम प्रकार के वन– चकराता में पाये जाते हैं, जो शंकुधारी हैं। इसमें देवदार, कैल, चीड़ आदि प्रमुख इमारती लकड़ी वाले वन हैं।

◆ दूसरे प्रकार के वन– अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर पाये जाते हैं। इनमें शीशम, तुन, बेर, बहेड़ा, आदि विभिन्न प्रकार की वनौषधियॉ पाई जाती हैं।

1.4 लिंग अनुपात

" प्रति हजार पुरूषों में महिलाओं की संख्या 893 हैं। " (जनगणना 2001)

1.5 जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष **1991** की जनगणना के अनुसार प्रमुख कर्मकर कुल जनसंख्या का **31.4** प्रतिशत है तथा कृषिकर्मकर कुल जनसंख्या का **10.4 प्रतिशत** है तथा कृषि श्रमिक **3.1** प्रतिशत है। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योगो में लगे कर्मकर कुल जनसंख्या के **0.9** प्रतिशत है। उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जैसे उद्योग, निर्माण, परिवहन एवं अन्य सेवाओं में लगे कर्मकरों की संख्या कुल जनसंख्या का **64.6** प्रतिशत है। कर्मकर तथा काम न करने वालों का अनुपात **32:68** है। पुरूषों का अनुपात **51:49** तथा स्त्रियों में **11:89** प्रतिशत हैं। ग्रामीण जनसंख्या में से **35** प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या में **30** प्रतिशत कार्य करने वाले है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कर्मकरों में से **51** प्रतिशत कृषि मजदूर हैं तथा कृषक का प्रतिशत **49** हैं।नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने वालों में से **67** प्रतिशत अकृषकों का है तथा **3** प्रतिशत कृषकों व श्रमिकों का है। जनपद में स्त्री कर्मकरों की जनसंख्या **11** प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कर्मकरों का प्रतिशत **83** है जबकि **17** प्रतिशत कर्मकर अकृषक कार्यो में लगी हैं। **" स्त्रोत– जिला सांख्यिकी "**

1.6 सामाजिक दशा– जनपद देहरादून एक ऐसा जनपद है, जिसमें सभी संस्कृतियों और जातियों का समावेश है। संस्कृति, जातिगत एवं भाषागत विविधताओं के चलते भी सभी सामाजिक कियाकलापों में समन्वय, सहयोग एवं सद्भावना देखने को मिलती है। जनपद देहरादून में जौनसार बावर की एक विशिष्ट संस्कृति है। जौनसार बावर क्षेत्र पौराणिक काल में महाभारत की संस्कृति से जुड़ा रहा, इसके पुष्ट प्रमाण इस क्षेत्र में मिलते हैं। जौनसार बावर की संस्कृति में कौरवों एवं पाण्डवों की संस्कृति की झलक मिलती है। जौनसार बावर के रीति रिवाज जनपद के सामान्य रीति रिवाजों से अलग हैं। इस क्षेत्र का पहनावा एवं खान–पान विशिष्टता लिये हुये हैं। लोकगीत, लोकनृत्यों के संदर्भ में यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। जौनसार बावर क्षेत्र में ऊन तथा भेड़ पालन एक प्रमुख काम के रूप में है। जनपद के अन्य भागों में लोग मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं।

1.7 जनपद की प्रशासनिक इकाइयॉ

क.सं	प्रशासनिक इकाइयाँ	संख्या
1	तहसील	04
2	विकासखण्ड	06
3	न्याय पंचायत	40
4	ग्राम पंचायत	335
5	राजस्व ग्राम	744
6	आबाद ग्राम	746
7	गैर आबाद ग्राम	18
8	वनग्राम	21
9	नगर निगम	01
10	नगर पालिका परिषद	03
11	छावनी क्षेत्र	04
12	नगर पंचायत	02
13	नोटीफाइड एरिया	01
14	सेन्सस टाउन	06
15	पुलिस स्टेशन–क. ग्रामीण ख. नगरीय	06 11

स्त्रोत–जिला सांख्यिकी

1.8 जनपद स्तर पर;

जनसंख्या 1991 के अनुसार;	जनसंख्या 2001 के अनुसार;
पुरूष – **556432**	पुरूष – **675549**
महिला – **469247**	महिला – **603534**
कुल योग – **1025679**	कुल योग – **1279083**

वृद्धि दर – **24.71 प्रतिशत**

लिंग अनुपात – **893** प्रति हजार पुरूष

जनसंख्या घनत्व – **414** प्रति वर्ग किमी

अनुसूचित जाति;	अनुसूचित जनजाति;
पुरूष – **92598**	पुरूष – **55510**
महिला – **7883**	महिला – **49304**
कुल योग – **171431**	कुल योग – **104814**

जनसंख्या

जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001
ग्रामीण – **510199**	ग्रामीण – **636255**
नगरीय – **515480**	नगरीय – **642828**
कुल जनसंख्या – **1025679**	कुल जनसंख्या – **1279083**

स्त्रोतः– जनगणना कार्यालय

1.9 जनपद में स्थित प्रमुख संस्थान

हमारे जनपद में महत्वपूर्ण कार्यालय व संस्थान स्थित है। हमारा जनपद संस्थानों के लिये प्रसिद्ध है। कुछ प्रसिद्ध संस्थानों का विवरण और उनके कार्यो के विषय में जानकारी दी जा रही है।

❖ भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इण्डिया)

इस संस्थान में मानचित्रों का निर्माण होता है मानचित्रों का मानव जाति के लिये अत्यन्त महत्व है। मानचित्र बनानें के लिये भारत सरकार द्वारा यही एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसकी स्थापना सन् 1967 में हुयी थी। भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय देहरादून में ही स्थित हैं।

❖ तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ. एन. जी. सी)

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का कार्यालय देहरादून में स्थित है। जिसको तेल भवन भी कहा जाता है। इस संस्थान का कार्य भूमि के अन्दर छिपे तेल का पता लगाना है और उसे निकालना है।

❖ वन अनुसंधान संस्थान (एफ. आर. आई)

जनपद देहरादून मे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ वन अनुसंधान का कार्य किया जाता है।

❖ भारतीय सैन्य अकादमी (आई0एम0ए0)

देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है,जिसमें कैडिटों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ये कैडिट भारतीय सेना में नियुक्ति पाते हैं।

❖ लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी इसी जनपद के मसूरी नगर में स्थित है,जहां देश के सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

❖ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई0आई0पी0)

पेट्रोलियम उत्पादों से सम्बन्धित शोध कार्य के लिए जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इस संस्थान में पेट्रोलियम पदार्थो के विषय में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं।

❖ आयुध निर्माणी (आर्डीनेन्स फैक्ट्री)

आयुध निर्माणी देहरादून में रायपुर नामक स्थान पर स्थित है। यह रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का विशाल कारखाना है।यहाँ रक्षा उपकरणों का निर्माण एवंम् अनुसंधान होता है।

❖ **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग**

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में स्थित है।यह विभाग प्राचीन संस्कृति की खोज एंवम् संरक्षण का कार्य करता है।

❖ **राष्ट्रीय दृष्टि बधितार्थ संस्थान**

दृष्टिहीनों के लिए देहरादून नगर में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दृष्टि बधितार्थ संस्थान है,जो दृष्टिहीनों में आत्मविश्वास,आत्मनिर्भरता लाने में अपना योगदान करता है।

❖ **हिमालियन चिकित्सा विज्ञान संस्थान**

यह संस्थान जौलीग्रांट में स्थित है। इसकी स्थापना महान विद्वान संत श्री स्वामी राम जी ने की है। इस संस्थान में चिकित्सा विज्ञान में उपाधि दी जाती है तथा रोगियों का इलाज किया जाता है।

❖ **वाडिया संस्थान**

यह संस्थान देहरादून नगर क्षेत्र में जनरल महादेव सिंह मार्ग पर स्थित है इस संस्थान में भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धित शोध कार्य किए जाते हैं।

1:10जनपद देहरादून का रेशम उद्योग

जनपद देहरादून रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारे जनपद में इस उद्योग का प्रारम्भ **1858** में मसूरी कें झड़ीपानी गाँव में,अंग्रेजी शासनकाल में कैप्टन हिल्टन के द्वारा किया गया था। आज पूर्वी देहरादून का रेशम माजरी इस उद्योग में सबसे आगे है। सन् **1881** से यह कार्य इस गॉव में किया जा रहा हैं। यहॉ लगभग **35** एकड़ भूमि सरकार द्वारा किसानों को रेशम उद्योग के लिये दी गयी थी, इस समय **1647** परिवार इस उद्योग में लगे हुये हैं।

1.11 जनपद देहरादून में पर्यटन

भारत के पर्यटन स्थलों की गणना में उत्तरांचल प्रमुख है। उत्तरांचल एक पर्वतीय प्रदेश है,जिसमें कुमायूँ एवम् गढवाल दो मण्डल है। जनपद देहरादून गढ़वाल मण्डल का एक सुन्दर जनपद है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहॉ की जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक है। पर्य्रटन की दृष्टि से वास्तव में समूचा जनपद महत्वपूर्ण है; किन्तु जनपद के कुछ पर्यटन केन्द्र अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् नैसर्गिक सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है।

❖ **देहरादून नगर**

देहरादून नगर आधुनिक नगरों में से एक है। नगर में देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जो कि पर्य्रटन के दृष्टि से ही नहीं अपितु वैज्ञानिक, शैक्षिक एवम् अनुसंधानात्मक कार्यो के लिये भी महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम प्रधानमत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू को देहरादून शहर बहुत पसन्द था।

❖ **सहस्त्रधारा**

यह स्थान देहरादून से 12 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है, तथा अपनी प्राकृतिक सौन्दर्यता के लिये प्रसिद्ध है। इस नदी से कई धाराऐ निकलती हैं, इसलिये इसे सहस्त्रधारा कहते हैं। नदी के किनारों पर प्राकृतिक रूप से शुद्ध गन्धक के जल के फब्बारे निकलते हैं।

❖ **हनोल**

यह स्थान देहरादून से 155 कि0 मी0 दूर है।यहॉ पर भगवान (महासू) का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं। लोगों का विश्वास है, कि हिमालय यात्रा के दौरान पाण्डवों ने भगवान विष्णु की आराधना करने के लिये इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु महासू जौनसार बावर के जनजाति लोगों के आराध्य देव तथा न्याय के प्रतीक हैं।

❖ **मसूरी**

देहरादून के पर्यटक स्थलों में सबसे मनोरंजक मसूरी है। यह देहरादून से **35** कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। उसकी उँचाई समुद्र तल से **1791** मीटर है। मसूरी नगर अत्यधिक रमणीक है। इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि बडी रोचक हैं। इसे सन् **1811**में एक यूरोपियन मेजर " हिदरसे " ने खरीदा था, तत्पश्चात् **1812** में उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों बेच दिया। गर्मियों में जलवायु आनन्दायक होती है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्ष्रित करती है। यहाँ पर कैम्टी,मैसी फाल नामक दो सुन्दर जल प्रपात हैं। प्रतिवर्ष लाखों देश–विदेश के पर्यटक यहॉ अप्रैल से जून तक आते हैं।

❖ **ऋषिकेश**

यह देहरादून से पूरब की ओर हिमालय की तलहटी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान हरिद्वार से **24** कि0 मी0 दूर है। यहॉ पर **250** मी0 लम्बे लोहे के रस्सो से बना पुल हैं, जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है।

❖ **टपकेश्वर मंदिर**

यह मंदिर देहरादून नगर से **6** कि0 मी0 दूरी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक एवम् धार्मिक महत्व का स्थान है। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य जी ने शिवजी से धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिये तथा शिव जी को प्रसन्न करने के लिये इस गुफा में तपस्या की थी।

❖ **डाकपत्थर**

यह स्थान देहरादून से **45** कि0 मी0 दूर है, सिंचाई विभाग तथा यमुना जल विद्युत परियोजना के तहत सुन्दर बैराज का निर्माण किया गया है। यहॉ से यमुना तथा टौंस नदी का पानी पक्की नहर द्वारा ढकरानी व ढालीपुर विद्युत पावर हाउस के लिये लाया है।

❖ **कोटी छिबरू**

देहरादून से लगभग **60** कि0 मी0 दूर इस स्थान पर टौंस नदी के किनारे भारतीय वैज्ञानिकों तथा इन्जिनीयरों की सहायता से स्वदेशी तकनीकी द्वारा **240** मेगावाट क्षमता के एक भूगर्भ पावर हाउस का निर्माण किया गया है। कोटी स्थित बाँध से टौन्स का पानी लगभग **24** कि0मी0 लम्बी सुरंग से छिबरू भूगर्भ पावर हाऊस तक लाया जाता है।

❖ **लाखमण्डल**

यह स्थान देहरादून से **168** कि0 मी0 दूर स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत के समय पाण्डवों की मृत्यु की कामना से लाक्षागृह का निर्माण यहीं पर हुआ था। यहॉ खुदायी में लाखों मूर्तियॉ प्राप्त हुयी है। यहॉ पर प्राचीन शिव मंदिर है।

❖ **चकराता**

चकराता देहरादून से **100** कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। यह अति सुन्दर पहाड़ी नगर है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यह नगर पाण्डवों से सम्बद्ध रहा है। उस समय इसका नाम चक्रानगरी था। इसका आधुनिक नाम ही चकराता है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज इसकी प्राकृतिक सुन्दरता से प्रभावित हुये तथा उन्होने इसे आवासीय बना दिया है। यह नगर चीड़ तथा देवदार के वृक्षों से ढका हुआ है, तथा जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर का केन्द्र स्थल हैं। यहॉ पर सैनिक छावनी भी है।

1.12 प्रमुख उपज एवम् उद्योग–धन्धे

हमारा जिला पहाड़ी होने के कारण पथरीला और उॅचा नीचा हैं। इसके पहाड़ी भागों मे घने जंगल पाये जाते हैं। मैदानी भाग में मिट्टी ऊपजाऊ होने के कारण फसल अच्छी होती हैं।फसलों को हम दो भागों में बॉट सकते हैं––

❖ **खरीफ की फसल**

यह फसल जून–जुलाई में बोयी जाती है, और अक्टुबर–नवम्बर में काट ली जाती है। इस फसल की मुख्य पैदावार मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। देहरादून में धान सबसे अधिक होता

हैं। देहरादून का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध हैं, जो दूर–दूर तक भेजा जाता हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी स्थानों पर अदरक, चौलाई, कोंदों, कंगनी, हल्दी, मिर्च, गागली आदि भी उगायी जाती हैं। चकराता और कालसी आलू, मिर्च, राजमा तथा गागली के लिये प्रसिद्ध है।

❖ **रबी की फसल**

यह फसल अक्टुबर–नवम्बर में बोयी जाती हैं, जो अप्रैल–मई में काट ली जाती है। इसकी मुख्य उपज गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिलहन आदि हैं।

1.12.1 उद्योग–धन्धे

❖ **चाय**

हमारा जिला चाय की पैदावार के लिये प्रसिद्ध है। लगभग **4000** एकड़ भूमि पर **चाय** के बगीचे है। गुडरिच, उदियाबाग, हरबर्टपुर, कौलागढ़, अम्बीवाला, निरंजनपुर, आरकेडिया इत्यादि में **चाय** के बागान हैं। यहॉ पर हरी चाय तैयार की जाती है, जो विदेशों को भी भेजी **जाती** हैं।

❖ **चावल**

हमारे जिले का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है।सेवला, माजरा, बद्रीपुर, तपोवन, मझोन, कांढली का बासमती चावल प्रसिद्ध हैं।

❖ **चूना**

इस जनपद में पहाड़ी नदियों और पहाड़ों से चूने का पत्थर निकालकर इसे– भट्टों में फूंककर चूना बनाया जाता है। यह उद्योग रिस्पना नदी के किनारे अधोईवाला गॉव के आस–पास अधिक स्थित है।

❖ **जिप्सम पत्थर**

यह पत्थर मसूरी, सहस्त्रधारा, और पश्चिमी भाग की ओर फैली पर्वत श्रेणियों से निकाला जाता है। इन पहाड़ियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाला पत्थर तथा गन्धक युक्त पत्थर भी मिलता है।

❖ **लकड़ी**

हमारे जिले में पहाड़ों पर चीड़,देवदार,कैल, इत्यादि पेड़ अत्यधिक पाए जाते हैं और मैदानी भागों में साल,शीशम,हल्दू,सांदन आदि इमारती लकड़ी के जंगल पाए जाते हैं। देहरादून से इमारती लकडी बाहर भी भेजी जाती है। यहाँ पर छड़ी,स्लीपर,टोर,बल्लियाँ,शहतीर आदि इमारती लकडियों का व्यापार भी होता हैं।

❖ ऊन

हमारे जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में भेड़ें पाली जाती है,जिनसे ऊन मिलती है। ऊन से कम्बल और कोट के कपड़े और ऊनी चादर तैयार करके उनका व्यापार होता है। चकराता और ऋषिकेश में ऊन के सरकारी केन्द्र भी है। यहाँ पर पशुलोक में ऊन के लिए उन्नत विदेशी भेड़ें पाली जाती है,और ऊन साफ करके बाजार में भेजी जाती है। देहरादून – मसूरी मार्ग पर भी ऊन की एक मिल है।

❖ जड़ी–बूटी

यहाँ पहाड़ व जगंल अधिक होने के कारण जड़ी–बूटी व औषधियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ राजपुर रोड़ पर अमृतधारा फार्मेसी ट्रस्ट है जो जड़ी–बूटियों से दवाइयाँ तैयार करके बाहर भेजती हैं।

❖ बाग

इस जिले में अनेक प्रकार के फलों के बाग पाए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से लीची, आम, चूलू, सेब, आड़ू, नाशपाती के बाग हैं। इसके अतिरिक्त पपीता और अमरूद का व्यापार भी होता हैं।

❖ चीनी/गुड़

हमारे जिले में डोईवाला नामक स्थान पर चीनी मिल है जो लगभग 5 लाख कुंतल चीनी प्रति वर्ष तैयार करती है। कुछ किसान गुड़ स्वंय बनाते हैं।

अध्याय –2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद देहरादून ने शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहचान राष्ट्र के मानचित्र में रेखांकित की है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री गुरू राम राय द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यो एंवम् पहुँच ने शिक्षा के सर्व सुलभीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। विश्व भर में प्रसिद्ध दून स्कूल तथा व्हेलम स्कूल भी इसी जनपद में हैं। महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से अधिक होने के कारण इस जनपद को सभी के लिए शिक्षा तथा डी0पी0ई0पी0 जैसी परियोजनाओं से आच्छादित नहीं किया गया। इस जनपद में किसी भी शिक्षा परियोजना को संचालित न होने के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत नामांकन,ठहराव और सम्प्राप्ति की दशा अपेक्षाकृत अच्छी है। बालिका शिक्षा को जनपद में प्रोत्साहन मिला है। इस जनपद में उच्च शिक्षा के भी पूंर्ण एंवम् बेहतर अवसर है। डी0ए0वी0,डी0बी0एस0,एम0के0पी0, गुरू राम राय, पी0जी0 महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय किसी परिचय के मोहताज नही हैं। इन महाविद्यालयों ने अपने जनपद की ही नही बल्कि असेवित दूरदराज एवं बाहय जनपदों के छात्रों के भविष्य को सवाँरने में अपना विशिष्ट योगदान दिया हैं। इन महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा,पत्रकारिता,पर्यावरण,कम्प्यूटर आदि के पाठ्यक्रम संचालित हैं। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यक्रमों को लेकर इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय भी इस जनपद में स्थापित है। शिक्षा में नवाचार लाने में एंवम् प्राथमिक शिक्षा में सार्वभोमिकरण की दिशा में वर्ष 1994 से इस जनपद में डायट संचालित है। उत्तरांचल राज्य गठन के बाद शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एंवम् विशिष्ट प्रशिक्षणों के लिए राज्य में सिमेट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 का प्राविधान किया जाना अपेक्षित है। शैक्षिक परिदृश्य के अन्तर्गत जनपद की स्थिति सारिणीयों में अंकित है–

सारणी 2.1

राज्य एवं जनपद स्तर पर साक्षरता एवं साक्षरता दर

स्तर	जनसंख्या			साक्षरता			साक्षरता दर		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य स्तर	4316401	4163161	8479562	3044487	2130689	5[illegible]06	84.01	60.26	72.28
जिला स्तर	675549	603534	1279083	506621	374855	881476	85.57	71.22	78.96

स्त्रोत– जनगणना कार्यालय

सारणी–2.2

विकासखण्डवार साक्षरता (1991के अनुसार)

कम0संख्या	विकासखण्ड का नाम	पुरूष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	योग प्रतिशत
1	चकराता	27.08	12.36	27.88
2	कालसी	53.22	20.12	38.06
3	विकासनगर	57.64	32.31	46.01
4	सहसपुर	71.81	51.51	62.30
5	रायपुर	80.39	60.26	71.20
6	डोईवाला	81.51	57.14	70.46
7	नगर क्षेत्र	86.95	73.71	81.04
	जनपद की कुल साक्षरता	77.95	59.26	69.05

स्त्रोत– जनगणना कार्यालय

सारिणी 2.3(अ) ग्रामीण/नगरीय जनसंख्या विवरण – 1991 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	26341	22756	49097	7291	6353	13644	16705	15224	31929
2	कालसी	26514	23000	49514	6234	5449	11683	17151	15868	33019
3	विकासनगर	47167	40333	87500	6060	5156	11216	6775	5502	12277
4	सहसपुर	54242	48073	102315	7281	6163	13444	680	563	1243
5	रायपुर	58326	49752	108090	7484	6171	13655	63	35	98
6	डोईवाला	55656	47093	102749	6664	5409	12073	1261	1077	2338
7	वनक्षेत्र	5866	5070	10936	847	725	1572	51	20	71
8	नगर क्षेत्र	282520	233160	515680	32390	27787	60177	1824	1247	3071
	योग	556432	469247	1025679	74251	63213	137464	44510	39536	84046

सारिणी 2.3(ब)

जनगणना 2001 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या संख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	32850	28379	61229	9093	7923	17016	20833	18986	39819
2	कालसी	33065	28683	61748	7774	6795	14569	21389	19788	41177
3	विकासनगर	58822	50299	109121	7557	6430	13987	8449	6861	15310
4	सहसपुर	67645	59952	127597	9080	7686	16766	848	702	1550
5	रायपुर	72738	62046	134784	9333	7696	17029	79	44	123
6	डोईवाला	69409	58730	128139	8311	746	15057	1573	1343	2916
7	वनक्षेत्र	7315	6322	13637	1056	904	1960	64	25	89
8	नगर क्षेत्र	333705	30923	642828	40394	34653	75047	2275	1555	3830
	योग	675549	603534	1279083	92598	78833	171431	55510	49304	104814

नोटः– जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1279083 है। जिसमें पुरूष 675549 व महिला 603534 है। जनपद की पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 24.71 प्रतिशत है, इस आधार पर विकासखण्डों व नगर क्षेत्र की जनगणना को वर्ष 2001 के लिए आंगणित कर प्रक्षेपित किया गया है।

सारिणी 2.4 जनपद की शैक्षिक संस्थाएँ 30.9.2001 की स्थिति

क्रम	विवरण	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त वित्तसहित विद्यालय			मान्यता प्राप्त वित्तविहिन विद्यालय			कुल योग		
सं0		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	745	86	831	0	0	0	317	193	510	1062	279	1341
2	माध्य0 विद्यालय सम्बद्ध	0	0	0	0	16	16	0			0	0	16
	प्राइमरी अनुभाग			0	0								
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	198	12	210	20	26	46	126	70	196	344	108	452
4	माध्यमिक विद्यालय से	0	0	50	0	0	57	0	0	0	0	0	107
	सम्बद्ध (उ0प्रा0 अनुभाग)												
5	केन्द्रीय विद्यालय	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6	नवोदय विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हाई स्कूल	33	3	36	11	6	17	0	0	0	44	9	53
8	इण्टरमीडिएट	39	5	44	19	24	43	0	73	73	58	102	160
9	डिग्रीकालेज	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	7
11	प्रशिक्षणसंस्थान(बी0एड0)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12	तकनीकी संस्थान	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
13	आंगनबाडी केन्द्र	349	57	406	0	0	0	0	0	0	349	57	406
14	मकतब / मदरसे	0	0	0	6	1	7	0	0	0	6	1	7
15	बी0 आर0 सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	सी0आर0सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	डी0आई0ई0 टी0(डायट)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	विकलांग संस्थाऐं	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5

स्त्रोत–विभागीय

सारणी – 2.5

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अभिकर्मियों का विवरण 20.2..2002 की स्थिति

क्रम	विकास खण्ड	वि0 की	प्रधानाध्यापक			सहायक अध्यापक			योग		कुल योग
सं0	का नाम	संख्या	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	अध्यापक	शिक्षा मित्र	
1	चकराता	155	29	17	46	71	103	174	220	69	289
2	कालसी	150	26	73	99	15	131	146	245	38	283
3	विकास नगर	91	70	17	87	57	133	190	277	1	278
4	सहसपुर	107	41	39	80	10	266	276	356	1	357
5	रायपुर	115	44	42	86	25	258	283	369	6	375
6	डोईवाला	127	58	24	82	24	222	246	328	1	329
	योग ग्रामीण	745	268	212	480	202	1113	1315	1795	118	1911
1	न0क्षे0देहरादून	57	16	34	50	19	47	86	116	0	116
2	न0क्षे0मसूरी	16	5	6	11	6	19	25	36	0	36
3	न0क्षे0ऋषिकेश	13	4	9	13	3	14	17	30	0	30
	योग नगरीय	86	25	49	73	28	80	128	182	0	182
	कुल योग	831	293	261	554	230	1193	1423	1977	116	2093

स्त्रोत–विभागीय

सारणी – 2.6

परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की उपलब्धता– 28.2.02 की स्थिति

क्रम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार				अध्यापकों की उपलब्धता						कुल
						प्रधानाध्यपाक			स0 अध्यापक			
सं0	का नाम	बालक	बालिका	क्रमोत्तर	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	योग
1	चकराता	34	0	2	36	32	0	32	102	0	102	134
2	कालसी	32	1	1	34	31	0	31	46	0	46	77
3	विकास नगर	26	3	1	30	26	1	27	113	9	122	149
4	सहसपुर	27	4	2	33	23	5	28	92	28	120	148
5	रायपुर	20	6	3	29	17	6	23	69	39	108	131
6	डोईवाला	26	5	5	36	21	5	26	100	47	147	173
	योग ग्रामीण	165	19	14	198	150	17	167	522	123	645	812
1	देहरादून	5	1	1	7	2	1	3	17	16	33	36
2	मसूरी	4	0	0	4	1	3	4	6	10	16	20
3	ऋषिकेश	1	0	0	1	0	0	0	0	4	4	4
	योग नगरीय	10	1	1	12	3	4	7	23	30	53	60
	योग	175	20	15	210	153	21	174	545	153	698	872

स्त्रोत–विभागीय

सारणी– 2.7

परिषदीय एंव मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्रम0संख्या	विकासखण्ड	प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता			बस्तियों की संख्या		
	का नाम	1कि0मी0	1कि0मी0 से अधिक परन्तु	1.5 कि0मी0 से	1कि0मी से कम	1कि0मी0 से अधिक परन्तु	1.5 कि0मी0 से
		से कम पर	1.5 कि0मी0 से कम पर	अधिक दूरी पर	पर प्रा0वि0	1.5 कि0मी0 से कम पर प्रा0वि0	अधिक दूरी पर प्रा0वि0
1	चकराता	154	0	0	51	9	66
2	कालसी	70	1	1	137	10	25
3	विकासनगर	39	0	0	131	9	7
4	सहसपुर	79	30	3	223	3	5
5	रायपुर	49	1	2	184	16	64
6	डोईवाला	44	21	2	123	11	11
	योग	435	53	8	849	58	178

स्त्रोत–विभागीय

2.2.1 विश्लेषण –

सारिणी 2.1 से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून की कुल साक्षरता दर **78.96** प्रतिशत है,जिस्में पुरूष साक्षरता दर **85.57** प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर **71.22** प्रतिशत है,जो कि राज्य की कुल साक्षरता दर **72.28** प्रतिशत जिसमें पुरूष साक्षरता दर **84.01** प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर **60.26** प्रतिशत की तुलना में अधिक है तथ राष्ट्रीय साक्षरता से भी अधिक हैं। परन्तु इस जनपद में कुछ विकासखण्ड ऐसे हैं जिनमें पुरूषों एंव महिलाओं दोनो की सक्षरता दर जनपद की कुल साक्षरता दर की तुलना में अत्यन्त न्यून हैं। सारिणी–2.2 में वर्ष **1991** की जनगणना के अनुसर चकराता विकासखण्ड में कुल साक्षरता दर **27.88** प्रतिशत हैं जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर **27.08** प्रतिशत तथा महिल साक्षरता दर **12.36** प्रतिशत है,विकासखण्ड कालसी में कुल साक्षरता दर **38.06** प्रतिशत है,जिसमें पुरूष साक्षरता दर **53.22** प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर **20.12** प्रतिशत है। विकासनगर ब्लाक में कुल साक्षरता दर **46.01** प्रतिशत है जिस्में पुरूष साक्षरता दर **57.64** प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर **32.31** प्रतिशत हैं। विकासखण्ड चकराता, कालसी एवम् विकसनगर में महिला साक्षरता अतिन्यून है। विकासखण्ड चकराता में पुरूष साक्षरता दर भी न्यून हैं।

जनपद देहरादून में वर्तमान समय में **1341** प्राथमिक विद्यालय हैं,एंवम् **16** प्राथमिक अनुभाग माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध हैं,तथा **452** उच्च प्रा0वि0 हैं,एंवम् **107** ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें कक्षा **6** से **8** तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। इस जनपद में **11** केन्द्रीय विद्यालय, **53** हाईस्कून, **160** इण्टरमीडियट कालेज,ग्रामीण क्षेत्र में **02** डिग्री कालेज,नगर क्षेत्र में **07** स्नातकोत्तर महाविद्यालय,एक प्रशिक्षण संस्थान बी0एड0 प्रशिक्षण के लिए, **06** तकनीकी संस्थान जिसमें आई0टी0आई0 एंवम् पॉलीटेक्निक सम्मिलित है, **406** आंगनवाड़ी केन्द्र हैं,जो ग्रामीण एंवम् नगरीय दोनो क्षेत्रों में स्थेत हैं। जनपद में वर्ष **1994** से जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। विकलांगों के शैक्षिक सहायतार्थ **05** संस्थाएं हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में **06** तथा नगर क्षेत्र में **01** मकतब/मदरसे हैं। इस जनपद में नवोदय विद्यालय,बी0आर0सी0/एन0आर0सी0 व सी0आर0सी0 अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं।

सारणी 2.5 से स्पष्ट है कि जनपद में कुल **2093** अध्यापक कार्यरत हैं,जिसमें **1977** पूर्णकालिक अयापक तथा **116** शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में **1795** पूर्णकालिक अध्यापक एंवम् **116** शिक्षा मित्र एंम् नगरीय क्षेत्र में **182** पूर्णकालिक अध्यापक कार्यरत हैं। जनपद के **831** परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में **554** प्र0अ0 कार्यरत हैं,जिसमें **293** पुरूष प्र0अ0 एंवम् **261** महिला प्र0अ0 हैं तथा **1423** स0अ0 में से **230** पुरूष अध्यापक तथा **1193** महेला अध्यापिकाएं कार्यरत हैं।

सारिणी 2.6 में स्पष्टतः दृष्टिगत है,कि जनपद के उच्च प्रा0विद्यालय में कुल **872** अध्यापक हैं, जिसमें **174** प्रधानाध्यापक तथा **698** स0अ0 कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कुल **812** अध्यापक हैं, जिनमें **167** प्रधानाध्यापक तथा **645** स0अ0 कार्यरत हैं। जनपद में कुल **174** प्रधानाध्यापकों में से **153** पुरूष प्रधानाध्यापक एवं **21**

महिला प्रधानाध्यापिका कार्यरत हैं तथा **698** अध्यापकों में से **545** पुरूष अध्यापक एवं **153** महिला अध्यापिका कार्यरत है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में **167** प्रधानाध्यापक एवं **645** सहायक अध्यापक कार्यरत हैं तथा नगर क्षेत्र में **07** प्रधानाध्यापक एवं **53** सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

सारिणी 2.7 से स्पष्ट हैं, कि जनपद में कुल **435** गाँव ऐसे हैं, जहाँ **1** कि0 मी0 के अन्दर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा **61 (53+8)** गाँव ऐसे हैं, जहाँ पर **1** कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं इन ग्रामों के लिए माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नवीन प्रा0 वि0 को वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित किया जायेगा, इसके साथ ही जनपद मे कुल **849** ऐसी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, परन्तु **236 (58+178)** ऐसी बस्तियाँ हैं, जो **1** कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं। इन बस्तियों के लिए माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 का प्रस्ताव वार्षिक योजनाओं में किया जायेगा।

सारिणी 2.8 परिषदीय एंव मान्यता प्राप्त उ0प्रा0वि0 की उपलब्धता (30.9.2001)

क0सं	विकासखण्ड	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता		बस्तियों की संख्या	
		3कि0मी0	3कि0मी0 से अधिक परन्तु	3कि0मी0	3कि0मी0 से अधिक परन्तु
		से कम पर	5 कि0मी0 से कम पर	से कम पर	5 कि0मी0 से कम पर
1	चकराता	36	6	13	6
2	कालसी	20	0	72	20
3	विकासनगर	27	0	42	3
4	सहसपुर	112	0	227	4
5	रायपुर	27	0	67	16
6	डोईवाला	41	2	241	1
	योग	263	8	662	50

सारिणी 2.9 प्राथमिक स्तर पर 6–11वर्ग की बाल गणना 2001–02

क्र	विकास	6–11 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या			6–11 वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे			6–11 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चे			कुल नामाकंन			सकल नामांकन
सं0	खण्ड / नगर क्षेत्र	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
1	चकराता	5472	5468	10940	4840	4845	9685	632	643	1275	4840	4845	9685	88.52
2	कालसी	4921	4816	9737	4627	4465	9092	323	322	645	4627	4465	9092	93.37
3	विकास नगर	10347	8340	18687	9636	7940	17576	711	400	1111	9639	7940	17579	94.05
4	सहसपुर	12890	11692	24582	10425	9945	20370	1805	1600	3405	10425	9945	20370	82.86
5	रायपुर	12165	10454	22619	11453	9716	21169	712	738	1450	11453	9716	21169	93.58
6	डोईवाला	10680	9751	20431	10336	9415	19751	344	336	680	10336	9415	19751	96.67
7	न0क्षे0 देहरादून	20648	14775	35423	19942	14251	34193	706	524	1230	19942	14251	34193	96.52
8	न0क्षे0 मसूरी	1773	1627	3400	1653	1499	3152	120	128	248	1653	1499	3152	92.70
9	न0क्षे ऋषिकेश	5535	4532	10067	5477	4453	9930	58	79	137	5477	4453	9930	98.63
	योग	84431	71455	155886	78389	66529	144918	5411	4770	10181	78392	66529	144921	92.96

स्त्रोत–विभागीय

सारिणी 2.10 सकल नामांकन अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर पर 11–14 वय वर्ग की बालगणना (2000–2001)

क्रम सं0	विकास खण्ड / नगर क्षेत्र	11–14 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या			11–14 वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे			11–14 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चे			कुल नामाकंन			सकल नामाकंन
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
1	चकराता	1597	1375	2972	1486	1232	2718	111	143	254	1486	1232	2718	91.45
2	कालसी	2077	1648	3725	1840	1403	3243	237	245	482	1840	1403	3243	87.06
3	विकास नगर	4120	3530	7650	3981	3329	7310	139	201	340	3981	3329	7310	95.55
4	सहसपुर	5972	5769	11741	5312	5410	10722	660	359	1019	5312	5410	10722	91.32
5	रायपुर	4286	4320	8606	4059	4019	8078	227	301	528	4059	4019	8078	93.86
6	डोईवाला	5769	5535	11304	5741	5519	11260	28	16	44	5741	5519	11260	99.60
7	न0क्षे0 देहरादून	18741	16634	35375	18236	16214	34450	505	420	925	18236	16214	34450	97.38
8	न0क्षे0मसूरी	820	795	1615	750	760	1510	70	35	105	750	760	1510	93.49
9	न0क्षे0ऋषिकेश	2510	2722	5232	2502	2777	5279	8	5	13	2502	2777	5279	100.89
	योग	45892	42328	88220	43907	40663	84570	1985	1725	3710	43907	40663	84570	95.86

स्त्रोत–विभागीय

सारिणी 2.8 से स्पष्ट है कि जनपद में कुल **263** ग्राम तथा **662** बस्तियाँ ऐसी हैं, जहाँ **11–14** वय वर्ग के बच्चों के लिये उच्च प्रा0 शिक्षा **(कक्षा 6 से 8 तक)** की पहुँच हैं। परन्तु **08** ग्राम एवम् **50** बस्तियाँ असेवित है, इन असेवित बस्तियों तथा ग्रामों की दूरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों **से 3** कि0मी0 **से 5** कि0मी0 तक है। इन बस्तियों में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नवीन उच्च प्राथामिक विद्यालयों या ए0आई0केन्द्रों को वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित किया जायेगा। सारिणी–2.9 से स्पष्ट है कि वर्ष **2000–2001** की बालगणना के अनुसार जनपद में **6–11** वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या **155886** हैं, जिसमें से **84431** बालक एवम् **71455** बालिकाएँ हैं। **6–11** वय वर्ग के पढने वाले कुल बच्चों की संख्या **144918** है जिसमें **78389** बालक तथा **66529** बालिकाएँ सम्मिलित हैं स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या **10181** है जिसमें **5411** बालक तथा **4770** बालिकाएँ हैं। जनपद का सकल नामांकन अनुपात **92.96** प्रतिशत् हैं। सारिणी 2.10 से स्पष्ट है कि इस जनपद में **11–14** वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या **88220** है, जिसमें **45892** बालक तथा **42328** बालिकाएँ हैं। **11–14** वयवर्ग के पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या **84570** है, जिसमें **43907** बालक तथा **40663** बालिकाएँ सम्मिलित हैं।इन बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में है। जनपद में स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या **3710** है, जिसमें **1985** बालक तथा **1725** बालिकाएँ सम्मिलित हैं।

सारिणी–2.13 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात :– पी0टी0आर0 30.6.2001

क्रम0 संख्या	विकासखण्ड/नगर क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	अध्ययनरत छात्र संख्या	कार्यरत शिक्षकों की संख्या	छात्र–शिक्षक अनुपात
1	चकराता	155	9005	280	32
2	कालसी	150	8271	330	26
3	विकासनगर	91	10902	260	42
4	सहसपुर	107	10722	336	32
5	रायपुर	115	9491	345	28
6	डोईवाला	127	9950	291	34
	योग ग्रामीण	745	58341	1842	32
7	नगर क्षेत्र देहरादून	57	5527	117	47
8	नगर क्षेत्र मसूरी	16	1097	37	30
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	13	1645	30	55
	योग नगरीय	86	8269	184	44
	कुल योग	831	66610	2026	33

स्त्रोत – विभागीय

सारिणी 2.13 से स्पष्ट है कि जनपद के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक हैं। नगर क्षेत्र देहरादून में **47** छात्रों पर एक शिक्षक तथा ऋषिकेश में **55** छात्रों पर एक शिक्षक कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास क्षेत्रों में छात्र–शिक्षक अनुपात **40:1** या इससे न्यून हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों के मानक के अनुसार जनपद में शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

सारिणी 2.14 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

क0स0	विकासखण्ड /	प्राथमिक विद्यालयों	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं0				2:1 के अनुपात में उ0प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
	नगर क्षेत्र	की सख्या	परिषदीय	राजकीय हा0/इ0 से सम्बद्ध	मान्यताप्राप्त हा0/इ0 से सम्बद्ध	योग	की आवश्यकता	की कमी
1	चकराता	155	36	6	0	42	77	35
2	कालसी	150	34	6	0	40	75	35
3	विकासनगर	91	30	6	4	40	45	5
4	सहसपुर	107	33	10	11	54	53	–1
5	रायपुर	115	29	6	9	44	57	13
6	डोईवाला	127	36	12	8	56	63	7
7	न.क्षे. देहरादून	57	7	2	18	27	28	1
8	न.क्षे.मसूरी	16	4	1	4	9	8	–1
9	न.क्षे.ऋषिकेश	13	1	01	3	5	6	1
	कुल योग	831	210	50	57	317	412	97

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत **2:1** के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है अर्थात् दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।इस तरह जनपद में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या **831** हैं। सारिणी **2.14** से स्पष्ट है कि जनपद में **2:1** के अनुपात में **412** उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी परन्तु **307** उ0प्रा0वि0 तथा सम्बद्ध उ0प्रा0वि0 पूर्व से संचालित है। अत: **105** उ0प्रा0वि0 की कमी होगी। सारिणी **2.14** से स्पष्ट है कि विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में **35–35** उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी है,किन्तु **2:1** के अनुपातिक

मानक के अनुसार छात्र संख्या अति न्यून है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना उपयुक्त नही होगा। इन ग्रामों/बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये जायेगे।

सारणी– 2.15

जनपद में आँगनवाडी केन्द्रों का विवरण– 30.9.2001

क्र0स0	नगर/विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	बच्चों की संख्या	20 से कम छात्र सं0 के केन्द्र	20 से अधिक छात्र सं0 के केन्द्र
1	नगर क्षेत्र देहरादून	98	2712	7	91
2	चकराता	50	1835	6	44
3	विकासनगर	97	2806	4	93
4	कालसी	50	1453	6	44
5	सहसपुर	158	3700	72	86
	योग	453	12506	95	358

स्त्रोत – विभागीय

जनपद में कुल **453** आँगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें **3** से **6** वयवर्ग के **12506** बच्चें नामांकित हैं। जनपद में रायपुर तथा डोईवाला विकासखण्ड तथा मसूरी एवंम् ऋषिकेश नगर क्षेत्र में आँगनवाड़ी केन्द्र नहीं है। इन क्षेत्रों में **3** से **6** वयवर्ग के बच्चों के लिये ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के खोलने के लिये वार्षिक योजनाओं में प्रस्ताव किया जायेगा। सारिणी 2.15 में वर्णित आँगनवाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

नगर क्षेत्र देहरादून, विकासखण्ड चकराता, विकासनगर, कालसी तथा सहसपुर में अभी भी ऐसी बस्तियाँ हैं, जहाँ **3** से **6** वयवर्ग के बच्चों की संख्या **20** या **20** से अधिक हैं। अतः इन बस्तियों/ग्रामों में ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया जायेगा।

सारिणी– 2.16(अ)

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संगठनात्मक ढ़ाँचा एवम् उपलब्ध जनशक्ति

(30–9–2001 के अनुसार)

क0स0	पद का नाम	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	1	1	0
2	उप प्राचार्य	1	1	0
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	6	5	1
4	प्रवक्ता	17	17	0
5	सहायक अध्यापक	3	3	0
6	कार्यालय अधिक्षक	1	1	0
7	लेखाकार	1	0	1
8	आशुलिपिक	1	1	0
9	प्रयोगशाला सहायक	2	2	0
10	कनिष्ठ लिपिक	9	9	0
11	परिचारक	5	5	0

स्त्रोत – विभागीय

सारिणी–2.16(ब) **जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संकायगत ढ़ाँचा**

क0स0	संकाय का नाम	उप प्राचार्य / वरिष्ठ प्रवक्ता	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक	लिपिक	योग
1	सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	8	0	1	10
2	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	1	0	1	3
3	पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवम्	1	1	0	0	2
	मूल्यांकन संकाय					
4	कार्यानुभव संकाय	1	1	1	0	3
5	शैक्षिक तकनीकी संकाय	1	1	1	0	3
6	जिला ससाधन इकाई	1(उप प्राचार्य)	4	0	1	6
7	शैक्षिक नियोजन एवम् प्रबन्ध संकाय	1	1	1	0	3

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी–2.17

जनपद में विकासखण्डवार एकल अध्यापकीय विद्यालय – 28.2.2002 के अनुसार

क0स	विकासखण्ड/ नगर क्षेत्र	परिषदीय विद्यालयों की सख्या	एकल शिक्षक विद्यालय की संख्या	बंद विद्यालयों की संख्या	एकल शिक्षक विद्यालय जहाँ शिक्षा मित्रों की व्यवस्था है	शेष एकल शिक्षक विद्यालय
1	चकराता	155	92	02	69	23
2	कालसी	150	64	00	38	24
3	विकासनगर	91	13	0	1	12
4	सहसपुर	107	10	0	1	9
5	रायपुर	115	18	0	6	12
6	डोईवाला	127	16	1	1	15
7	नगर क्षेत्र देहरादून	57	12	0	0	12
8	नगर क्षेत्र मसूरी	16	3	0	0	3
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	13	1	0	0	1
	कुल योग	831	229	3	116	111

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी 2.17 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में कुल **111** प्रा0वि0 ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक कार्यरत है। चकराता विकासखण्ड जो पर्वतीय व दुर्गम है वहाँ पर **02** प्रा0वि0 बंद पड़े हैं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित गोष्ठी में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की आम राय थी कि चकराता व कालसी विकासखण्ड में स्थानीय समुदाय के लोगों की नियुक्ति शिक्षा मित्र के रूप में की जाए।

सारिणी–2.18 प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन– जनपद देहरादून 30.6.01

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की सं0	भवनों की स्थिति										शौचालय	पेयजल	चाहरदीवारी
			एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांचं कक्षीय	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
1	चकराता	155	1	85	41	0	1	0	0	27	128	19	0	15	0
2	कालसी	150	4	107	7	8	2	0	0	22	128	25	7	2	4
3	विकास नगर	91	1	58	6	8	8	0	0	10	81	9	46	24	15
4	सहसपुर	107	0	49	32	7	3	5	0	11	96	14	22	28	21
5	रायपुर	115	2	55	31	5	5	3	0	14	101	22	64	32	19
6	डोईवाला	127	4	44	40	15	7	3	0	14	113	6	52	55	30
7	न0क्षे0देहरादून	57	0	8	5	6	4	1	किराए पर 33	0	24	0	18	18	19
8	न0क्षे0मसूरी	16	1	5	2	0	2	1	5	0	11	2	0	5	5
9	न0क्षे0ऋषिकेश	13	1	0	1	2	8	0	1	0	12	1	7	5	7
	योग	831	14	411	165	51	40	13	39	98	694	98	216	184	120

स्रोत – विभागीय

सारिणी–2.19 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधान जनपद– देहरादून 30.6.01

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की	भवनो की स्थिति										पेयजल	शौचालय	चाहरदीवारी
			एक	दो	तीन	चार	पांचं	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
		सं0	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय								
1	चकराता	36	0	0	3	13	0	9	7	4	25	3	10	5	0
2	कालसी	34	0	1	7	11	8	0	7	0	27	5	12	13	4
3	विकास नगर	30	0	0	14	10	0	2	3	1	26	0	14	7	4
4	सहसपुर	33	0	1	0	0	0	26	6	0	27	3	13	16	3
5	रायपुर	29	0	0	6	4	2	8	6	3	20	1	18	12	10
6	डोईवाला	36	0	0	4	6	1	16	7	2	27	1	19	19	9
7	हा0/इण्टर से सम्बद्ध														
	उच्च प्रा0विद्यालय	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	11	21
8	न0क्षे0देहरादून	7	0	1	2	1	2	0	1	0	6	0	3	4	6
9	न0क्षे0मसूरी	4	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	4	0	4
10	न0क्षे0ऋषिकेश	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	योग	258	0	3	38	46	14	61	38	10	162	13	130	88	62

स्रोत – विभागीय

सारिणी–2.18(अ)

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधान की आवश्यकता

विकासक्षेत्र/नगर क्षेत्र	भवन (पुनःनिर्माण)	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चारदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लघु	वृहद				
चकराता	46	0	26	85	106	109	35
कालसी	50	0	14	88	101	99	43
विकास नगर	22	0	37	42	48	57	62
सहसपुर	25	0	23	55	54	61	79
रायपुर	40	0	60	39	47	60	68
डोईवाला	22	0	30	55	52	77	66
न0क्षे0देहरादून	10	0	24	6	6	5	34
न0क्षे0मसूरी	2	0	9	12	4	4	2
न0क्षे0ऋषिकेश	4	0	5	10	4	4	12
योग	221	0	228	392	422	476	401

स्रोत – विभागीय

सारणी 2.19(अ)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधान की आवश्यकता

विकासक्षेत्र/नगर क्षेत्र	भवन (पुनःनिर्माण)	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चारदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लघु	वृहद				
चकराता	14	0	10	21	12	22	3
कालसी	12	0	7	11	10	18	2
विकास नगर	4	0	23	22	12	22	13
सहसपुर	9	0	4	8	11	21	14
रायपुर	10	0	13	19	8	9	14
डोईवाला	10	0	2	7	7	17	12
हा0/इण्टर से सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	0	0	0	37	12	27	198
न0क्षे0देहरादून	1	0	0	22	3	0	8
न0क्षे0मसूरी	0	0	3	1	0	0	1
न0क्षे0ऋषिकेश	0	0	1	1	0	0	5
योग	60	0	63	149	75	136	270

स्रोत – विभागीय

सारणी – 2.20

जनपद देहरादून में विकलांगो की संख्या (विकासखण्डवार) 30.9.2000

क्रम	विकासखण्ड/नगर क्षेत्र	17 वर्ष से ऊपर विकलांगों की सं0	17 वर्ष से कम विकलांगो की सं0
सं0			
1	चकराता	120	16
2	कालसी	130	10
3	विकास नगर	231	70
4	सहसपुर	238	38
5	रायपुर	380	70
6	डोईवाला	372	33
7	नगर क्षेत्र	707	131
	योग	**2178**	**368**
			स्रोतः– समाज कल्याण अधिकारी

अध्याय–3

सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य एवं उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष **2003** तक **6** से **14** वर्ष के सभी बच्चों का प्रारंम्भिक शिक्षा में नामांकन, वर्ष **2007** तक **6** से **11** वय वर्ग के बच्चों को कक्षा **5** तक की गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, तथा वर्ष **2010** तक सभी नांमाकित बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा **VIII** तक पूरी कराना है। स्कूल प्रबन्धन एवम् स्कूल के शिक्षण शिक्षणेत्तर एंव निर्माण कार्यो में समुदाय की भागीदारी को सक्रिय बनाना, सर्वशिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समाज के सभी वर्गो स्त्री पुरूषों की शिक्षा में भागीदारी सुनिशिचित करा कर वर्ग भेद एंव स्त्री पुरूषों के विभेद को समाप्त करना भी सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है।

इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को शिक्षण के बारे में अनुमति देना, तथा उनकी मानवीय क्षमता को अर्थात् भौतिकवादी और अध्यात्मिक दोनों में, सहज रूप से नैसर्गिक वातावरण में पूरी तरह से विकसित होने की अनुमति प्रदान करना है।

(3.1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यापक कार्यनीतियॉ :

☐☐**संस्थागत सुधार –**

इस अभियान के अन्तर्गत सस्थाओं को शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षण पद्धिति में सुधार लाना होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में तथ्य परक मूल्यांकन करना होगा। शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में निर्धारित उपलब्धि स्तर पर वित्तीय निर्गम, केन्द्रित एवं समुदाय आधारित शिक्षा व्यवस्था, राज्य अधिनियम की समीक्षा, शिक्षकों की पूर्ति मानीटरिंग, मूल्यांकन, बालिकाओं, विकलांगों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों की शिक्षा, और शैशव कालीन देखरेख जैसी नीतियाँ शामिल है।

☐☐**सतत् वित्त पोषण –**

सर्वशिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि इसके लिए सतत पोषण जारी रहेगा।

☐☐**सामुदायिक स्वामित्व –**

शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, समाज में शिक्षा एंव स्कूली व्यवस्था के प्रति "स्वामित्व" की भावना का प्रादुर्भाव करना होगा। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति तथा पंचायती राज के सदस्यों को शामिल कर के इस कार्यक्रम को गतिशील बनाया जाएगा।

☐☐**संस्थागत क्षमता का निर्माण** –

इस अभियान के अन्तर्गत विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना कर, विशेषज्ञों के स्थायी सहयोग से संस्थागत क्षमता निर्माण किया जाएगा।

☐☐**शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा का सुधार** –

इसमें संस्थागत विकास, नई पहल को शामिल करके और लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियों अपना कर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

(3.2) सर्वशिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 के लिए जनपद के लक्ष्य एवं उददेश्य :

इस जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मलिन बस्तियों मजरों के 0–6, 6–11, 11–14 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना जो विद्यालयी शिक्षा से बाहर हैं।

इस जनपद में ड्राप आउट रेट 4.20 है, उसे समाप्त कर शत प्रतिशत नामाकंन सुनिश्चित करना।

☐ 6 से 14 वय वर्ग के बच्चो के ठहराव को सुनिश्चित करना।

☐ सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा, एवं गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना।

☐ भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुदूर क्षेत्रो में समुदाय की आवश्यकता पर तथा मलिन बस्तियों में उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नये प्राथमिक विद्यालयों, ई0 जी0 एस0 की स्थापना।

☐ मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत, उनमें शौचालय, पेयजल एवं चाहरदीवारी का निर्माण करवाना।

☐ 6 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं, अनु0 जाति, के बालकों, अनु जन जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

☐ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और वांछित वय वर्ग की बालिकाओं का नामाकंन और ठहराव सुनिश्चित करना।

☐ स्त्री पुरूषों साक्षरता अन्तर को समाप्त करना।

☐ विकंलाग बच्चों को पहचान कर उनकी विकंलागता के अनूरूप, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, तथा विद्यालयों में विंकलाग शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षको की व्यवस्था करना।

☐ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना।

☐ वर्तमान, सकल नामांकन अनुपात को 93%से बढ़ाकर 100% तक पहुचाना।

☐ उच्च प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन 97.02% से बढ़ाकर 100% पहुचाना।

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11905
DOC, No.....
Date 27-06-2003

अध्याय–4

नियोजन प्रक्रिया

यह सर्वविदत और सर्वमान्य तथ्य है कि, किसी भी कार्य के प्रभावी ढंग से सम्पादन के लिए पूर्व नियोजन आवश्यक है। नियोजन का वर्तमान स्वरूप जनसहभागिता पर आधारित नहीं रहा हैं , जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाली योजनाऐं लक्ष्य समूह की आवश्कताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है और ना ही योजना कियान्वयन में गुणवत्ता आ पा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात् सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित योजना निर्माण की प्रक्रिया स्वीकार की गई है । ऐसी शैक्षिक योजना जो समुदाय की अपेक्षा की पूर्ति का साधन बन सके, इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए स्कूल व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अनु0जाति, अनु0जनजाति के बच्चों की शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति एवम् सामुदायिक सक्रियता, आदि प्रमुख रूप से उभरे हुये मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये, ग्राम, बस्ती, मजरे पर आधारित आवश्कताओं को तिकास खण्ड स्तर पर संकलित कर, योजना का निर्माण किया गया है।

4.1 स्कूल चलो अभियान (वर्ष 2000–2001)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6–14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपदमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लाक स्तर, ग्राम स्तर के समस्त शिक्षाधिकारी, शिक्षक, निरीक्षक, जनप्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2000–2001 में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण सारिणी 4.1.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.1.1

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण वर्ष 2000–2001

क0स0	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (6–14 वय वर्ग)			बीच में विद्यालय छोडने वाले बच्चों की संख्या		
		चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष	चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष
1	चकराता	2007	1970	37	179	173	6
2	कालसी	7454	7446	8	43	35	8
3	विकासनगर	4544	4050	494	387	246	141
4	सहसपुर	1615	1516	99	128	0	128
5	रायपुर	1209	1089	120	85	69	16
6	डोईवाला	1544	1510	34	14	14	0
7	नगर क्षेत्र देहरादून	451	279	172	177	98	79
8	नगर क्षेत्र मसूरी	1073	697	376	395	233	162
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	549	396	153	70	46	24
	कुल योग	20446	18953	1493	1478	914	564

स्त्रोत–विभागीय

(4.2) माइक्रोप्लानिंग

जनपद देहरादून में ग्राम तथा परिवार को इकाई मानकर माइक्रोप्लानिंग किया गया। वर्ष 2000 – 2001 की जनसंख्या एवं विभागीय आँकडों का संकलन किया गया है। विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र स्तर पर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों कों शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ई0जी0एस0 अथवा ए0आई0ई0 खोलने के लिये प्रस्ताव तैयार किये गय है। नये प्राथमिक विधालयों, उच्च प्राथमिक विधालयों के खोलने एवम् वर्तमान समय में विधालय भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार, पेयजल , शौचालय ,चाहरदीवारी पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि सुविधाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा की गई। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये डी0पी0ओ0 एवम् डायट जिला स्तर पर, बी0आर0सी0 ब्लाक स्तर पर,सी0आर0सी0 स्थानीय स्तर एवं नगर क्षेत्र में संकुल केन्द्र स्थापित करने तथा उन्हे संसाधनों से युक्त करने के सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार किये गये। राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 एवम् सीमेट के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम,पाठ्य, पुस्तक संदर्भ पुस्तक एवम् ग्राम शिक्षा समिति की शैक्षिक आवश्कताओं पर आधारित प्रस्ताव तैयार किये गये है।

उपरोक्त क्रिया कलापों के सम्पादन से इस जनपद के ग्राम, बस्ती मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार हुआ तथा समुदाय की भागीदारी सशक्त हुयी । ग्राम्य स्तर पर जन – समुदाय द्वारा बेहिचक अपनी आवश्कताओं की पूर्ति के लिये नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी की गयी। शिक्षा की योजना निर्माण प्रक्रिया में ग्राम प्रधानों पंचायत सदस्यों जनप्रतिनिधियों शिक्षकों एवम् शिक्षा विदों को एक साथ सम्मिलित किया जा रहा है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना निर्माण किया जा रहा है।

4.3 योजना पूर्व गतिविधियाँ

– विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों तथा फोकसग्रुप चर्चा एवम् विचार विमर्श के मुद्दें :–

कम0 सं0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या व विवरण	विचार–विमर्श के मुद्दे एवंम् सम्पादित कार्य
1.	20 मई से 31 मई 2000	समस्त जनपद	–	बालगणना
2.	1 जुलाई से 3जुलाई 2001	समस्त जनपद	–	– स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत सर्वेक्षण, प्रभात फेरियाँ।

3.	दिनांक 5, 6, 7 जुलाई 2001	रूलेक, देहरादून	डायट के प्राचार्य, चार प्रवक्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून	1– सर्व शिक्षा अभियान क्या हैं ? 2.– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना निर्माण प्रकिया। 3– पहुँच, नामांकन, ठहराव, संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा।
4.	दिनांक 16 अगस्त 2001	सर्वशिक्षा अभियान जिला प्रकोष्ठ देहरादून	बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्राचार्य डायट,उप बेसिकशिक्षाअधिकारी,समस्त स0बे0शि0अ0,प्रवक्ता डायट	1 सर्वेक्षण प्रपत्र निर्माण। 2 जिला कोर टीम का गठन। 3 आँकडों एंव सूचनाओं के संकलन के लिए रणनीति तैयार की गई।
5	दिनाँक 30 अगस्त 2001	सर्व शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	विकासखण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला के आयोजन हेतु विचार विमर्श किया गया तथा तिथियाँ सुनिश्चित कर स0बे0शि0अ0 को उत्तरदायित्व सौंपा गया।
6	दिनाँक 3 सितम्बर 2001	सर्व शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	1 योजना निर्माण की प्रकिया। 2 आँकड़ों का विश्लेषण।

				3 फोकस ग्रुप की पहचान। 4 समस्याओं की पहचान। 5 समस्याओं के समाधान की रणनीति तैयार करना।
7	14 सितम्बर 2001	उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्गर,नगर क्षेत्र	1 मलिन बस्ती के सामाजिक कार्यकर्ता। 2 अध्यक्ष प्रा0शि0 संघ उत्तरांचल। 4 प्रा0 एंव उ0प्रा0विद्यालय के शिक्षक। 5 स्वंय सेवी संस्था के पदाधिकारी व सदस्य। 6 शिक्षा अधिकारी। 7 वरिष्ठ प्रवक्ता डायट। 8 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 फोकस ग्रुप चर्चा में मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय तक न पहुँचने की समस्या पर चर्चा हुई। 3 गुणवत्ता विकास पर चर्चा की गई।

8	17 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय रायपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 विकासखण्ड अधिकारी। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 ग्राम व बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गई। 3 स्कूल से बाहर बच्चों के लिए ई0जी0एस0,ए0आई0ई0 केन्द्रों के बारे में चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समितियों के बारे में चर्चा की गई।
9	18 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय डोईवाला,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई।
10	20 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय चकराता,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ज्येष्ठ प्रमुख।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई।

		चकराता,देहरादून	3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता। 5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी 8 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा की गई।
11	दिनांक 21 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ज्येष्ठ प्रमुख। 3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता। 5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा की गई।

			सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी। 9 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य। 10 बहुधंधी कर्मचारी।	6 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 7 नए विद्यालयों के निर्माण एंव अन्य भौतिक आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। 8 जनजाति बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
12	दिनांक 22 सितम्बर 2001	राज्य प्रकोष्ठ,इेहरादून	1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 2 जिला कोर ग्रुप के सदस्य	1 एक वर्षीय कार्ययोजना के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 2 आँकडों एवम् सूचनाओं को संकलित तथा विश्लेषण करने की रणनीति पर चर्चा की गई।
13	दिनांक 24 सितम्बर 2001	विकासखण्ड विकासनगर, देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई। 3 फोकस ग्रुप चर्चा में नामांकन,ठहराव एंव गुणवत्ता विकास की समस्याओं पर बल दिया गया।

			सदस्य।	
14	दिनांक 26 सितम्बर 2001	विकासखण्ड सहसपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन,ठहराव एवम् गुणवत्ता विकास में अवरोधों पर चर्चा हुई।

15	18 अक्टूबर 2001	जनपद देहरादून	1 एन0एस0डार्ट के निदेशक तथा विशेषज्ञ। 2 शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल। 3 मुख्य विकास अधिकारी। 4 जिला विकास अधिकारीं। 5 समस्त बी0डी0ओ0। 4 क्षेत्रीय विधायक। 5 समस्त ब्लाक प्रमुख,प्रधान,पंचायत सदस्य,पालिका अध्यक्ष	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 जिले का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु एन0एस0डार्ट के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा चिन्हित समस्याओं :– जैसे भौतिक संसाधनों की कमी,शिक्षकों की कमी,गुणवत्ता आदि का विश्लेषण किया गया।
16	09 अप्रैल से 15 अप्रैल 2002	जनपद देहरादून	1. जिला कोर टीम के सदस्य। 2. राज्य परियोजना के विशेषज्ञ।	1. दि0 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना में स्वीकृत एंव आवंटित बजट पर चर्चा। 2. वर्ष 2002–03 की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट पर चर्चा की गई।

अध्याय–5

समस्यायें एवं रणनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का शत्–प्रतिशत् नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जाना है। ठहराव के साथ–साथ शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाए जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु जनपद के विकासखण्ड़ों एवं नगरक्षेत्रों में ग्राम्य, बस्ती, मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशालाओं, गोष्ठियों तथा फोकस ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों, शिक्षाविदों समुदाय के विभिन्न वर्गो, ग्राम प्रधानों अभिभावकों आदि ने प्रतिभाग किया। फोकसगुप डिस्कशन एवं ग्राष्ठियों में सम्पन्न चर्चा से उभरे मुद्दों के समाधान के लिये इस अभियान के अन्तर्गत जो रणनीतियाँ अपनाई जायेगी उनका वर्णन निम्नवत हैं–

समस्यायें	रणनीतियाँ
(अ) शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी	
1– सामाजिक एवम् आर्थिक पिछड़ापन	जनपद में मलिन बस्तियों एवम् जनजाति क्षेत्र की महिलाओं में समाजिक चेतना जागृत करने तथा बच्चों एंव उनके माता पिता,अभिभावकों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन हेतु महिला मँगल दल, महिला सशक्तीकरण,कला जत्था, जनसम्पर्क आदि का

	क्रियावयन ग्राम शिक्षा समितियों एवम् जागरूक नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।
2–जनपद में असेवित बस्तियों मे विद्यालय का अभाव	जनपद में ऐसी असेवित बस्तियाँ जहाँ की आबादी 200 या इससे अधिक हैं तथा 1 कि0मी0 की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं,वहाँ पर विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा।ऐसे ग्राम व बस्ती जहाँ पर 6–11 वय वर्ग के 20 बच्चे उपलब्ध हैं, वहाँ पर ई0जी0एस0 खोले जाएगें तथा ड्राप आउट होने वाले बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्र खोले जाएगें।
3–शिक्षा की उपादेयता का संदिग्ध होना।	जनपद की मलिन बस्तियों तथा जनजाति क्षेत्रों की बस्तियों के लोगों के लिए व्यवसाय या धन कमाना,शिक्षा के अपेक्षाकृत प्रमुख है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपादेयता पर लगे प्रश्नचिन्ह के समाधान के लिए उ0प्रा0 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा,जिससे

	बच्चों में आत्मनिभरता का विकास हो सके तथा उनका आर्थिक पिछडापन भी दूर होसके। विशेषकर बालिकाओं के लिए कढाई,बुनाई, सिलाई, चटाई निर्माण, झाडू निर्माण, टोकरी निर्माण, मोमबत्ति बनाना, जूस, चटनी ,अचार, जैली बनाना आदि सिखाने का प्राविधान किया जाएगा।
4–जनपद में निजी(पब्लिक,मोन्टेसरी) विद्यालयों के प्रति आर्कषण।	इस जनपद में अभिभावक अपने बच्चों को अधिक शुल्क अदा करके अंग्रेजी स्कूल में पढाना अपने सामाजिक स्तर का प्रतीक मानते हैं। जनपद के सभी परिषदीय तथा मान्यताप्राप्त विद्यालयों की भौतिक आवश्यकताओं जैसे कक्षा–कक्ष, शौचाजय,पेयजल,चाहरदीवारी,साज–सज्जा आदि की उपलब्धता करायी जाएगी। नगर क्षेत्र देहरादून में 10 प्रा0वि0 को एवम् दो उ0प्रा0वि0 को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा

	अध्यापक/अभिभावक संघ की सहभागिता से मेज–कुर्सी,कम्प्यूटर आदि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी तथा कक्षा 1 से अंग्रेजी का शिक्षण कराया जाएगा। अध्यापक–अभिभावक संघ के प्रस्तावनुसार अतिरिक्त शुल्क का प्राविधान किया जाएगा।
ब:– नामांकन सम्बन्धी समस्या 1–अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि।	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रूचि जागृत करने के लिए माह जुलाई में प्रथम 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान, जनसम्पर्क, अभिभावक गोष्ठी, नुक्कड़नाटक आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
2–भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले एवम् आदि के कारण शिक्षा में अवरोध	जनपद के चकराता, कालसी एवम् जंगल रायपुर विकास खण्ड के पर्वतीय भाग के ऐसे बस्तियों/मजरों में जहाँ भौगोलिक अवरोध के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं हो पाते हैं वहाँ मानक के अनुसार

	ई.जी.एस. व ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेगें तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ें जायेगें।
3. अध्यापकों का समुदाय से अलगाव।	अध्यापक एंव समुदाय में पारस्परिक सद्भावना जागृत करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति को सकिय बनाया जाएगा। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा लक्ष्य क्षेत्र में अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। महिला अध्यापिका द्वारा ग्राम या बस्ती की महिलाओं से संपर्क किया जाएगा तथा उन्हें शिक्षा के गुणों के बारे में बताया जाएगा।
4.अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति रूचि में कमी	बालक को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है तथा बालिका को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है इस संदेश के द्वारा जनपद में सेमिनार,गोष्ठी एंव फोकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।

5 विद्यालय के कियाकलापों के प्रति बच्चों की अरूचि	कक्षा शिक्षण को रूचिपूर्ण बनाने के लिए आकर्षक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण रिया जाएगा तथा शिक्षकों को रूचिपूर्ण शिक्षण विधाओं का कक्षा शिक्षण में योग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
(स) ठहराव 1–विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना	जनपद के प्रा0वि0 एवम् उवप्रा0वि0 के विद्यालय भवन के अग्रभाग पर तथा कक्षा–कक्ष की दीवारों पर नैतिक वचन एवम् सूक्तियों को लिखवाया जायेगा । कक्षा कक्ष का आन्तरिक सौन्दीकरण किया जायेगा जो सहायक शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित होगा । विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण एवम् पुष्प वाटिका की व्यवस्था की जायेगी जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा।
2. अभिभावकों द्वारा बच्चों की अन्य सुविधाओं को अधिक महत्व देना	शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए अभिभावकों

	की गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा तथा शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।
3. अध्यापकों द्वारा अपने विभाग के साथ साथ अन्य शासकीय / विभागीय कार्यो का निष्पादन करना।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य कराए जाए। पठन–पाठन के लिए निर्धारित समय का पूर्ण उपयोग की स्थिति बनाई जायेगी।
4. विद्यालयों में फर्नीचर उपकरण एवम् पेयजल, शौचालय एवम् विद्युतीकरण,चाहरदीवारी का अभाव	विद्यालयों में शिक्षकों के सापेक्ष कुर्सी मेज व्यवस्था बच्चों को बैठने हेतु टाट पट्टी तथा शिक्षण कार्यो में सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे विद्यालय जो विधुतीकृत ग्रामों मे स्थिति है, वहाँ विधुतीकरण की व्यवस्था की जायेगी तथा चाहरदीवारी, पेयजल एवम् शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति की सहायता ली जाएगी।

द. गुणवत्ता सम्बन्धी 1. ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी एंव सदस्यों को दायित्वों की जानकारी न होना। के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा अपने ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिसमे भवननिर्माण रखरखाव , नामांकन एंव ठहराव सम्बन्धी सम्बन्धी कार्यो में सम्बन्धी कार्यो में गुणवत्ता प्रदान करने की जानकारी दी जाएगी।
2. विद्यालयों में बच्चों की अनियमित उपस्थिति	विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए अभिभावकों एवम् बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। ऐसे बालकों या बालिकाओं को अपने छोटे भाई या बहिनों की देखभाल के लिए धर पर ही रह जाते हैं उनके लिए ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
3. अध्यापकों की शिक्षण कार्य में अरूचि	अध्यापकों की शिक्षण कार्य में रूचि उत्पन्न हो इसके लिए अध्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाएगा। शिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले

	शिक्षकों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा तथा शिक्षण कार्य में रूचि न रखने वाले एंव खराब परीक्षाफल देने वाले शिक्षकों के लिए दण्ड का प्राविधान किया जाएगा।
4. अध्यापक की व्यवहार कुशलता एंव व्यक्तित्व में ह्रास।	अध्यापक का व्यवहार मधुर हो,बच्चों के दैनिक जीवन के प्रति संवेदनशील हो तथा उनके मस्तिष्क में अध्यापक की छवि सकारात्मक आत्मीय एवम् प्रभावी हो इसके लिए अभिप्रेरण कार्यकम चलाया जाएगा।
5. विद्यालय,शिक्षक एंव विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यकमों का न होना।	प्राथमिक स्तर पर बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यकमों की व्यवस्था की जाएगी।
6. उपयुक्त निरीक्षण का अभाव	जनपद के निरीक्षक वर्ग के लिए नियोजन एवम् प्रबन्धन तथा एम0आई0एस0 से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

7.. विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव	विद्यालय अनुदान तथा शिखक अनुदान के उपयोग से कक्षावार तथा विषय वस्तु पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करवाया जाएगा।
य. संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी 1.जनपद में संसाधन केन्द्रों का अभाव	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में **6** बी0आर0सी0, **01** एन0आर0सी0 तथा **88** सी0आर0सी0 की स्थापना/निर्माण किया जाएगा।

उपरोक्त समस्याओं के अलावा जनपद में भविष्य में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाएगी तथा उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार

(6.1) नवीन विद्यालय :

जनपद देहरादून की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ ऐसे क्षेत्र भी है, जिन ग्रामों बस्तियों में विद्यालय की सुविधा नहीं है। यहाँ पर रह रहे बच्चे अपनें शारीरिक एवं भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते है। इन बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था कर नामांकन बढ़ाया जायेगा। यह जनपद प्रथम बार परियोजना से आच्छादित हो रहा है। विभागीय सर्वेक्षण के माध्यम से कतिपय असेवित बस्तियाँ उभर कर सामने आयी है। चूंकि सर्वशिक्षा अभियान की मंशा वर्ष 2003 तक समस्त बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की है अतः अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य को, एक वर्षीय योजना में पूर्ण कराने पर विशेष बल दिया जायेगा, ताकि 2003 तक शत् प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकें। असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव आगे सारिणी में दर्शाये गये हैं।

(6.2) निर्माण की प्रक्रिया

- माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित बस्तियों मे आवश्यकतानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया जायेगा।
- स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जाएगी।
- स्थल चयन के उपरान्त ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।
- विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एवम् प्रधानध्यापक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें । धन का हिसाब प्रधानाध्यापक के पास रहेगा ।
- धनराशि ग्राम प्रधान के पास पहुँच जाने पर निर्माण कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा।इस आशय का शपथ प्रमाणपत्र, निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जाएगा।
- निर्माण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए विद्यालय के सूचना पट्ट पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान एवम् खर्च का स्पष्ट विवरण लिखकर प्रदर्शित किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को अबाध गति प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अनुश्रवण कराने की व्यवस्था की जाएगी ।

(6.3) नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

एक वर्षीय योजना में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2002–03

सारिणी 6–1 विकासखण्ड वार/नगर क्षेत्र वार

क्र0सं0	विकासखण्ड/नगरक्षेत्र	असेवित बस्तियां	प्रस्तावित नये प्राथमिक विद्यालय
1.	चकराता	31	02
2.	कालसी	28	02
3.	विकास नगर	27	04
4.	सहसपुर	24	02
5.	डोईवाला	28	0
6.	रायपुर	26	02
7.	देहरादून न0 क्षे0	–	–
8.	मसूरी न0क्षे0	–	–
9.	ऋषिकेश	–	–
	योग	**164**	**12**

इस जनपद में 164 असेवित बस्तियों में 6–11 वय वग्र के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के पहुँच से बाहर है 11 कि0मी0 के दायरे में 2 से 5 बस्तियाँ है, जहाँ पर मानक के अनुसार 200 की जनसंख्या एवम् 6–11 वय वर्ग के बच्चों की ुल संख्या–40 उपलब्ध है। नवीन विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे ग्रामों एवम् बस्तियों में स्थापित होगें, जो अत्यधिक दुर्गम एवम् पिछडें है तथा जिन बस्तियों में अनु0 जाति, जनजाति की संख्या अधिक है। इस तरह विकास खण्ड चकराता में 02, कालसी में 02, विकास नगर में 04, सहसपुर 02, तथा रायपुर में 02 नवीन प्राथमिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया गया है। असेवित ग्रामों बस्तियों के माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ग्राम प्रधान से भमि का प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। इन नवीन विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक एवं एक शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

(6.4) नयें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :

- जनपद में कुल परिषदीय प्राथमि विद्यालयों की संख्या – 831 है।
- 2.1 के मानक के अनुसार उ0प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता – 415 है।
- वर्तमान में जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 197 है।
- हाई स्कूल एवम् इण्टर कालेजों की संख्या जिसमें 6 सक 8 तक के बच्चे अध्ययन करते है – 74 है।

इस तरह जनपद में कुल 144 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। एक वर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में, 06 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। विकास खण्ड चकराता में 01, विकासनगर में 01, सहसपुर में 01, रायपुर में 02, तथा देहरादून नगर क्षेत्र में 01, उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। असेवित बांस्तियों की माइक्रोप्लानिंग कर ग्राम प्रधान तथा नगर क्षेत्र में सभासद से भवन निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जायेगा। इन निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जायेगा। इन नवीन विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा 03 सहायक अध्यापकों की नियुकित की जायेगी।

(6.5) भवन निर्माण

इस जनपद में **162** प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनके भवन ध्वस्त हो चुके है या जर्जर स्थिति में है।इन विद्यालयों के भवनों का पुनः निर्माण की आवश्कता है अतः एक वर्षीय योजना **वर्ष 2002–03** में **30** प्राथमिक विद्यालय भवनों के पूर्ण निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। इन विद्यालयों में अध्यापक मानके के अनुसार उपलब्ध है। इसी तरह **21** उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों को पूर्ण निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है, इन विद्यालयों में भी अध्यापक मानक के अनुसार उपलब्ध है । उपरोक्त दोनो प्रकार के विद्यालयों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। दिसम्बर 2001–02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 15 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उ0 प्रा0 विद्यालय भवन के पुनः निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसमें 12 प्राथमिक विद्यालय एवं 07 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये बजट का आंवटन किया गया है शेष को वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है।

(6.6) अतिरिक्त कक्षा कक्ष :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार छात्र नामांकन के सापेक्ष तथा वर्तमान में कक्षा–कक्ष की कमी के कारण, प्राथमिक विद्यालयों में 80 अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण के लिये प्रस्ताव किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में 17 विद्यालय एक कक्षीय है तथा शेष 45 विद्यालयों में छात्र नामांकन के सापेक्ष अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

03 विद्यालयों में छात्र नामांकन के सापेक्ष अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 03 विद्यालय दो कक्षीय है, 11 विद्यालय तीन कक्षीय है तथा शेष 24 विद्यालयों में छात्र नामांकन के सापेक्ष अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्कता है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण के लिये भूमि का चिन्हीकरण कर ग्राम शिक्षा समिति का प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवम् विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा।

(6.7) भवन मरम्मत :

जनपद में 477 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का चिन्हीकरण किया गया है, जिनमें दीर्ध एवम् लघु मरम्मत की आवश्यकता है। 36 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को दीर्ध एवम् लधु मरम्मत हेतु चिन्हित कर प्रस्तावित किया गया है। मरम्मत कार्य के अन्तर्गत फर्श, छत, दीवारें, खिड़की, दरवाजे आदि मुख्य रूप से सम्मिलित होगें। विद्यालय भवन में मरम्मत कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त किये जायेगें। मरम्मत कार्य पाँच हजार रूपये के अन्तर्गत पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। मरम्मत कार्य में अधिक लागत आने पर ग्राम शिक्षा समिति से सामुदायिक सहभागिता कराकर पूर्ण किया जायेगा। भवन मरम्मत का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

(6.8) पेयजल व्यवस्था :

इस जनपद में **120** प्राथमिक विद्यालयों तथा **35** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में पेयजल व्यवस्था का प्रस्ताव है। जनपद के मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों में हैण्डपम्प तथा पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में नल (पाइप लाइन) की व्यवस्था की जायेगो। तथा माइक्रोप्लानिंग के आधार पर पेयजल सुविधा की आवश्कताओं की पहचान की जाएगी तथा ग्राम शिक्षा समिति से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। इस कार्य को पूर्ण कराने का उत्तर दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा। दिसम्बर 2001–मार्च 2002 की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत **25** प्रा0वि0 तथा **20** उ0प्रा0वि0 में पेयजल व्यवस्था की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। परन्तु 23 प्राथमिक विद्यालयों एवं 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था के लिये बजट का आवंटन हुआ है। शेष विद्यालयों को वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है।

(6.9) शौचालय निर्माण :– इस जनपद में **78** प्राथमिक विद्यालयों तथा **40** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक एवम् बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी। शौचालय निर्माण के लिए भूमि का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति से

प्राप्त किया जाएगा। निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवम् विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा।

(6.10) चाहरदीवारी का निर्माण

इस जनपद में 45 प्राथमिक विद्यालयों तथा 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहर दीवारी के लिए प्रस्ताव किया गया है। चाहर दीवारी निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त किया जायेगा तथा निर्माण कार्य के लिए ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवम् प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार बनाया जायेगा।

(6.11) ब्लाक संसाधन केन्द्र

इस जनपद मे एक वर्षीय योजना के अर्न्तगत 05 बी.आर.सी. की स्थापना की जायेगी। दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 02 बी0आर0सी0 की स्वीकृति एवं बजट आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया है। बी. आर. सी. के विकास खण्डों के मुख्यालयों पर स्थापित होगा । बी. आर. सी. की स्थापना के लिए सम्बन्धित विकास खण्डों की क्षेत्र पंचायत समितियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें तथा इसी समिति की सहायता से भूमि का चिन्हांकन कर क्षेत्र पंचायत के संरक्षण में निर्माण कार्य कराया जायेगा । नगर संसाधन केन्द्र के लिये नगर सभासदों की बैठक में स्थल का निर्धारण किया जायेगा, तत्पश्चात् निर्धारित स्थल पर निर्माण कार्य कराया जायेगा । उस क्षेत्र के सभासदों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसके संरक्षण में निर्माण कार्य होगा । निर्माण कार्य एवम् उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर शिक्षा अधक्षिक की होगी तथा वी.आर.सी. के निर्माण एवम् गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर शिक्षा अधीक्षक की होगी तथा बी.आर.सी. के निर्माण एवम् गुणवत्ता के लिये सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होगें।

इन संसाधन केन्द्रों पर प्रशिक्षण कक्ष, कार्यालय/कोओर्डिनेटर कक्ष, प्रतिभागियों के ठहरने के लिये कक्ष, भोजनालय,पेयजल, सुविधा, चाहर दीवारी , स्टोर, शौचालय (महिला/पु0) विधुतीकरण, फर्नीचर, साज सज्जा तथा शैक्षिक उपकरणों की वयवस्था की जाएगी। इन संसाधन केन्द्रों पर कोओर्डिनेटर के रूप में उ0प्रा0वि0 के अनुभवी शैक्षिक नवाचारों के प्रति रूचि रखने वाले, प्रधानाध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर, तथा एक चौकीदार की नियुक्ति ब्लाक कोर टीम के संस्तुति एवम् जिला परियोजना के अनुमोदन पर एक वर्ष की परिवीक्षा काल पर की जाएगी।

(6.12) सी0आर0सी0

इस जनपद कीं भौगलिक जटिलताओं एंव आवागमन की असुविधाओं को देखते हुए 88 सी.आर.सी. बनाने की आवयकता है। एक वर्षीय योजना 2002–03 में, 22 सी.आर.सी. प्रस्तावित है। दिसम्बर 2001 से मार्च 02 की कार्ययोजना के अन्तर्गत 02 सी0आर0सी0 के लिए बजट का आवंटन किया जा चुका है। एक सी.आर.सी. के अर्न्तगत 12 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय होगे। एक सी.आर.सी.के अन्तर्गत 12 विद्यालयों के प्रविधान से अनुश्रवण एंव निरीक्षण प्रभावी हो सकेगा। सी.आर.सी. के संचालन के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की जायेगी।

सी.आर.सी. की समस्त गतिविधियो, सूचनाओं के प्रेषण आदि के लिए सी.आर.सी. कोआर्डिनेयटर उत्तरदायी होगे। सी आर सी के अन्तर्गत एक चौकीदार की व्यवस्था होगी। सी आर सी में एक प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण किया जायेगा। तथा इस केन्द्र को सभी मूलभूत सुविधाओ से सम्पन्न बनाया जायेगा। निर्माणकार्य ग्राम शिक्षा समिति की देख रेख मे होगा। तथा सी आर सी कोआर्डिनेटर निर्माण कार्य एवं गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होगे।

(6.12) शिक्षकों की नियुक्ति :

➢ प्राथमिक विद्यालय –

प्राथमिक विद्यालयो मे **40:1** के अनुपात मे तथा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय मे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत **2** शिक्षको की अनिवार्यत तैनाती की जाएगी। इस प्रकार वर्ष **2002–03 में 12** नये प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये है, इन विद्यालयो मे **12 शिक्षकों** की नियुक्ति की जायेगी।

➢ उच्च प्राथमिक विद्यालय – जनपद मे वर्ष **2002–03 में 06** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है, अत. **06** प्रधानाध्यापक एवम् **18** सहायक अध्यापको की नियुक्ति की जाएगी। ये अध्यापक विभागीय प्रोन्नति से नियुक्त होगे। इन प्रोन्नतियों के फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों मे रिक्त पदो पर शिक्षा मित्रो की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही जनपद में दशम वित्त आयोग योजना के अंर्तगत संचालित 08 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमे पद स्वीकृत/सृजित नहीं हैं मे 24 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।

(6.13) निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालय" (वर्ष 2002 – 2003)

प्राथमिक स्तर

क्र.सं.	विद्यालय के प्रकार	बालिकाओं की संख्या			
		सभी वर्ग	अनु.जाति	अनु.जनजाति	योग
			बालक	बालक	
1	पारं. प्राथमिक विद्यालय	37743	11950	7687	57380
उच्च प्राथमिक स्तर					
1	उच्च प्राथमिक विद्यालय	[illegible]	2202	[illegible]	[illegible]
2	बालिका [illegible]	507	[illegible]	5625	
	आश्रम विद्यालय(उच्च प्राथमिक स्तर)				
	योग	**51054**	**14659**	**10243**	**75956**

सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत **37743** बालिकाओं, **11950** अनु जाति के बालकों तथा **7687** अनु जनजाति के बालकों को वर्ष **2002–2004** में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय एवम् अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के **13311** बालिकाओं, **2709** अनुजाति के बालकों तथा **2556**अनु.जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा ।पाठ्य पुस्तकों की मूल्य सीमा रू **150/–** के अर्न्तगत होगी।

सारिणी 6.(अ)

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता

क्र0स	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	बी0आर0सी	सी0आर0सी	अतिरिक्त कक्ष	चाहरदीवारी	भवन की आवश्यकता (पुन:निर्माण)		पेयजल की आवश्यकता		शौचालय की आवश्यकता	
		2002– 03 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित
1	चकराता	01	04	05	05	46	05	106	19	85	11
2	कालसी	01	03	05	05	50	05	101	19	88	11
3	विकासनगर	01	03	16	07	22	04	48	19	42	12
4	सहसपुर	00	03	17	08	25	04	54	19	55	12
5	रायपुर	00	03	17	08	40	04	47	19	39	12
6	डोईवाला	01	03	16	08	22	04	52	19	55	12
7	न0क्षे0दे0दून	01	01	02	02	10	02	06	02	06	04
8	न0क्षे0मसूरी	00	01	01	01	2	01	04	02	12	02
9	न0क्षे0 ऋषिकेश	00	01	01	01	4	01	04	02	10	02
	योग	05	22	80	45	221	30	422	120	392	78

सारिणी 6.(ब)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता

क0स	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	अतिरिक्त कक्ष		चाहरदीवारी		भवन की आवश्यकता (पुनःनिर्माण)		पेयजल की आवश्यकता		शौचालय की आवश्यकता	
		2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित
1	चकराता	03	03	24	01	14	2	12	06	21	05
2	कालसी	02	02	16	01	12	2	10	05	22	05
3	विकासनगर	09	09	25	02	4	2	12	05	11	05
4	सहसपुर	10	09	29	03	9	2	11	05	8	06
5	रायपुर	09	08	16	03	10	2	8	05	19	06
6	डोईवाला	07	07	26	03	10	2	7	05	7	06
7	हा0/इ0 से	.	.	.	.	सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	0	12	00	37	00
7	न0क्षे0दे0दून	03	02	01	01	1	0	3	02	22	03
8	न0क्षे0मसूरी	.	00	.	.	0	0	0	01	1	02
9	न0क्षे0ऋषिकेश	.	00	.	.	0	0	0	01	1	02
	योग	43	40	137	14	60	12	75	35	149	40

अध्याय–7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार
(शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवमं नवाचार शिक्षा)
E.G.S. / A.I.E. योजना

(7.1) शिक्षा गारंटी केन्द्र (ई.जी.एस.)

इस योजना के अर्न्तगत **6–8** वय वर्ग के बच्चों को पंजीकृत कराया जायेगा जो ग्राम/बस्ती/मजरा/मोहल्ले प्राथमिक विद्यालय से **1** कि0मी0 की दूरी पर हैं तथा उस **बस्ती में 20** बच्चे उपलब्ध हो, वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्र खोले जायेगें। इन केन्द्रों के लिये अनुदेशक प्रति केन्द्र प्रस्तावित है।
माइक्रोप्लानिंग के आधार पर विकासखण्डवार ई0जी0एस0 खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

(7.2) वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा (ए.आई.ई.)

यह कार्यक्रम **9–14** वयवर्ग के बच्चों के लिये है, जो किन्ही कारणों से न तो स्कूल गये है अथवा ड्रापआउट हो गये है। ऐसे सुविधा वंचित या अभाव ग्रस्त बच्चों के लिऐ वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिस बस्ती मजरे में बच्चे उपलब्ध होगें वहाँ ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेगें। ए.आई.ई. केन्द्र दो प्रकार के होगें।

1. प्राथमिक स्तर
2. उच्च प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर एक अनुदेशक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर दो अनुदेशको की व्यवस्था की जायेगी।

(7.3) माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन

1. अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति।
2. जिन बस्तियों में बालिकाओं की शिक्षा प्रतिशत कम है।
3. जिन क्षत्रों में ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो
4. बाल श्रमिक घुमन्तू , वनगूजर, बंजारे एवम् विकलांग बच्चों की संख्या अधिक हो।

7.4 सारिणी

क्र.स.	ब्लाक/नगर	ई.जी.एस. केन्द्र संख्या	ए.आई.ई केन्द्र संख्या
1.	चकराता	06	02
2.	कालसी	03	02
3.	विकास नगर	02	—
4.	सहसपुर	03	01
5.	डोईवाला	03	01
6.	रायपुर	05	01
7.	देहरादून न. क्षे.	01	01
8.	मसूरी न.क्षे.	00	—
9.	ऋषिकेश	—	—
	योग	23	08

एक वर्षीय योजना के अर्न्तगत वर्ष दिसम्बर **2001 – मार्च 2002** में इस जनपद के असेवित बस्तियाँ/मलिन बस्तियों एवम् शाला त्यागी छात्र छात्राओं के लिऐ शिक्षा गांरटी केन्द्र तथा वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। कालम. **1** में **6 – 8** वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिऐ ई0जी0एस0 केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। तथा कालम न0 2 में 9 से 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो के लिए ए0 आई0 ई0 केन्द्र प्रस्तावित किय गयें है।

(7.5) शिक्षा गांरटी केन्द्रों का संचालन –

ई.जी.एस. का संचालन का समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक होगा। ए.आई.ई. केन्द्रों का संचालन का समय प्रतिदिन चार घंटे का होगा । ये सभी केन्द्र दिन में ही ई0जी0एस0 तथा प्राथमिक विद्यालयों के समयनुसार ही संचालित किये जायेगें।

(7.6) अनुदेशकों का चयन

अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । अनुदेशक उसी स्थान व समुदाय का होगा जहाँ पर ई.जी.एस एवम् ए.आई.ई.ई0सी0सी0ई0 तथा बाल मित्र केन्द्र स्थापित होना है। ई0सी0सी0ई0 तथा बाल मित्र केन्द्र में कमशः महिला कार्यकत्री तथा महिला सहायिका की व्यवस्था की जाएगी। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी तथा उम्र 18 वर्ष अनिवार्य है। महिलाओं को वीरयता दी जाएगी। चयन का आधार हाईस्कूल के प्राप्तांको का प्रतिशत होगा। अनुदेशक को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा । अनुदेशक का कार्य संतोष जनक न होने

पर आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निरस्त किया जाएगा । उसके स्थान पर समिति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण पत्र निर्गत करेगी ।ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

नगर क्षेत्र के ई.जी.एस. एवम् ए.आई.ई केन्द्रों पर अनुदेशेकों का चयन शिक्षा अधीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभासद, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक की समिति द्वारा की जायेगी। ई.जी.एस. एवम् ए.आई.ई केन्द्र मकतब एवम् मदरसों में खोले जायेगें। मकतब एवम् मदरसों के अनुदेशक मौलवी एवम् मुस्लिम समुदाय का ही सदस्य होगा। उच्च प्राथमिक केन्द्र हेतु अनुदेशक की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट होगी तथा उम्र 21 वर्ष हो। महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(7.7) अनुदेशकों का प्रशिक्षण

अनुदेशकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान डायट में सम्पन्न होगा। यह प्रशिक्षण तीस दिन का होगा एवम् आवासीय होगा ।अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में अनुदेशकों को मानदेय के रूप में कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी। एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य परियोजना द्वारा प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा तथा मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएगें।

7.8 अनुदेशकों का मानदेय विवरण :–

अनुदेशको का मानदेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से एक हजार रूपये प्रति अनुदेशक की दर से 6 माह का मानदेय ग्राम शिक्षा समितियों के संयुक्त खाते में प्रेषित कर दिया जायेगा। जिसे अनुदेशक पूरे माह केन्द्र पर कार्य करने के पश्चात् ग्राम प्रधान एंव सचिव चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नगर क्षेत्र के अनुदेशकों का मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप दिया जायेगा। अनुदेशक का कार्य संतोषजनक होने पर ही शिक्षा अधीक्षक भुगतान की कार्यवाही करेगे। यह धनराशि वरिष्ठ प्रधानाध्यापक एंव सभासद के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। अनुदेशकों के मानदेय का चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(7.9) पर्यवेक्षण :

ई.जी. एस. एंव ए. आई. ई. केन्द्रो का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविद्यालय निरीक्षक बी0आर0.सी0 समन्वयक, संकुल समन्वयक तथा ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किया जायेगा।

नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक सहायक शिक्षा, अधीक्षक एन0 आर0 सी0 समन्वयक, संकुल समन्वयक एंव सभासद द्वारा किया जायेगा।अनुदेशकों की मासिक बैठको का आयोजन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रतिउपविद्यालय निरिक्षक द्वारा की जायेगी। नगर क्षेत्र की मासिक बैठके शिक्षा अधीक्षक द्वारा सम्पन्न की जायेगी। अनुदेशकों के मासिक बैठकों में

जनपद स्तरीय अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपबेसिक शिक्षा अधिकारी अनुश्रवण हेतु प्रतिभाग करेगे। इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के

प्रधानाध्यापक करते रहेगें तथा शिक्षण कार्य की प्रगति अपने अधिकारियों को प्रतिमाह देते रहेगे। ग्राम शिक्षा समिति इन केन्द्रो के संचालन पर नजर रखेगी और समय समय पर अपने सुझाव अनुदेशकों को देगी। डायट के अधिकारी भी इन केन्द्रो पर समय समय पर अनुश्रवण हेतु जायेगे। पर्यवेक्षण का कार्य सभी अधिकारी से एक रोस्टर प्रणाली द्वारा किया जायेगा। जिससे सभी केन्द्रो का पर्यवेक्षण नियमित होता रहे।

(7.10) सहायक शिक्षण सामग्री

ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की साज सज्जा एंव शिक्षण सामग्री के लिए धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गाम शिक्षा समिति के खातों मे भेज दी जायेगी। ये समितियॉ अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त सामग्री नियमानुसार बाजार मूल्य पर क्रय करके सीधे अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगें। केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्यपुस्तकें भी ग्राम शिक्षा समिति क्रय करके अनुदेशकों के माध्यम से बच्चो को उपलब्ध करायेगी। यह पाठ्यपुस्तके वहीं होगी जो प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से ही चल रही है।

(7.11) छात्र/छात्राओं का मूल्याकंन

शिक्षा गारंटी योजना एंव वैकिल्पक शिक्षा केन्द्रो पर पढ़ने वाले बच्चों का यूनिट मूल्याकंन प्रतिमाह अनुदेशकों द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। अनुदेशक द्वारा बच्चे का तिमाही छमाही तथा वार्षिक मूल्याकंन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशक के शिक्षण कार्य का मून्याकंन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वी0 आर0 सी0 समन्वयक एंव सकुल प्रभारियों के द्वारा की जायेगी।

(7.12) प्रबन्ध लागत :

ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 केन्द्रों की अधिकतम लागत में **6** प्रतिशत धनराशि राज्य एंव जिला/ विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक प्रबन्धन पर होने वाला व्यय में सम्मिलित है। विकासखण्ड स्तर पर प्रबन्धन की लागत निम्नवत होगी।

80–100 केन्द्रों के मध्य – 2.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष

50–80 केन्द्रों के मध्य – 2 लाख रूपए प्रतिवर्ष

25–50 केन्द्रों के मध्य – 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष

25 से कम केन्द्रों के मध्य – 100 रूपए प्रति छात्र प्रतिवर्ष

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद के शैक्षिक सर्वेक्षणों,शोध अध्ययनों एवं निरीक्षणों से यह परिणाम सामने आये हैं कि जनपद में नामांकन की अपेक्षा ठहराव की अधिक समस्या है। विद्यालयों में ठहराव स्थापित करने के लिये निर्माण कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण में सहायक सामग्री की गुणवत्ता, शिक्षण अधिगम उपकरणों की उपलब्धता के साथ अध्यापकों की दक्षता विकास के लिये नवाचार युक्त प्रशिक्षणों की आवश्यकता व आयोजन अति आवश्यक है। ठहराव में वृद्धि के अंतर्गत अनुभूत आवश्यकताओं में सामुदायिक सहभागिता की उपयोगिता अनिवार्य हो जाती है। शैक्षिक व्यवस्था में समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है। अतः समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिये आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उक्त कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियाचयन एवं सर्व शिक्षा अभियान को गतिशील बनाने के लिये सम्यक पश्चपोषण, शोध अध्ययन, क्रियात्मक शोध, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा। अनुश्रवण, पश्चपोषण, शोध अध्ययन एवं क्रियात्मक शोध से मिले तथ्यों का प्रकाशन स्मारिका के रूप में किया जायेगा। ठहराव एवम् वृद्धि के अर्न्तगत निम्नलिखित युक्तियों का प्रविधान जा रहा है।

ठहराव में वृद्धि एंव गुणवत्ता सम्वर्द्धन के अन्तर्गत

(8.1) शिक्षण अधिगम उपकरण (टी.एल.ई.)

स्थानीय आवश्यकताओं का निर्धारण शिक्षकों एवम् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय समिति द्वारा किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चिन्हित आवयकताओं / समस्याओं के निदान हेतु शिक्षकों से परामर्श कर विद्यालय स्तर पर टी.एल.ई. की व्यवस्था की जायेगी। इसके अर्न्तगत विज्ञान प्रयोगशाला का विशेष रूप से प्राविधान किया जाएगा। शिक्षक अधिगम उपकरण का क्रय रू0 **50000/–** के अर्न्तगत किया जायेगा । वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में 160 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण–अधिगम उपकरण (टी0एल0ई0) के लिये प्रस्ताव है। दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना के अन्तर्गत 135 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी0एल0ई0 के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये बजट आवंटित है। शेष स्वीकृति विद्यालयों के लिये टी0एल0ई0 का प्रस्ताव वर्ष 2002–03 की कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8.2) विद्यालय अनुदान :

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय के लिये दो हजार रूपये प्रतिवर्ष अनुदान का प्रविधान है। यह धनराशि विद्यालय की निष्प्रयोज्य हुयी साम्रगी के स्थान पर नयी साम्रगी क्रय

करने के लिए प्रयुक्त की जायेगी। विद्यालय अनुदान की प्राप्त धनराशि का उपभोग ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा ग्राम शिक्षा समिति /विद्यालय समिति व्यय विवरण को पारदर्शी बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगे। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में 831 प्राथमिक विद्यालय एवं 260 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये विद्यालय अनुदान का प्रस्ताव है।

(8.3) शिक्षक अनुदान

जनपद के प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी । प्रत्येक अध्यापक को शिक्षक अनुदान की पारदर्शी व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में 1977 प्राथमिक शिक्षकों तथा 848 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये शिक्षक अनुदान का प्रस्ताव है।

(8.4) प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम (वर्ष 2002–03)

क्र0. सं0	कार्यक्रम शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि (दिनांक ..... से ..... तक)	दिवस	चक्र
1.	ए0ई0 तथा जे0ई0 के लिये प्रशिक्षण	07	6 मई से 10 मई 02 तक	05	01
2	निरीक्षक वर्ग (ए0बी0एस0 ए0/एस0डी0आई0) के लिए प्रशिक्षण	30	10 जून से 14 जून 02 तक	05	01
3	डायट के स्टाफ के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम	28	08 जुलाई से 14 जुलाई 02 तक	07	01
4	प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण	28	05 अगस्त से 14 अगस्त 02 तक	10	01
5	उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण	28	19 अगस्त से 28 अगस्त 02 तक	10	01
6	वी0आर0सी0 तथा ए0बी0 आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	21	21 अगस्त से 30 अगस्त 02 तक	10	01

7	शिक्षा मित्रों के लिये आधार भूत प्रशिक्षण	131	26 अगस्त से 24 सितम्बर 02 तक	30	03
8	ई0जी0एस0 एवं ए0एस0 के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	39	1 सितम्बर से 30 सितम्बर 02 तक	30	01
9	प्राथमिक शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण	1977	2 सितम्बर से 25 नवम्बर 02 तक	10	40
10	उच्च प्राथमिक शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण	1022	27 नवम्बर से 31 दिसम्बर 02 तक	10	21
11	सी0आर0सी समन्वयकों का प्रशिक्षण	88	1 नवम्बर से 10 नवम्बर 02 तक	10	02
12	ग्राम शिक्षा समिति एवं वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण	335	15 नवम्बर से 16 नवम्बर 02 तक	02	01
13	ई0सी0सी0ई0/आंगनवाडी अनुदेशकों प्रशिक्षण	836	7 अक्टूवर से 12 जनवरी 03 तक	06	18
14	डायट, बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0, के लिये कियात्मक शोध, मूल्याकंन एवं कार्यानुभव प्रशिक्षण	126	21 अक्टूवर से 15 नवम्बर 02 तक	05	03
15	डायट संकाय सदस्यों एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	25	03 दिस0 से 22 दिस0 02 तक	20	01
16	समेकित शिक्षा के लिये विशेष प्रशिक्षण	10	15 दिस0 से 28 जनवरी 03 तक	45	01
17	समेकित शिक्षा के लिये संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण (प्रा0+उ0प्रा0)	28	3 फरवरी 03 से 07 फरवरी 03 तक	05	01
18	शिक्षा मित्रों के लिये पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण	116	01 जनवरी से 30 जनवरी तक	10	03
19	ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0				

	स्टाफ के लिये बालिका शिक्षा संवेदीकरण – प्रशिक्षण	200	15 मार्च से 26 मार्च 03 तक	03	04
20	बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण	109	20 जनवरी से 29 जनवरी 03 तक	05	02
21	जिला योजना निर्माण टीम के लिये ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण	07	5 फरवरी से 11 फरवरी 03 तक	07	01
22	जिला कोर टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण तथा वार्षिक कार्ययोजना का पुनरावोकन	07	20 फरवरी से 26 फरवरी 03 तक	07	01

☐ **प्राथमिक शिक्षा–**

जनपद में कार्यरत **1977**सेवारत शिक्षकों को **10** दिवसीय प्रशिक्षण करवाया जाएगा। यह प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र में संचालित होगा। प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा की जाएगी। डायट द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड से **4** एवं नगर क्षेत्र से **4** इस तरह कुल **28** शिक्षकों को टी0ओ0टी0 के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस **10** दिवसीय प्रशिक्षण को आवश्यकता एवं दक्षता परक बनाने के लिए एक ट्रेनिंग पैकेज तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग पैकेज का निर्माण जिला अकादमिक समूह द्वारा तैयार किया जाएगा। इस पैकेज में कक्षा शिक्षण, शिक्षण अधिगम, रूचिपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम, बाल केन्द्रित शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण एवं सहायक सामग्री निर्माण एवं अनुप्रयोग तथा सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालय प्रबन्धन विषयक तत्वों का समावेश किया जाएगा।

☐ **उच्च प्राथमिक शिक्षा :–**

जनपद में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल इण्टरमीडिएट शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के प्राईमरी अनुभाग एवं उच्च प्राथमिक अनुभाग से सम्बद्ध 1022 शिक्षकों को 10 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पैकेज निर्माण करने का उत्तरदायित्व जिला अकादमिक समूह का होगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल में विषय आधारित, कियात्मक प्रशिक्षण, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, विषय वस्तु के अनुरूप सहायक सामग्री निर्माण, अनुप्रयोग एवं श्रव्य दृश्य सामग्री का विषयवस्तु के अनुरूप प्रयोग तथा सामाजिक सहभागिता एवं विद्यालय प्रबन्धन तथा शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों के आयोजन विषयक तत्वो का समावेश किया जायेगा।

☐ **शिक्षा मित्रों का अनुस्थापन प्रशिक्षण** :–

जनपद में कार्यरत 131 प्रशिक्षित सेवारत शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। तथा 116 शिक्षा मित्रों के लिये पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।यह प्रशिक्षण

आवासीय होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये शिक्षामित्र प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण किया जायेगा। प्रशिक्षण पैकज के विकास के लिये पूर्व में तैयार शिक्षा मित्र प्रशिक्षण पैकेज की आधार माना जायेगा। पैकेजल के परिवर्द्धन में विषयों पर आधारित, रूचिपूर्ण शिक्षण विधाओं पर आधारित, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण सम्बन्धी तथ्यों को सम्मिलित किया जायेगा।

☐ **बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 समन्वयक:–**

जनपद में स्थापित बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 के समन्वयकों 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में किया जाएगा, डायट के प्रशिक्षित प्रवक्ता बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 समन्वयकों को एम0टी0 के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। इस विशिष्ट प्रशिक्षण की विषय वस्तु में सूचनाओं का संकलन,एवं प्रेषण, बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की दक्षता,बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 द्वारा सम्बद्ध विद्यालयों पर नियंत्रण, अनुश्रवण मूल्यांकन, बी0आर0सी0 आर0सी0 अभिलेखों का रख–रखाव, एवं शैक्षिक नवाचारों से सम्बन्धित होगी। इस प्रशिक्षण में 109 प्रतिभागी प्रतिभाग करेगे। यह प्रशिक्षण 2 चक्रों में सम्पादित होगा।

☐ **ए0बी0एस0ए0, प्रति उप वि0 निरीक्षक प्रशिक्षण:–**

जनपद में कार्यरत निरीक्षक वर्ग के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की विषय वस्तु में, अनुश्रवण एवं निरीक्षण की पभावोत्पादकता, निरीक्षण एवं अनुश्रवण के पश्चात पश्चपोषण, अनुश्रतण एवं मूल्यांकन की अनुपालन आख्या का निर्माण सम्मिलित होगा। जिला अकादमिक समूह द्वारा इस प्रशिक्षण का पैकेज तैयार किया जाएगा।

☐ **ई0 जी0 एस0 एंव ए0 आई0 ई0 के अनुदेशको का प्रशिक्षण–**

जनपद में स्थापित किये जाने वाले 38 ई0 जी0 एस0 एंव ए0 आई0 ई0 के अनुदेशको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डायट में किया जाएगा। ई0 जी0 एस0 के अनुदेशक 6 से 8 वय वर्ग 1 एंव 2 के लिए नियुक्त किये गए है। तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त है। इस अनुदेशकों के लिए शिक्षा मित्रो के लिए निर्मित प्रशिक्षण पैकेज को प्रयोग में लाया जायगा।

☐ **डायट के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण–**

इस अभियान के अन्तर्गत वांछित दक्षताओं के विकास के लिए डायट के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर सीमेट या अन्य संस्था द्वारा आयेजित किया जायेगा।

☐ **कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण :–**

विद्यालय स्तर से जनपद स्तर तक सूचनाओं, आंकड़ों का संकलन एवं सूचनाओं के यथा समय उपलब्धता के लिए जनपद के प्रत्येक बी0आर0सी0 एवं एन0आर0सी0 पर कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः डायट के 2 प्रवक्ताओं बी0आर0सी0 समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के आयोजन की व्यवस्था जिला परियोजना द्वारा की जायेगी।

☐ **सिविल कार्य का प्रशिक्षण–**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सिविल कार्य की तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु जनपद के सरकारी निर्माण संस्थाओं के अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं के लिऐ पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। यह प्रशिक्षण डाइट मे किया जायगा।

☐ **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण –**

विद्यालय स्तर पर गठित 335 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संकुल केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण में सदस्यों को विद्यालय के शैक्षिक प्रबन्ध, सामुदायिक सहभागिता एंव द्वारा बालिका शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी। डाइट द्वारा इन विषय वस्तुओं पर आधारित प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में बी0 आर0 सी0 समन्वयक तथा संकुल केन्द्र के समन्वयक सन्दर्भदाता होगें।

☐ पुस्तकालय की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सम्वर्द्धन के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी।

जनपद स्तर पर :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्थापित जिला परियोजना कार्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी। जनपद देहरादून के नगर क्षेत्र एवं इन क्षेत्रों से लगे जनजाति तथा धुमन्तू बच्चों के लिए मोबाइल पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसके संचालन के लिये एक लाइब्रेरियन तथा एक चतुर्थ श्रेणी को क्रमशः 7000रू0 तथा 3000 रू0 प्रतिमाह के मानदेय पर रखा जायेगा। मोबाइल पुस्तकालय हेतु एक वैन अनुमानित 1000 रू0 प्रतिमाह के किराये पर रखे जाने का प्रस्ताव है। गुणवत्ता सम्बर्द्धन में बच्चें को स्वाध्याय के प्रति प्रेरित करने तथा अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिये मोबाइल पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

☐ **ब्लाक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र :–**

ब्लाक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र पर पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी। पुस्कालय में अध्यापको के लिए, विभिन्न वय वर्ग के बच्चों के मानसिक स्तर तथा समुदाय की रूचि एवं महापुरूषों के प्रेरक प्रसंग व सस्मरण से सम्बन्धित पुस्तको की व्यवस्था तथा जनपद के विकास कार्यो एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित आडियो वीडियो कैसेट उपलब्ध कराये जायेगे।

☐ **संकुल संसाधन केन्द्र :–**

संकुल संसाधन केन्द्रो पर पुस्तकालयों की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकालय के अन्तर्गत बाल साहित्य, बालगीत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें महापुरूषों से सम्बन्धित साहित्य एवं चित्रों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

☐ **विद्यालय स्तर :–**

जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में लर्निंग कार्नर तथा बुक बैक की व्यवस्था की जायेगी। लर्निंग कार्नर के अन्तर्गत भाषा कार्नर, गणित कार्नर, पर्यायवरण कार्नर की व्यवस्था होगीं। जिसमें सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री, बाल गीत व बाल साहित्य उपलब्ध होगा। इसकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व विद्यालय के शिक्षकों पर होगा। प्रत्येक उच्च प्रा0 वि0 में पुस्तकालय एंव बुक बैंक की व्यवस्था की जायेगी। जिसमें अध्यापकों के लिए, बच्चों के लिए स्वाध्याय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकालय तथा बुक बैंक भी व्यवस्था की जिम्मेदारी उ0प्रा0 विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।

☐ **शोध एवं नवाचार :–**

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नित नवीन समस्याओं के आने से शैक्षिक गुणवत्ता विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। जिसका समाधान तर्कपूर्ण एवं तथ्यों पर आधारित नवाचार कार्यक्रमों के द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। अतः समस्याओं के समाधान के लिए कियात्मक शोधो नवाचार कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव किया गया है। कियात्मक शोध एवं नवाचार प्रयोगो के लिए डायट को उत्तरदायित्व दिया जायेगा।

☐ **उपचारात्मक शिक्षण :–**

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 2347 अनु0जनजाति के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। अध्यापकों को उपचारात्मक शिक्षण तकनीक का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संकुल संसाधन केन्द्रों पर प्रदान किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर शिक्षक द्वारा विभिन्न विषयों से सम्बन्धित उपचारात्मक शिक्षण अतिरिक्त कक्षा का संचालन करके तथा शिविर लगाकर किया जायेगा।

☐ **ऑगन वाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण –**

जनपद की एकवर्षीय कार्ययोजना के अन्तर्गत ऑगन वाड़ी 40 केन्द्रो का चयन किया गया है। इन केन्द्रों मे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, के साथ इन केन्द्रों के 40 कार्यकत्रियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डायट द्वारा किया जायेगा।

☐ जनजागृति सामग्री का विकास :–

वर्ष के अन्त में प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों तथा उच्च प्राथमिक के बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाय। इस प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाय। इस प्रोजेक्ट निर्माण में स्थानीय समाज सेंवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों समाज में चेतना जागृत करने वाले वृद्ध व्यक्तियो के चित्रों का संकलन, स्थानीय जड़ी बूटियों का संकलन, प्राचीन मंदिरों और स्थानीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन कराया जाए। प्रोजेक्ट वर्क पर सत्रांत मे अंक प्रदान किये जाए। ऐसी व्यवस्था करने से स्थानीय परिवेश से सदर्भित सामग्री का संकलन होगा। तथा स्थानीय व्यक्तियों समाज सेवियों तथा प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृत्यत्व का उद्घाटन करने पर समुदाय का जुड़ाव विद्यालयों से होगा।

- स्थानीय गायकों/स्थानीय संस्कृति पर आधारित नृत्य नाटिकाओ और संगीत की रिकार्डिंग, विद्यालय में समय पर होने वाली गतिविधियों की रिकार्डिंग की जाए ताकि इसे समय समय पर सुना जा सके और सामाजिक जागृति एवं प्रेरणा मिलती रहे।
- स्थानीय शिक्षा विदों विशिष्ट शिल्पियों समाज सेवियों विद्यालय के लिए भूमिदाताओं और स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियो के चित्रों के साथ साथ समाज के लिए उनके योगदान को अंकित कर विद्यालय में लगा दिया जाए।
- बच्चों से इस प्रकार के निर्माण कराने पर बच्चे सर्वेक्षण की विद्या से परिचित होगें समुदाय से वार्तालाप होगा, छात्र तथ्यों का विश्लेषण कर सकेगे, तथा स्वतत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता का विकास उनमें हो सकेगा।
- विद्यालय में निर्मित सर्वोत्तम प्रोजेक्ट कार्य को फोटोस्टेट करवा कर वी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 में उपलब्ध कराया जाएगा।
- बच्चों द्वारा निर्मित सर्वोत्तम प्रोजेक्ट को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इस समारोह में अभिभावकों को आमंत्रित कर प्रोजेक्ट में निहित स्थानीय तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। यह अनुप्रयोग समाज को शिक्षा से जोड़ने और जनजागृति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

☐ **पुरस्कार योजना :–**

जनपद में विभिन्न स्तरों पर अच्छे कार्य करने वाले अध्यापको, ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षा मित्रों को पुरस्कृत तथा एक प्राथमिक विद्यालय एवं एक उच्च प्रा0 वि0 को जनपद के सबसे अच्छे विद्यालय के पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। जनपद के दो ग्राम शिक्षा समितियों को सबसे अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जायेगा। तथा पाँच शिक्षा मित्रों को अच्छे कार्य करने के लिए चयन कर पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक चयन समिति का निर्माण किया जायेगा। इस चयन समिति में मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य डायट, बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होगे। पुरस्कारों के लिए नामों की संस्तुति सम्बन्धित संकुल केन्द्र के समन्वयक, ब्लाक नगर संसाधन केन्द्रों के समन्वयक एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगें। इन पुरस्कारों का वितरण करने के लिए जिला स्तर पर एक समारोह का आयोजन किया जायेगा।

☐ **बालिका शिक्षा–**

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्षीय कार्ययोजना में अभिप्रेरण कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया है। इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं वनगूजर समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिये तीन कैम्पो का आयोजन किया जायेगा। ये कैम्प अल्पसंख्यक बस्तियों में, मलिन बस्तियों में तथा अनुसूचित जनजाति बंजारो की बस्तियों में लगाये जायेगे। कैम्प पुलिस स्टेशन के नजदीक, खुले मैदान में या सार्वजनिक स्थल पर लगाये जायेगे। कैम्प के आयोजन की जिम्मेदारी जिला

परियोजना अधिकारी की होगी। **कैम्प में सर्दभदाता के रूप में डायट के प्रवक्ता सहायक बे0 शि0 अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी सम्मिलित होगे। कैम्प में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित किया जायेगा।**

- ☐ जनपद के जनजाति क्षेत्र में **मां बेटी मेले** का आयेजन किया जायेगा। वर्ष 2002–03 में यह आयोजन जनपद के **50** संकुल केन्द्रो पर किया जायेगा। इसके आयोजन की जिम्मेदारी संकुल समन्वयकों की होगी।
- ☐ जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयो में बालिकाओं के लिए कार्योनुभव से समबिन्धत विषयों जैसे सिलाई, कढ़ाई बुनाई आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके लिए 7 माडल क्लस्टर का विकास किया जायेगा। जहां पर व्यवसायिक शिक्षा का पाठयक्रम संचालित किया जायेगा।
- ☐ **समेकित शिक्षा :–**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। विभागीय सर्वेक्षण (वर्ष 2000–2001) के अनुसार जनपद में 6–11 वय वर्ग के 21 दृष्टिबाधित/बच्चे, 55 मूक बधिर बच्चे, 123 शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, 59 मानसिक रूप से विकलांग बच्चे तथा 09 बहुविकालांग बच्चे हैं तथा 11–14 वय वर्ग के दृष्टिबाधित बच्चे, 12 मूक व बधिर बच्चे, 57 शारीरिक रूप से विकालांग बच्चे, 08 मानसिक रूप से विकलांग तथा 08 बहुविकलांग बच्चे हैं।

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़नें के लिये वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। इनके अन्तर्गत जनपद के 10 शिक्षकों को 45 दिन का विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। ये शिक्षक जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में शिक्षकों के लिये समेकित शिक्षा के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्ति तैयार करेगें।

अध्याय –9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की स्वीकृत कार्ययोजना एवं बजट तथा आवंटन के सापेक्ष शेष जारी कार्यक्रम एवं बजट का उपयोग :

- माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 की स्वीकृत कार्ययोजना एवं बजट के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कार्यक्रम एवं बजट का उपयोग वर्ष 2003–03 में किया जायेगा।

- बजट का आवंटन शिक्षा की पहुँच में विस्तार, धारण क्षमता में विकास, गुणवत्ता सम्वर्द्धन तथा प्रबन्धकीय क्षमता के विकास सम्बन्धी विभिन्न मदों में आवंटित किया गया है।

- टेबल A; इस टेबल में प्रदर्शित समस्त कियाकलाप एवं बजट माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत–भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

- टेबल B; इस टेबल में प्रदर्शित समस्त कियाकलाप एवं बजट, टेबल A के कियाकलापों एवं बजट के अन्तर्गत आवंटित कियाकलाप एवं बजट है जिसका उपयोग आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over) द्वारा वर्ष 2002 –03 में किया जायेगा।

(अ) **शिक्षा की पहुँच का विस्तार**

आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over) टी0एल0ई0–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 135 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये शिक्षण अधिगम उपकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये बजट का आवंटन किया गया है। अतः वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी कियाकलपों एवं बजट का उपयोग किया जायेगा।

(ब) धारणः आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over)

(1) **शौचालय निर्माण** : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अर्न्तगत 30 प्राथमिक विद्यालयों एवं 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण बजट का आवंटन किया गया है । वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी क्रियाकलाप एवं बजट का उपयोग किया जायेगा।

(2) **पुनःनिर्माण (Re-Construction)–**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 15 प्राथमिक विद्यालयों एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनः निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसके सापेक्ष 12 प्राथमिक विद्यालयों एवं 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन पुनः निर्माण के लिये बजट का आवंटन किया गया है। वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कियाकलाप एवं बजट का उपयोग किया जायेगा। विद्यालय भवन पुनः निर्माण के अन्तर्गत शौचालय, पेयजल तथा चहारदीवारी निर्माण भी सम्मिलित है।

3. **पेयजलः–**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 25 प्राथमिक विद्यालयों एवं 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी है, जिसके सापेक्ष 23 प्राथमिक विद्यालयों एवं 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था के लिये बजट का आवंटन किया गया है, इसका उपयोग वर्ष–2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कियाकलाप एवं बजट के अन्तर्गत किया जायेगा।

4. **विद्यालय अनुदान :–**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 831 प्राथमिक विद्यालयों एवं 360 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय सुधार के लिये विद्यालय अनुदान हेतु भारत सरकार द्वारा बजट का आवंटन किया गया है। वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कियाकलाप एवं बजट का उपयोग किया जायेगा।

" स्वीकृत परन्तु अनाबंटित कियाकलाप एवं बजट "

4. **नवाचार :–**

इस अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा संवेदीकरण के लिये 07 एम0सी0डी0ए0, 40 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के लिये शिक्षण–अधिगम सामग्री, अनुदेशकों एवं कार्यकर्त्रियों का मानदेय तथा कान्टीजेन्सी, 88 कलाजत्था– ग्राम्य स्तर, ब्लाकस्तर तथा जनपद स्तर पर तथा 200 व्यक्तियों के लिये 3 दिवसीय बालिका शिक्षा संवेदीकरण कार्यक्रम एवं बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा

प्रदत्त की गयी है। स्वीकृत कियाकलाप एवं बजट टेबल A में दर्शाया गया है, जिसका आवंटन नही हुआ है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में इन कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु प्रस्ताव है।

(स) **गुणवत्ता सम्वर्द्धन :–**

आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over)

(1) **निरीक्षक वर्ग के लिये प्रशिक्षण :–**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 30 ए0बी0एस0ए0 तथा एस0डी0आई0 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। इस कार्यक्रम के लिये बजट भी आवंटित है, जिसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जारी शेष (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) **ए0ई0 तथा जे0ई0 के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम :–**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 07 ए0ई0 तथा जे0ई0 के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी है, जिसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जारी शेष (spill over) बजट के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) **शिक्षक अनुदान :–**

सर्व शिक्षा आभेयान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के परिप्रेक्ष्य में 2032 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षको तथा 1115 उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिये शिक्षक अनुदान की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसका आवंटन प्राप्त हो चुका है, इसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

4 **निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण :** सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 53415 बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिये बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। ये पाठ्यपुस्तकें राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–1 से 8 तक के अनु0 जाति, अनुसुचित जनजाति के बालकों तथा समस्त बालिकाओं को वितरित की जानी है। अतः वर्ष 2002–03 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिये आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over) का उपयोग किया जायेगा।

5 **स्वीकृत किन्तु अनावंटित कियाकलाप एवं बजट :–**

शिक्षक– प्रशिक्षण – सर्व शिक्षा अभियन के अन्तर्गत दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 1908 प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवम् बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, परन्तु धन का आवंटन नही हुआ है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव है।

6 **शोध एवं मूल्यांकन :**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 1091 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधार पर शोध एवं मूल्यांकन के लिये भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी है, परन्तु इसके लिये बजट का आवंटन नही किया गया है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में शोध एवं मूल्यांकन कियाकलापों के लिये प्रस्ताव है।

7. **ग्राम शिक्षा समितियों एवं वार्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण**

माह दिसंबर 2001 से मार्च 2000 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 3200 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं वार्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिये बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी है, परन्तु बजट का आवंटन नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट का प्रस्ताव है।

8 **एक वर्षीय कार्ययोजना का पुनरावलोकन एवं कोर टीम का प्रशिक्षण :**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत एक वर्षीय कार्ययोजना का पुनरावलोकन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, परन्तु आवंटन नही हुआ है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट का प्रस्ताव है।

(द) क्षमता विकास : आवंटन के सापेक्ष जारी राशि

(1) ब्लाक संसाधन केन्द्र :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत जनपद के 07 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये फर्नीचर तथा 02 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के निर्माण कार्य की स्वीकृति

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसका आवंटन प्राप्त हो चुका है। इसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जमा राशि (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) **संकुल संसाधन केन्द्र :–**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत जनपद में 88 सी0आर0सी0 के लिये फर्नीचर एवं 02 सी0आर0सी0 निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसका आवंटन प्राप्त हो चुका है। इसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जमा राशि (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) **जिला परियोजना कार्यालय :**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय की क्षमता विकास हेतु उपकरणों, फर्नीचर, टेलीफोन तथा फैक्स एवं सूचना प्रबन्ध प्रणाली प्रकोष्ठ की स्थापना के लिये बजट का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जमा राशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(II) **स्वीकृत परन्तु अनावंटित कियाकलाप एवं बजट :–**

1 **ब्लाक संसाधन केन्द्र** :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 109 बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 के समन्वयकों के 3 माह के वेतन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, परन्तु बजट का आवंटन नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में समन्वयकों के वेतन का प्रस्ताव है। जनपद के 07 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये आकस्मिक व्यय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, परन्तु बजट का आवंटन नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्य योजना एवं बजट में बी0आर0सी के लिये आकस्मिक व्यय हेतु प्रस्ताव है।

1 **संकुल संसाधन केन्द्र :** जनपद में 88 सी0आर0सी के लिये आकस्मिक व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी है, परन्तु बजट आवंटित नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में सी0आर0सी0 के लिये आकस्मिक व्यय हेतु बजट का प्रस्ताव है।

2 जिला परियोजना कार्यालय :

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना में जिला परियोजना कार्यालय की क्षमता विकास के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 04 जिला समन्वयकों के वेतन, 01 कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन, 01 लेखाकार का वेतन, 01 लिपिक का वेतन यात्रा देयक, चौकीदार का वेतन, वाहन मरम्मत तथा पी0ओ0एल0, ए0ई0 तथा जे0ई0 का मानदेय, किराये का वाहन, आकस्मिक व्यय, छपाई एवं वितरण/प्रपत्र निर्माण तथा कम्प्यूटर–सामग्री की स्वीकृति प्रदत्त की गयी है। परन्तु बजट का आवंटन नही हुआ है। इन मदों में बजट आवंटन हेतु वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में बजट का प्रस्ताव है।

अध्याय – 10

योजना क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की समपूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 – 2010 तक ही होगी । इस अवधि में 6 – 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस अवधि में प्रर्याप्त क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा इसमे व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनेशचित हो सके। समय समय पर समीक्षा और रणनितियों में परिर्वतन के लिये तत्पर रहना होगा। इसमे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित को जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा अध्यापकों एवम् छात्रों की उपस्थित सुनिशचित की जायेगी ।

(10.1) प्रबन्ध तंत्र

प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील एवम् लचीली प्रणाली के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की जायेगी। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली को स्थापित किया जायेगा। वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया गया है जो निम्नवत है:–

निर्णय कर्त्ता	प्रबन्ध तन्त्र	अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्य कारणी	राज्य परियोजन कार्यालय	एस.सी.ई.आर.टी.एवम् सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विधालय प्रधानाध्यापक/अध्यापिका	सी.आर.सी.

(10.2) ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम्य स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

- ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होगा ।
- ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापको मे से ज्येष्ठतम् अध्यापक सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।
- बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिभावक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे, सदस्य होगे।

अधिकार एवम् दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

- पंचायत क्षेत्र के स्कूलों का प्रशासन नियन्त्रण एवम् प्रबन्धन करना ।
- बेसिक स्कूलो में प्रचार प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
- बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिऐ आवश्यक समझें जायेंगे।
- पंचायत की सीमाओं के अंदर अनियमितताओं के लिये, बेसिक स्कूल के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के लिए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- बेसिक शिक्षा से संम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हे सौंपा जायें ।

कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए., महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जाऐगें । इन कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का कार्य एंवम् दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(10.3) क्षेत्र पंचायत समिति

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत समिति के दर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगा ।

क्षेत्र सहायक समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैः-

1. ब्लाक प्रमुख – अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान – सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् अध्यापक – सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करना तथा ग्राम पंचायत समिति एवम् जिला पंचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना है।

ब्लाक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन गया है इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य है –:

1. खण्ड विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य

3. क्षेत्र पंचायत समिति की भी सदस्यता हो 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

4. क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति पिछड़े वर्ग का ग्राम प्रधान 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

5. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0 (1) – सदस्य

6. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 (1) – सदस्य

7. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य /सचिव

अधिकार एवम् दायित्व

इस कोर टीम का प्रमुख कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकास खण्ड होगा । विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण करना विधालयों शिक्षकों बच्चों एवम् ग्राम शिक्षा समितियो के बारें में सूचनाओं / आँकड़ो का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लाक स्तर पर संकलन, समन्वयकों के साथ बैठक का आयोजन करना, इस टीम के प्रमुख दायित्वों के रूप में संदर्भित है।

10.4 संकुल संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.)

जनपद की भौगेलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। एक संकुल केन्द्र से अधिकतम 12 विधालय सम्बद्ध होगें। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल समन्वयक की नियुक्ति की जाऐगी तथा इस केन्द्र पर वांछित शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेगे। संकुल संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

कार्य एवम् दायित्व

- संकुल केन्द्र से सम्बद्ध विधालयों का अकादमिक निरीक्षण करना ।
- अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्गित कठिनाईयों पर विचार विमर्श करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना ।

- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से, संकुल केन्द्रों से सम्बद्ध विधालयों में गुणवत्ता सुधार की दिशा में परिवेश निर्माण की योजना बनाना। संकुल स्तरीय सूचनाओं/ आँकड़ों का संकलन करना ।

(10.5) एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0 ए0 का गठनः

प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों मे एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0ए0 का गठन किय जायेगा। विद्यालयो में होने वालें शैक्षिक कार्यो, विद्यालयों में भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने में, विद्यालयो में होने वाले निर्माण कार्यो तथा विद्यालय स्तर पर अनुभूत समस्याओं कें निराकरण में यह संगठन सक्रिय भूमिका निभायेगें। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम0 टी0 ए0 का गठन किया जायेगा।

(10.6) ब्लाक संसाधन केन्द्र एवम् नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र

इस जनपद कें सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवम् नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा। इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विधुतीकरण,कम्प्यूटर एवम् अन्य मूल भूत सुविधा से सुसज्जित किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । विकास खण्डों एवम् नगर क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवम् कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र में सह समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । समन्वयकों एवम् सहसमन्वयकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाऐगी।

कार्य एवम् दायित्व

- अध्यापकों के लिए अभीनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्कताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना।
- विधालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना नवीन विधियों एवम् सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना ।
- ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
- संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

- ब्लाक स्तर पर अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटरीकृत आँकडें तैयार करना
- विधालय से सम्बन्धित आँकडों का संकलन जाँच एवम् विश्लेषण करना ।
- प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
- विकास खण्ड में संकुल एवम् विधालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाईयों तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एवम् डायट को अवगत कराना है।

(10.7) जनपद स्तरीय समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवम् रणनितियों के निर्धारण हेतु जिला स्तर पर, जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है –:

जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
प्राचार्य/डायट	सदस्य
वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवम् लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर.ई.एस)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्लू.डी)	सदस्य

जिला विधालग निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (अवकाश प्राप्त अधिकारी)	सदस्य
विश्व विधालय व महाविधालय से	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्ण माला क्रम से)	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिला अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना के अधिकारी एवम् दायित्व

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी । जिले स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुऐ इसे सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार होगा। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार एवम् जनसहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवम् शैक्षिक अंगों को मान्य होगें। प्रवेश,धारण, गुणवत्ता सम्बधी निर्माण की तकनीक के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारण किये जाएगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के संरचना, संचालन एवम् निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

(10.8) जिला बेसिक शिक्षा समिति

बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद् अधिनियम 1972 के अर्न्तगत जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसका स्वरूप निम्नवत है –

जिला पंचायत अध्यक्ष	**अध्यक्ष**
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/ सचिव
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
जिला हरिजन कल्याण एवम् समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य

जिला विधालय निरीक्षक — पदेन सदस्य

उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) — पदेन सदस्य

तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से — सदस्य

राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट

विधालय उप निरीक्षक (पदेन) — सदस्य

जो समिति का सहायक उप सचिव होगा

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी ।

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।
2. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।
3. बेसिक स्कूल के विकास, प्रचार प्रसार एवम् सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

(10.9) प्रशासनिक तन्त्र

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवम् कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमे अभिकर्मियों के पद सृजित करतैनाती सुनिशचित की जायेगी ।

1.	जिला परियोजना अधिकारी	पदेन– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
2.	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500 प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	04 (रू0 6500–10500) राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर
4.	सलाहकार	02 (रू 10000/– नियत वेतन प्रति पद) आवश्यकतानुसार

5	लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक	01 (रू0 5000–8000)
6.	लिपिक	01 (रू0 4000–6000)
7.	आशुलिपिक	01 (रू 5000–8000)
8.	कम्प्यूटर आपरेटर	01 (रू0 5000–8000)
9.	परिचारक	02 (रू0 2550–3200)

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें । जनपद में कार्यरत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।

(10.10) शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली (ई.एम.आई.एस.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभाती अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण आकड़ों का संकलन एवम् विश्लेषण किया जायेगा । विधालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर आपरेटर ,प्रधानाध्यापक,संकुल समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने व संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाऐगी।

आँकड़ों का उपयोग

ई.एम.आई.एस. आँकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचक जैसे, जी.ई.आर., एन.ई.आर., ड्राप आउट दर, छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विधालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन सूचको का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा, ताकि बार बार सूचनाओं के संकलन में समय की बचत हो सके और कार्य के योजना की संरचना में तदनुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

आँकड़ों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में, शिक्षा गारंटी केन्द्र/ नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान में, एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्हीकरण में, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में, बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में, पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में, शिक्षकों के विवरण में विकलांग बच्चों के चिन्हीकरण तथा उन्हे उपलब्ध करायी गई सुविधा के बारे में, आंकड़ों, का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होगा।

(10.11) जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिऐ जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। वर्तमान में नवसृजित उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप इस संस्थान के भूमि एवम् भवन पर उत्तरांचल राज्य का सचिवालय स्थापित हो चुका है।सम्प्रति यह संस्थान स्पोर्टस कालेज रायपुर (देहरादून) के प्रशासनिक भवन में अस्थाई रूप से संचालित हो रहा है, इसके फलस्वरूप भौतिक सुविधाओं का अभाव है। सर्वशिक्षा अभियान की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए इसको सुदृढ़ किया जायेगा ।

इस योजना के अर्न्तगत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर, संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना, तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।

2. राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों कें सम्पर्क में रहना, तथा शिक्षा में नवाचार अभिनव प्रवृत्तियों अनुसंधानों, क्रियात्मक शोधों, शोध अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना,ताकि जिला स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके ।

3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।

4. जिला स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवम् उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।

5. जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण एवम् अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवम् नियन्त्रण करना ।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवम् अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. न्यूनमत अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये वेस लाइन सर्वे करना।

9. जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

10. शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शिक्षकों, समन्वयकों ई.सी.सी.ई., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, तथा निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12. शैक्षिक आँकड़ों (ई.एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

13. जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वित कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एवम् सांख्यिकी का प्रकाशन ।

(10.12) परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली

एम.आई.एस के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है, उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति सुनिश्चित करने वाले करकों की पहचान कर, प्रभावी कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा।

(10.13) निधि का प्रवाह – जिले की वार्षिक योजना एवम् बजट के आधार पर राज्य परियोजना द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण, अकादमिक,पर्यवेक्षण, अनुश्रवण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी ।इस संस्थान द्वारा गुणवत्ता के लिये बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी. को धनराशि उपलब्ध करायी

जायेगी।निर्माण,वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वंय सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तारित की जायगी।

जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त एवम् व्यय की धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि राज्य परियोजना द्वारा जिला परियोजना कार्यालय को तथा जिला परियोजना द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 को उपलब्ध करा दी जायेगी।

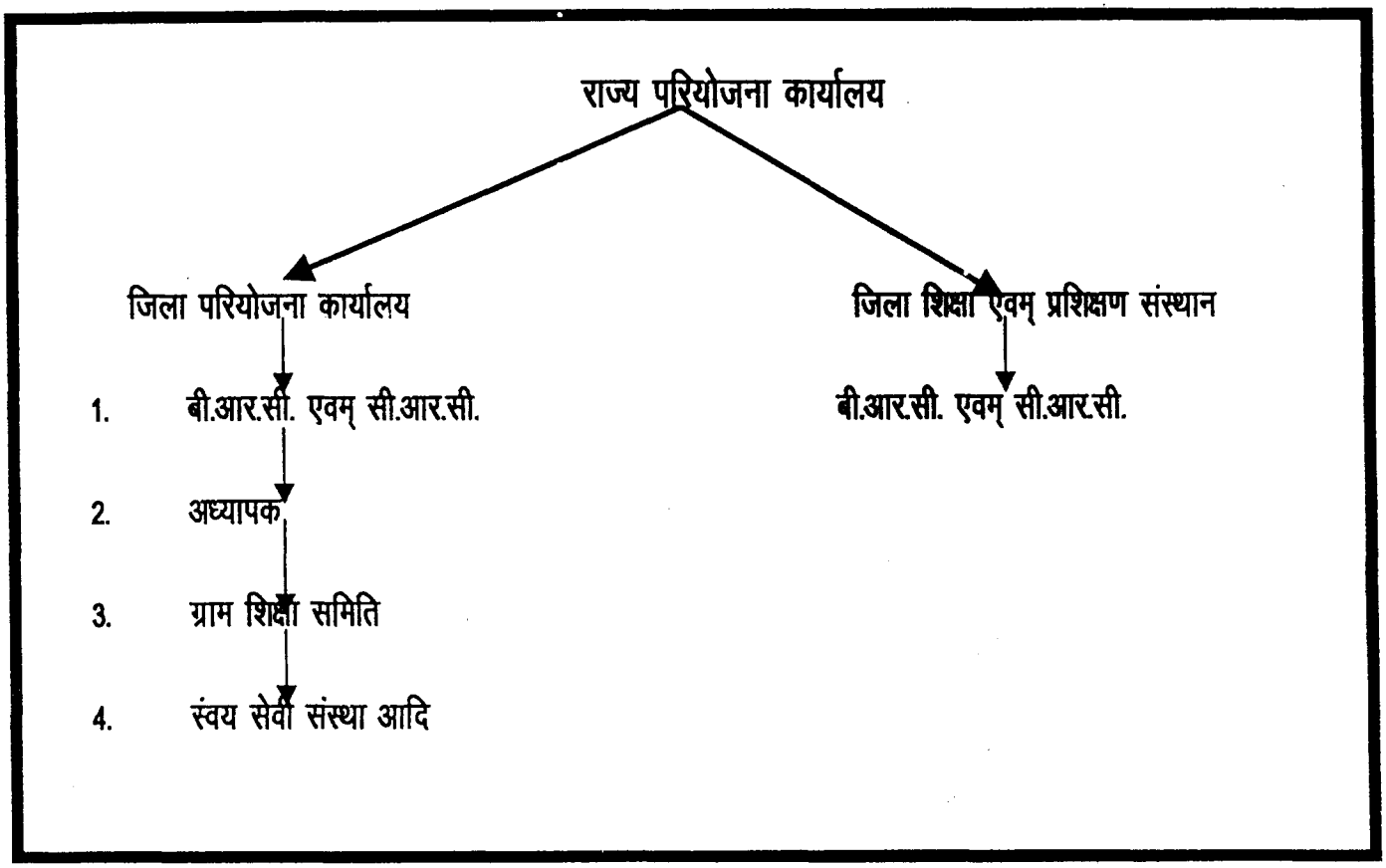

TABLE- A :- LAST YEAR ACTIVITIES PROGRESS 2001-02

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	Physical Target	Last year sanctioned amount with spill over	Re-appropriated Amount	Revised Sanctioned Amount	Physical Achievement Till 31st Dec	Physical Achievement Till 31st march approx.	Expenditure Till 31st Dec	Expenditure Till 31st march app.ox.	Approx. Saving & Balancing Amount	Remark
A	ACCESS										
A1	TLE Grant for UPS	135	6750	-	-	-	-	-	-	6750	
	Sub Total -A									**6750**	
(R)	**RETENTION**										
R1	Toilets (PS)	30	450	-	-	-	-	-	-	450	
R2	Toilets (UPS)	20	300	-	-	-	-	-	-	300	
R3	Rec. Const of old PS	15	4125	-	-	-	-		-	4125	
R4	Rec. Const of old UPS	10	4000	-	-	-	-	-	-	4000	
R5	Drinking water PS	25	500							500	
R5	Drinking water UPS	20	600							600	
	Sub Total									9975	
3.1	School Improvement Grant PS	831	1662							1662	
3.2	School Improvement Grant UPS	360	720							720	
	Total									2382	
	Innovation										
4.1	MCDA including gender sensitisation	7	525							525	
4.2	ECCE TLM	40	200							200	
4.3	Addl.Honorarium (Inst. .250+ worker .125	40	15							15	
4.4	Contingency grant for ECCE	40	60							60	
4.5	Kala Jatha (VEC, Block Level& Dist. Level)	88	704							704	
4.6	Teacher/ABSA/BRC/CRC Trg. for gender										
	sensitisation 03 days	200	42							42	
	Sub Total									1546	
	TOTAL -R									13903	
(Q)	Quality Improvement										
1	PS Teacher training for 10 days in DIET	1908	1335.6							1335.6	
2	Research & Evaluation (monthly review meeting										
	CRC coordinators)	1091	1527.4							1527.4	
3	ABSA/SDI orientation 5 days	30	10.5							10.5	
4	Training of AE/JE 5 days	7	2.45							2.45	
5	AWP&B review & trg. of core planning team	1	15							15	
6	Orientation of VEC/Ward Committees										
	02 days 08 members	3200	192							192	
7	Teacher grant PS	2032	1016							1016	
8	Teacher grant UPS	1115	557.5							557.5	
	Mitra .15 days										
9	Free text books for sc/st & girls	53415	8012.25							8012.25	
	Sub Total - Q									12668.7	
C	Block Resource Centre										
1	Salary of BRC/ABRC/CRC										
	coordinators for 3 months	109	2452.5							2452.5	
2	BRC construction	2	1200							1200	
3	Equipment/Furniture	7	350							350	
4	Contingency	7	87.5							87.5	
	Total									4090	
	School Complex(CRC)										
1	Construction	2	400							400	
2	Equipment/Furniture	88	880							880	
3	Contingency	88	220							220	

	Total									1500	
	District Project office										
	Staffing Coordinators 4 salary 03 months	4	120							120	
	Computer operator/Steno salary 03 months	1	21							21	
	Equipments	1	50							50	
	Chowkidar/Peon salary 03 months	2	18							18	
	Furniture & Fixtures	1	50							50	
	Salary of Clerk 03 months	1	21							21	
	Salary of Accountant 03 months	1	30							30	
	Travelling Allowances	1	50							50	
	Telephone/Fax	1	30							30	
	Vehicle maintenance & POL	1	50							50	
	Honorarium to JE/AE 02 months	7	14							14	
	Hiring of Vehicles	1	50							50	
	Contingency	1	50							50	
	Total									554	
C4 1	MIS										
1	MIS Cell Fumisning	1	50							50	
4	Printing &Distribution of Data formats	1	20							20	
6	Computer Consumables	1	25							25	
	Total									95	
	Sub Total (C)									0239	
	Grand Total									39580.7	

TABLE B :- SPILL OVER WORK PLAN FOR COMING NEXT YEAR 2002-03

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Appropriate		Balance Continue (spill over) phy. target	Unit cost in thousand	Financial Expenditure for continue spill over	Implementing Agency& time period	Remarks
		Balance Phy. target	Balancing Amount					
A	ACCESS							
A1	TLE Grant for UPS	50	2500	2500	50	2500	VEC ,03 months	Money not released
	Sub Total -A					**2500**		in time
(R)	**RETENTION**							
R1	Toilets (PS)	30	450	450	15	450	VEC ,03 months	Money not released
R2	Toilets (UPS)	20	300	300	15	300	VEC ,03 months	in time
R3	Ree. Const of old PS	12	3300	3300	275	3300	VEC ,06 months	Money not released
R4	Ree. Const of old UPS	7	2800	2800	400	2800	VEC ,06 months	in time
R5	Drinking water PS	23	460	460	20	460	VEC ,03 months	Money not released
R5	Drinking water UPS	18	540	540	30	540	VEC ,03 months	in time
	Total					**7850**		
3.1	School Improvement Grant PS	831	1662	1662	2	1662	VEC ,02 months	Money not released
3.2	School Improvement Grant UPS	360	720	720	2	720	VEC ,02 months	in time
	Total					**2382**		
	SUB TOTAL					**10232**		
(Q)	**Qualily Improvement**							
3	ABSA/SDI orientation 5 days	30	10.5	10.5	0.07	10.5	DIET,JUNE	Money not released
4	Training of AE/JE 5 days	7	2.45	2.45	0.07	2.45	DPO,MAY	in time
7	Teacher grant PS	2032	1016	1016	0.5	1016	Teacher,01 month	Money not released
8	Teacher grant UPS	1115	557.5	557.5	0.5	557.5	Teacher,01 month	in time
9	Free text books for sc/st & girls	53415	3148.95	3148.95	0.05	3148.95	DPO ,JULY	Money not released
	Sub Total - Q					**4735.4**		in time
C	**Block Resource Centre**							
1	BRC construction	2	1200	1200	600	1200	CONST.AG.,06 MONTHS	Money not released
2	Furniture	7	350	350	50	350	BRG,JUNE	in time
	School Complex(CRC)							
1	Furniture	88	880	880	10	880	VEC,03 MONTHS	Money not released
2	Construction	2	400	400	200	400	VEC,06 MONTHS	in time
	District Project office							
	Equipments	1	50	50	50	50	DPO,03 MONTHS	Money not released
	Furniture & Fixtures	1	50	50	50	50	DPO,03 MONTHS	in time
	Telephone/Fax	1	30	30	30	30	DPO,03 MONTHS	Money not released
C4 1	**MIS**							in time
1	MIS Cell Furnisning	1	50	50	50	50	DPO,03 MONTHS	Money not released
	Sub Total (C)					**3010**		in time
	Grand Total					**20477.4**		

TABLE C :- PLAN FOR THE NEXT YEAR 2002-03

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	Unit Cost in 000,s	2002-2003		Time Schedule	Remarks
			Phy	Fin		
A	ACCESS					
A1	New Primary School	275	12	3300	12 months	
	New Upper Primary	400	6	2400	12 months	
	Salary of PS Asstt.	8.5	12	1224	12 months	
	Salary of Teacher inN.UPS(AT)	10	18	2160	12 months	
	TLE for new PS	10	12	120	6 months	
	TLE for new UPS	50	6	300	6 months	
	Furniture/Equipment PS	15	12	180	6 months	
	Furniture/Equipment UPS	50	6	300	6 months	
A2	EGS(TLE)	1.1	23	25.3	2 months	
	TLE of A.S	1.2	8	9.6	2 months	
	Contingency of EGS	0.46875	23	10.78	2 months	
	Contingency of AS	0.5	8	4	2 months	
	EGS Honorarium of Instructor	1	23	276	12 months	
	AS Honorarium of Instructor(2/center)	1	16	192	12 months	
A3	Micro planning/cohart	50	1	50	3 months	
A4	Back to school campaign	1	1500	1500	4 months	
A5	Bridge /Remedial course	3 per child	100	300	12 months	
A6	Strengthening Maqtab/Madarasa	20	6	120	3 months	
	Sub Total(A)			**12471.68**		
(R)	RETENTION					
R1	Salary of UPS (AT 3no.s)	10	24	2880	12 months	
	Salary of addl.teacherPS	8.5	67	6834	12 months	
	Additional Classrooms PS	70	80	5600	06 months	
	Additional Classrooms UPS	70	40	2800	06 months	
	Honorium of shiksha mitra	2.2	121	3194.4	12 months	
R2	Toilets (PS)	15	78	1170	3 months	
	ToiletsUPS)	15	40	600	3 months	
	Rec of old PS	275	30	8250	9 months	

	Rec of old UPS	400	12	4800	9 months	
R3	Drinking Water (PS)	20	120	2400	3 months	
	Drinking Water (UPS)	20	35	700	3 months	
R4	Repair and Mainte.PS	5P.A/P.S	831	4155	1 months	
	Repair and Mainte.UPS	5P.A/P.S	260	1300	1 months	
R5	School Improvement Grant (PS)	2P.A/P.S	831	1662	1 months	
	School Improvement Grant (UPS)	2P.A/P.S	260	520	1 months	
	Furniture for UPS students	1 per child	8000	8000	2 months	
R6	Innovation Prog. upto max.	1500	1	1500	12 months	
	Rs. 50 lacsPromoting Girls Edu.					
	Boundary walls PS	40	45	1800	3 months	
	Boundary wallsUPS	50	14	700	3 months	
	Summer Camps	10 per camp	17	170	7 days	
R7	MCDA including Gender Senstization	75 per cluster	7	525	12 months	
R8	SUPW for girls	25 per school	35	875	12 months	
R9	Opening of ECCE centre in	18 per centre	60	1080	3 months	
	non/CDs block					
1	Addl. classrooms for newECCE	70	30	2100	6 months	
2	Civil Works (one additional room)	70	10	700	6 months	
3	TLM	5 per centre	358	1790	2 months	
4	Addl. Hono(.250+.125)(Inst.Worker)	.375 per centre	358	1611	12 months	
5	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	358	537	12 months	
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA traning for 8 persons 1 day	0.007	1091	61.096	July	
2	Kala Jatha (VEC, Block Level& Dist. Level)	8 per CRC	88	704	Aug	
3	Development of Awareness material	5 per block	7	35	2 months	
4	Bal Mela at CRC	5 perCRC	88	440	Aug	
5	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	12 months	
6	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	12 months	
8	Asst.to NGOs for Comm. Moblisation	50 per district	1	50	12 months	
R11	Award of Best VEC (2 No.)	40(25+15)	1	40	12 months	
R12	Award for Best BRC	22(10+4+5)	1	22	12 months	
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	12 months	

R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	.705 per child	2343	1651.81	12 months	
R14	Convergence with Asram Padhati school	9 per child	400	3600	12 months	
	for SC&ST					
R15	Provision For disabled children	1.2 per child	943	1131.6	12 months	
R16	Comp. Edu. for UPS Composite school	100	7	700	12 months	
	School Health Check Up (PS+UPS+HS+IC)	.5 per school	1091	545.5	12 months	
	Book Bank & School Library PS+UPS	5 per school	1091	5455	12 months	
	SSA Identity Cards	.025 per child	108440	2711		
	SUB Total (B)			**85435.406**		
(Q)	Qualily Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Ind. Training for Shiksha Mitra, 30days	0.07per person	131	275.1	30 days	
		per day				
2	In service teachers trgPS 10 days at BRC	0.07per person	1977	1383.9	10 days	
		per day				
3	In service teachers trg UPS 10 days at BRC	0.07per person	848	593.6	10 days	
		per day				
4	Induction training of EGS/AIE	0.07per person	39	81.9	30 days	
	worker.30 days	per day				
5	Orientation course of	0.07per person	116	81.2	10 days	
	Shiksha Mitra,10 days	per day				
6	Training for BRC/ABRC	0.07per person	21	14.7	10 days	
	Coordinator (10 days)	per day				
7	CRC Coordinator's training	0.07per person	88	61.6	10 days	
	(10 days)	per day				
8	Action research/Evaluation/work	0.07per person	126	44.1		
	experience trg. of DIET/BRC/CRC 5 days	per day				
9	Training of PS resources person at	0.07per person	28	19.6	10 days	
	(DIET) (10 days)	per day				
10	Training of UPS resources person at	0.07per person	28	19.6	10 days	
	(DIET) (10 days)	per day				
11	Staff Development training for	0.03per person	28	58.8	7 days	
	DIETs (7 days)	per day				

12	Teacher Training Computer	1.5 per person	25	37.5	10 days	
	(UPS)/DIETE Faculty :(10 days)					
13	Orientation of VECs/Ward	0.03per person	335	160.8	2 days	
	committee (2 days)8 members	per day				
14	Training of RCI(IED)45days	70	10	700	45 days	
15	Tea. Oriet.in IED (5 days)RP for PS+UPS	0.07per p/ day	28	9.8	5 days	
16	AWPB Rev.& Trg of core	15	1	15	7 days	
17	Training on EMIS for distt planning Teams .	25	1	25	7 days	
18	Trg. of ECCE +Aanganwadi Inst.06 days	0.07/person/day	418	175.56	3 months	
19	Trg. of ECCE +Aanganwadi work.06 days	0.07/person/day	418	175.56	3 months	
20	Teachers ABSA/BRC/CRC Staff	0.07per person	200	42	3 days	
	training for Gender sensitisation (3 days)	per day				
21	BRC/ABRC/CRC Coord. Trg. for	0.07per person	109	38.15	5 days	
	Management 5 days	per day				
	TOTAL			**4013.47**		
Q2	TLE for UPS for science lab.	50	160	8000	3 months	
1	Teacher Grant (PS)	0.5	1977	988.5	1 month	
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1022	511	1 month	
3	Free text books to SC/ST	0.1/CHILD/year	61507	6150.7	3 months	
	children & Girls (PS)					
	Free text books to SC/ST	0.1/CHILD/year	19602	2008	3 months	
	children & Girls (UPS)					
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	831	415.5	3 months	
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	260	260	3 months	
6	Printing & Distribution of	1000 approx.	1	1000	3 months	
	syllabus (PS+UPS)					
7	Printing & Distribution of	160	1	160	3 months	
	Training Modules (PS+UPS)					
8	Printing &Distribution of Trainers	160	1	160	3 months	
	Guides (PS+UPS)					
9	Development Printing and	10	1	10	3 months	
	Distribution of AS Training Modules					
12	School Awards	25	2	50	12 months	

13	Mobile Library					
	Librarian	7	1	84	12 months	
	Peon	5	1	60	12 months	
	Van Hiring	100 P.A	1	100	12 months	
	POL	50P.A	1	50	12 months	
	Books	50 P.A	1	50	3 months	
	TOTAL			**20057.7**		
	SUB TOTAL (Q)			**24071.17**		
C1	DIET					
1	Furniture	50	1	50	3 months	
2	Equipments (including audio visual)	200	1	200	3 months	
3	Computers Work Station	400	1	400	3 months	
4	Computer equipmenyts (1/faculty)	100	10	1000	3 months	
5	Maintenance of Comp. Equip.	20	1	20	12 months	
6	POL	30	1	30	12 months	
7	Maintenance of Vehicle	15	1	15	12 months	
8	Research/Action Research	50	1	50	12 months	
9	Faculty Development	30	7	210	12 months	
10	Exposure visits	50	1	50	12 months	
11	Library	25	1	25	12 months	
12	Salary of computer Operator	7per month	1	84	12 months	
13	Consumable/Computer stationary	10	1	10	12 months	
	Total			**2144**		
C2	**Block Resource Centre**					
1	Civil Construction	600	5	3000	10 months	
2	Salary Coordinator	12 per month	7	1008	12 months	
3	Assitt. Coordinator	8.5 per month	14	1428	12 months	
4	Chowkidar	3 per month	7	252	12 months	
5	Equipment/Furniture	100	7	700	3 months	
6	Travelling Allowance	15	7	105	12 months	
7	Maint of Equipment	1	7	7	12 months	
8	Maint of Building	6	7	42	12 months	
9	Books	100	7	700	12 months	

10	Consumables	5	7	35	12 months	
11	Contingency	12.5	7	87.5	12 months	
12	Monthly Review Meeting of	.3 per meeting	84	25.2	12 months	
	CRC Coordinators					
13	Equipments	50	7	350	3 months	
14	Honorarium for Librarian	7 P.M	7	588	12 months	
15	News papers& magzines	3.6	7	25.2	12 months	
	TOTAL			**8352.9**		
C3	***School Complex(CRC)***					
1	Construction	200	22	4400	6 months	
2	Salary Coodinator	8.5/MONTH	88	8976	12 months	
3	Equipment/Furniture	10	88	880	3 months	
4	Books For Library/Book Banks	10	88	880	6 months	
5	Contingency	2.5	88	220	12 months	
6	Monthly Review meeting at CRC	.2 per meeting	1056	211.2	12 months	
7	Library equipments	10	88	880	3 months	
8	News papers& magzines	3.6	88	316.8	12 months	
	TOTAL			**16764**		
C4	**District Project office**					
	Salary Coordinators 4no.s	12 per month	4	576	12 months	
	Consultants 2	10 per month	2	240	12 months	
	Computer operator/Steno	8.5 per momth	1	102	12 months	
	Salary of AAO	12 per month	1	144	12 months	
	Chowkidar/Peon	5 per month	2	120	12 months	
	Salary of librarian/Clerk	7per month	1	84	12 months	
	Books	100	1	100	12 months	
	Salary of Accountant	8.5 per month	1	102	12 months	
	Motor Cycle	50	11	550	3 months	
	Travelling Allowances	200	1	200	12 months	
	Consumables	100	1	100	12 months	
	Telephone/Fax bill charges	50	1	50	12 months	
	Vehicle maintenance & POL	100	1	100	12 months	
	Honorarium to JE/AE	6per BRC	7	42	12 months	

	Maintenance of Equipment	10	1	10	12 months	
	Hiring of Vehicles	100	1	100	12 months	
	Supervision & MonitoringPS+UPS	1.4 per school	1091	1527.4	12 months	
	Contingency	100	1	100	12 months	
	Research & Evaluation	0.3 per school	1231	369.3	12 months	
	Total			**4616.7**		
C4 1	**MIS**					
1	MIS Cell Furnisning	50				
2	Salary of Computer Operator	7per month	1	84	12 months	
3	MIS Equipments (where applicables)	460	1	460	3 months	
4	Printing &Distribution of Data formats	20	1	100	3 months	
5	Maintenance of equipments	20	1	25	12 months	
6	Computer Consumables	50	1	50	12 months	
	Total			**719**		
	Sub Total (C)			**32596.6**		
	Grand Total			**154574.856**		

Table-D According to main Activities Expenses

Rs in thousands

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	AWPB Last year	Reappropriation	Revised Sanctioned Amount	Expressed of the last year till 31st march	Approximate Balance Amount	Approximate saving Amount	Spill over for next year	Fresh plan for 2002-03	Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	ACCESS									
A1	New PS Unserved							0	3300	3300
	New UPS Unserved								2400	2400
	Salary of PS Asstt.								1224	1224
	Salary of Teacher inN.UPS(AT)								2160	2160
	TLE for new PS								120	120
	TLE for new UPS								300	300
	Furniture/Equipment new PS								180	180
	Furniture/Equipment new UPS								300	300
A2	TLE for EGS								25.3	25.3
	TLE for AS								9.6	9.6
	Contingency for EGS								10.78	10.78
	Contingency for AS								4	4
	EGS Honorarium of Instructor								276	276
	AS Honorarium of Instructor								192	192
A3	Micro planning/cohart								50	50
A4	Back to school campaign								1500	1500
A5	Bridge /Remedial course								300	300
A6	Strengthening Maqtab/Madarasa								120	120
	Sub Total(A)	0	0	0	0	0	0	0	12471.68	12471.68
(R)	RETENTION									0
R1	Salary of UPS (AT 3no.s)								2880	2880
	Salary of addl.teacherPS								6834	6834
	Additional Classrooms PS								5600	5600
	Additional Classrooms UPS								2800	2800
	Honorium of shiksha mitra								3194.4	3194.4
R2	Toilets (PS)	450					450	450	1170	1620
	ToiletsUPS)	300					300	300	600	900
	Rec of old PS	4125					4125	3300	8250	11550
	Rec of old UPS	4000					4000	2800	4800	7600

	MAJOR REPAIRS (PS)									0
	MAJOR REPAIRS (UPS)									0
R3	Drinking Water (PS)	500					500	460	2400	2860
	Drinking Water (UPS)	600					600	540	700	1240
R4	Repair and Mainte.PS								4155	4155
	Repair and Mainte.UPS								1300	1300
R5	School Improvement Grant (PS)	1662					1662	1662	1662	3324
	School Improvement Grant (UPS)	720					720	720	520	1240
	Furniture for UPS students								8000	8000
R6	Innovation Prog. upto max.									0
	Rs. 50 lacsPromoting Girls Edu.								1500	1500
	Boundary walls PS								1800	1800
	Boundary wallsUPS								700	700
	Summer Camps								170	170
R7	MCDA incldg.Gender Senstization	525					525		525	525
R8	SUPW for girls								875	875
R9	Opening of ECCE centre in									0
	non/CDs block								1080	1080
1	Addl. classrooms for newECCE								2100	2100
2	Strengthening ICDs Centres									0
3	Development & Distribution of									0
	ECCE Materials TLM for ICDS								1790	1790
4	Civil Works (one additional room)								700	700
5	TLM ECCE	200					200			0
6	Addl. Hono.(.250+.125) (Inst.Worker)	15					15		1611	1611
7	Contingency/Recurrent grant	60					60		537	537
R10	Community Mobolisation									0
1	MTA/PTA traning for 8 persons 1 day								61.096	61.096
2	Kala Jatha (VEC, Block Level& Dist. Level)	704					704		704	704
3	Development of Awareness material								35	35
4	Bal Mela at CRC								440	440
5	Production of Video Tapes								10	10
6	Production of Audio Tapes								10	10
8	Assist to NGOs for Comm.Moblisation								50	50
R11	Award of Best VEC (2 No.)								40	40

R12	Award for Best BRC								22	22
R12	Award of Best Shiksha Mitras								15	15
R13	Remedioal Teaching of SC/ST								1651.81	1651.81
R14	Convrg.with A. Padhati sch. for SC&ST								3600	3600
R15	Provision for Disabled Children								1131.6	1131.6
R15	Comp. Edu. for UPS Composite school								700	700
	Sch. Health Check Up (PS+UPS+HS+IC)								545.5	545.5
	Book Bank & School Library PS+UPS								5455	5455
	SSA Identity Cards								2711	2711
	SUB Total (R)	**13861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13861**	**10232**	**85435.406**	**95667.406**
(Q)	**Quality Improvement**									0
Q1	Training Programmes									0
1	Ind.Trg. for Shiksha Mitra, 30days								275.1	275.1
2	Teacher Trg. PS Assistant Teacher	1335.6					1335.6		1383.9	1383.9
3	In service teachers trainingUPS 10 days								593.6	593.6
4	Research &Evaluation monthly review									0
	meeting at CRC	1527.4					1527.4			0
5	ABSA/SDI orient. Trg.									0
6	Induc. trg of EGS/AIE worker.30 days								81.9	81.9
7	Orient. course of Shiksha Mitra,20 days								81.2	81.2
8	Trg for BRC/ABRC Coord.(10 days)								14.7	14.7
9	CRC Coord.training (10 days)								61.6	61.6
10	Action research/Evaluation/work									0
	experience trg. of DIET/BRC/CRC 10 days								44.1	44.1
11	Trg of res.persons PS at (DIET) (10 days)								19.6	19.6
	Trg of res.persons UPS at (DIET)(10 days)								19.6	19.6
12	Staff Dev.trg for DIETs (7 days)								58.8	58.8
13	ABSA/SDI Training (5 days)	10.5					10.5	10.5		10.5
14	Training for AE & JE (5 days)	2.45					2.45	2.45		2.45
15	Tea.Trg Comp.(UPS)/DIET Faculty (20 days)								37.5	37.5
16	Orientation of VECs/Ward									0
	committee (2 days)8 members	192					192		160.8	160.8
17	Training of RCI(IED)45days								700	700
18	Tea. Orient.in IED (5 days)(RP for PS+UPS)								9.8	9.8
19	AWPB Review and Training of core									0

	planning Teams by SIEMAT (7 days)	15					15		15	15
20	Trg .on EMIS for Distt.Planning teams 7days								25	25
21	Trg. of ECCE+Aangawadi Instructor								175.56	175.56
22	Trg. of ECCE+Aangawadi worker								175.56	175.56
23	BRC/CRC/ABRC Trg for managenent								38.15	38.15
24	Teachers ABSA/BRC/CRC Staff									0
	training for Gender sensitisatic n (3 days)	42					42		42	42
	Total	**3124.95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3124.95**	**12.95**	**4013.47**	**4026.42**
Q2	TLE for UPS for science lab.	6750					6750	2500	8000	10500
1	Teacher Grant (PS)	1016					1016	1016	988.5	2004.5
2	Teacher Grant (UPS)	557.5					557.5	557.5	511	1068.5
3	Free text books SC/STchildren & Girls (PS)	8012.25					8012.25	3148.95	6150.7	9299.65
	Free text books SC/STchildren & Girls (UPS)								2008	2008
4	Supplementary Reading Material (PS)								415.5	415.5
5	Supplementary Reading Material (UPS)								260	260
6	Printing & Distribution of syllabus (PS+UPS)								1000	1000
7	Print.& Distri. of Trg Modules (PS+UPS)								160	160
8	Print.&Distri. of Trainers Guides (PS+UPS)								160	160
9	Dev. Printg and Distri.of AS Trg. Modules								10	10
10	School Awards								50	50
11	Mobile Library									0
	Librarian								84	84
	Peon								60	60
	Van Hiring								100	100
	POL								50	50
	Books								50	50
	TOTAL	**16335.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16335.75**	**7222.45**	**20057.7**	**27280.15**
	SUB TOTAL	**19460.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19460.7**	**7235.4**	**24071.17**	**31306.57**
C1	**DIET**									0
1	Furniture							0	50	50
2	Equipments (including audio visual)								200	200
3	Computers Work Station								400	400
4	Computer equipmenyts (1/faculty)								1000	1000
5	Maintenance of Comp. Equip.								20	20
6	POL								30	30

7	Maintenance of Vehicle								15	15
8	Research/Action Research								50	50
9	Faculty Development								210	210
10	Exposure visits								50	50
11	Library								25	25
12	Salary of computer Operator								84	84
13	Consumable/Computer stationary								10	10
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2144**	**2144**
C2	Block Resource Centre									0
1	Civil Construction	1200					1200	1200	3000	4200
2	Salary Coordinator	157.5					157.5		1008	1008
3	Assitt. Coordinator	315					315		1428	1428
4	Chowkidar								252	252
5	Equipment/Furniture	350					350	350	700	1050
6	Travelling Allowance								105	105
7	Maint of Equipment								7	7
8	Maint of Building								42	42
9	Books								700	700
10	Consumables								35	35
11	Contingency	87.5					87.5		87.5	87.5
12	Monthly Rev. Meeting of CRC Coordinators								25.2	25.2
13	Equipments								350	350
14	Honorarium for Librarian								588	588
15	News papers& magzines								25.2	25.2
	TOTAL	**2110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2110**	**1550**	**8352.9**	**9902.9**
C3	**School Complex(CRC)**									0
1	Construction	400					400	400	4400	4800
2	Salary Coodinator	1980					1980		8976	8976
3	Equipment/Furniture	880					880	880	880	1760
4	Books For Library/Book Banks								880	880
5	Contingency	220					220		220	220
6	Monthly Review meeting at CRC								211.2	211.2
7	Library equipments								880	880
8	News papers& magzines								316.8	316.8
	TOTAL	**3480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3480**	**1280**	**16764**	**18044**

C4	District Project office									0
	Salary of AAO								144	144
	Salary Coordinators 4	120					120		576	576
	Consultants 2								240	240
	Computer operator/Steno	21					21		102	102
	Furniture	50					50	50		50
	Chowkidar/Peon	18					18		120	120
	Equipment	50					50	50		50
	Salary of librarian/Clerk	21					21		84	84
	Books								100	100
	Salary of Accountant	30					30		102	102
	Motor Cycle								550	550
	Travelling Allowances	50					50		200	200
	Consumables								100	100
	Telephone/Fax(connection/Bill charges)	30					30	30	50	80
	Vehicle maintenance & POL	50					50		100	100
	Honorarium to JE/AE	14					14		42	42
	Maintenance of Equipment								10	10
	Hiring of Vehicles	50					50		100	100
	Supervision & MonitoringPS+UPS								1527.4	1527.4
	Contingency	50					50		100	100
	Research & Evaluation								369.3	369.3
	Total	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554**	**130**	**4616.7**	**4746.7**
C4 1	MIS									0
1	MIS Cell Furnisning	50					50	50		50
2	Salary of Computer Operator								84	84
3	MIS Equipments (where applicables)								460	460
4	Printing &Distribution of Data formats	20					20		100	100
5	Maintenance of equipments								25	25
6	Computer Consumables	25					25		50	50
	Total	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**50**	**719**	**769**
										0
	Sub Total (c)	**6239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6239**	**3010**	**32596.6**	**35606.6**
										0
	Grand Total	**39560.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39560.7**	**20477.4**	**154574.856**	**175052.26**

TABLE-E SPILL OVER & SAVINGS OF YEAR 2001-02

Rs in thousands

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	Last year Sanctioned Plan Amt. 2001-02	Amt. released against Sanctioned 2001-02	Spill over 2001-02	Savings 2001-02	Remarks
	A					
A	ACCESS					
A1	New PS Unserved					
	New UPS Unserved					
	Salary of PS Asstt.					
	Salary of Teacher inN.UPS(AT)					
	TLE for new PS					
	TLE for new UPS					
	Furniture/Equipment new PS					
	Furniture/Equipment new UPS					
A2	TLE for EGS					
	TLE for AS					
	Contingency for EGS					
	Contingency for AS					
	EGS Honorarium of Instructor					
	AS Honorarium of Instructor					
A3	Micro planning/cohart					
A4	Back to school campaign					
A5	Bridge /Remedial course					
A6	Strengthening Maqtab/Madarasa					
	Sub Total(A)					
(R)	RETENTION					
R1	Salary of UPS (AT 3no.s)					
	Salary of addl.teacherPS					
	Additional Classrooms PS					
	Additional Classrooms UPS					
	Honorium of shiksha mitra					
R2	Toilets (PS)	450	450	450		
	ToiletsUPS)	300	300	300		
	Rec of old PS	4125	3300	3300		
	Rec of old UPS	4000	2800	2800		
	MAJOR REPAIRS (PS)					
	MAJOR REPAIRS (UPS)					
R3	Drinking Water (PS)	500	460	460		
	Drinking Water (UPS)	600	540	540		
R4	Repair and Mainte.PS					
	Repair and Mainte.UPS					
R5	School Improvement Grant (PS)	1662	1662	1662		
	School Improvement Grant (UPS)	720	720	720		
	Furniture for UPS students					
R6	Innovation Prog. upto max.					
	Rs. 50 lacsPromoting Girls Edu.					
	Boundary walls PS					
	Boundary wallsUPS					
	Summer Camps					
R7	MCDA incldg.Gender Senstization	525				
R8	SUPW for girls					

R9	Opening of ECCE centre in					
	non/CDs block					
1	Addl. classrooms for newECCE					
2	Strengthening ICDs Centres					
3	Development & Distribution of					
	ECCE Materials TLM for ICDS					
4	Civil Works (one additional room)					
5	TLM ECCE	200				
6	Addl. Hono.(.250+.125) (Inst.Worker)	15				
7	Contingency/Recurrent grant	60				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA traning for 8 persons 1 day					
2	Kala Jatha (VEC, Block Level& Dist. Level)	704				
3	Development of Awareness material					
4	Bal Mela at CRC					
5	Production of Video Tapes					
6	Production of Audio Tapes					
8	Assist to NGOs for Comm.Moblisation					
R11	Award of Best VEC (2 No.)					
R12	Award for Best BRC					
R12	Award of Best Shiksha Mitras					
R13	Remedioal Teaching of SC/ST					
R14	Convrg.with A. Padhati sch. for SC&ST					
R15	Provision for Disabled Children					
R15	Comp. Edu. for UPS Composite school					
	Sch. Health Check Up (PS+UPS+HS+IC)					
	Book Bank & School Library PS+UPS					
	SSA Identity Cards					
	SUB Total (R)	**13861**	**10232**	**10232**	**0**	
(Q)	**Qualily Improvement**					
Q1	Training Programmes					
1	Ind.Trg. for Shiksha Mitra, 30days					
2	Teacher Trg. PS Assistant Teacher	1335.6				
3	In service teachers trainingUPS 10 days					
4	Research &Evaluation monthly review	1527.4	1127.4		1127.4	
	meeting at CRC					
5	ABSA/SDI orient. Trg.					
6	Induc. trg of EGS/AIE worker.30 days					
7	Orient. course of Shiksha Mitra,20 days					
8	Trg for BRC/ABRC Coord.(10 days)					
9	CRC Coord.training (10 days)					
10	Action research/Evaluation/work					
	experience trg. of DIET/BRC/CRC 10 days					
11	Trg of res.persons PS at (DIET) (10 days)					
	Trg of res.persons UPS at (DIET)(10 days)					
12	Staff Dev.trg for DIETs (7 days)					
	ABSA/SDI . Trg. 5 DAYS	10.5	10.5	10.5		
14	Training for AE & JE (5 days)	2.45	2.45	2.45		
15	Tea.Trg Comp.(UPS)/DIET Faculty (20 days)					
16	Orientation of VECs/Ward	192				
	committee (2 days)8 members					
17	Training of RCI(IED)45days					
18	Tea. Orient.in IED (5 days)(RP for PS+UPS)					

19	AWPB Review and Training of core					
	planning Teams by SIEMAT (7 days)	15	15		15	
20	Trg .on EMIS for Distt.Planning teams 7days					
21	Trg. of ECCE+Aangawadi Instructor					
22	Trg. of ECCE+Aangawadi worker					
23	BRC/CRC/ABRC Trg for managenent					
24	Teachers ABSA/BRC/CRC Staff					
	training for Gender sensitisation (3 days)	42				
	Total	**3124.95**	**1155.35**	**12.95**	**1142.4**	
Q2	TLE for UPS for science lab.	6750	2500	2500		
1	Teacher Grant (PS)	1016	1016	1016		
2	Teacher Grant (UPS)	557.5	557.5	557.5		
3	Free text books SC/STchildren & Girls (PS)	8012.25	3148.95	3148.95		
	Free text books SC/STchildren & Girls (UPS)					
4	Supplementary Reading Material (PS)					
5	Supplementary Reading Material (UPS)					
6	Printing & Distribution of syllabus (PS+UPS)					
7	Print.& Distri. of Trg Modules (PS+UPS)					
8	Print.&Distri. of Trainers Guides (PS+UPS)					
9	Dev. Printg and Distri.of AS Trg. Modules					
10	School Awards					
11	Mobile Library					
	Librarian					
	Peon					
	Van Hiring					
	POL					
	Books					
	TOTAL	**16335.75**	**7222.45**	**7222.45**	**0**	
	SUB TOTAL	**19460.7**	**8377.8**	**7235.4**	**1142.4**	
C1	DIET					
1	Furniture					
2	Equipments (including audio visual)					
3	Computers Work Station					
4	Computer equipmenyts (1/faculty)					
5	Maintenance of Comp. Equip.					
6	POL					
7	Maintenance of Vehicle					
8	Research/Action Research					
9	Faculty Development					
10	Exposure visits					
11	Library					
12	Salary of computer Operator					
13	Consumable/Computer stationary					
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	1200	1200	1200		
2	Salary Coordinator	157.5				
3	Assitt. Coordinator	315				
4	Chowkidar					
5	Equipment/Furniture	350	350	350		
6	Travelling Allowance					
7	Maint of Equipment					
8	Maint of Building					

9	Books					
10	Consumables					
11	Contingency	87.5				
12	Monthly Rev. Meeting of CRC Coordinators					
13	Equipments					
14	Honorarium for Librarian					
15	News papers& magzines					
	TOTAL	**2110**	**1550**	**1550**	**0**	
C3	**School Complex(CRC)**					
1	Construction	400	400	400		
2	Salary Coodinator	1980				
3	Equipment/Furniture	880	880	880		
4	Books For Library/Book Banks					
5	Contingency	220				
6	Monthly Review meeting at CRC					
7	Library equipments					
8	News papers& magzines					
	TOTAL	**3480**	**1280**	**1280**	**0**	
C4	**District Project office**					
	Salary of AAO					
	Salary Coordinators 4	120				
	Consultants 2					
	Computer operator/Steno	21	21		21	
	Furniture	50	50	50		
	Chowkidar/Peon	18	18		18	
	Equipment	50	50	50		
	Salary of librarian/Clerk	21	21		21	
	Books					
	Salary of Accountant	30	30		30	
	Motor Cycle					
	Travelling Allowances	50				
	Consumables					
	Telephone/Fax(connection/Bill charges)	30	30	30		
	Vehicle maintenance & POL	50	50		50	
	Honorarium to JE/AE	14				
	Maintenance of Equipment					
	Hiring of Vehicles	50	50		50	
	Supervision & MonitoringPS+UPS					
	Contingency	50	50		50	
	Research & Evaluation					
	Total	554	370	130	240	
C4 1	MIS					
1	MIS Cell Furnisning	50	50	50		
2	Salary of Computer Operator					
3	MIS Equipments (where applicables)					
4	Printing &Distribution of Data formats	20				
5	Maintenance of equipments					
6	Computer Consumables	25	25		25	
	Total	**95**	**75**	**50**	**25**	
	Sub Total (c)	**6239**	**3275**	**3010**	**265**	
	Grand Total	**39560.7**	**21884.8**	**20477.4**	**1407.4**	

SUMMARY OF PROJECT COST

DISTRICT- DEHRADUN

Year 2002-03		
	Cost	%
Access	12471.68	8.06
Retention	85435.406	55.28
Quality	24071.17	15.57
Capacity Building	32596.6	21.09
Civil work	50875	32.96
Management Cost	5208.7	3.37
Total	154574.856	

SSA- DEHRA DUN
TIME SHEDULING

Activities	APR 2002	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR 2003
1-Construction												
Prep. work	■											
New PS&UPS,				■	■	■	■	■				
BRC & CRC				■	■	■	■	■	■			
Drinking water & Toilets				■	■							
Rec. Const. of PS & UPS				■	■	■	■	■	■			
2- Training & Innovation Activities												
Innovation Activities				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trg. of AE/JE		■										
Trg. of ABSA/SDI			■									
Capacity Building of DIET staff				■								
Trg. of TOT(PS)					■							
Trg. of TOT(UPS)					■							
Trg. of BRC/ABRC coordinators					■							
Induction Trg. of Shiksha Mitra					■	■						
Trg of EGS & AS Instructor						■						
Trg of PS teacher						■	■	■				
Trg. of UPS teacher								■	■			
Trg of CRC coordinator								■				
Trg of VEC&ward member								■				
Trg of ECCE workers							■	■	■			
Trg of action research evaluation							■	■				
Computer Trg									■			
Special Trg of IED									■	■		
Trg of resource person IED											■	
Refresher course of Shiksha Mitra										■		
Gen. Sens. of ABSA/SDI/ BRC/ABRC/CRC												■
Manag. Trg of BRC & CRC										■		
EMIS Trg of district core team											■	
AWPB review Trg.											■	

LIBRARY & DOCUMENTATION [illegible]
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11905
Date 27-06-2003

देहरादून – वर्ष 2002–03 में प्रस्तावित चहारदीवारी

विकासखण्ड का नाम	क्र0सं0	प्राथमिक विद्यालय का नाम	क्र0सं0	पूर्व माध्यमिक विद्यालय का नाम
चकराता	1	प्रा0 वि0 डाकरा	1	पू0 मा0 वि0 गमरी गबेला
	2	प्रा0 वि0 क्वानु		
	3	प्रा0 वि0 त्युनी ।।		
	4	प्रा0 वि0 लाखामंडल		
	5	प्रा0 वि0 खोलरा		
कालसी	1	प्रा0 वि0 धोईरा	1	पू0 मा0 वि0 कोरूवा
	2	प्रा0 वि0 कालसी गेट		
	3	प्रा0 वि0 क्वासा		
	4	प्रा0 वि0 सलगा		
	5	प्रा0 वि0 कोटी कालोनी		
विकासनगर	1	प्रा0 वि0 भीमावाला	1	पू0 मा0 वि0 बाड़वाला
	2	प्रा0 वि0 उदियाबाग	2	पू0 मा0 वि0 शेरपुर
	3	प्रा0 वि0 बुलाकीवाला		
	4	प्रा0 वि0 केदारावाला		
	5	प्रा0 वि0 बाड़वाला		
	6	प्रा0 वि0 बद्रीपुर		
	7	प्रा0 वि0 शेरपुर		
सहसपुर	1	प्रा0 वि0 बनियावाला	1	पू0 मा0 वि0 बनियावाला
	2	प्रा0 वि0 झीवरहेडी	2	पू0 मा0 वि0 रामपुर कलां
	3	प्रा0 वि0 बडोवाला आरकेडिया		
	4	प्रा0 वि0 नया गांव पेलियो		
	5	प्रा0 वि0 कोटडा संतौर		
	6	प्रा0 वि0 केहरी गांव		
	7	प्रा0 वि0 सेलाकुई		
	8	प्रा0 वि0 धूलकोट		
रायपुर	1	प्रा0 वि0 रायपुर	1	पू0 मा0 वि0 कारगी
	2	प्रा0 वि0 ग0ब0 नेहरूग्राम	2	पू0 मा0 वि0 सेवला कलां
	3	प्रा0 वि0 डांडा लखौन	3	पू0 मा0 वि0 नालापानी
	4	प्रा0 वि0 ह0ब0 बस्ती कारगी		
	5	प्रा0 वि0 अजबपुर डांडा		
	6	प्रा0 वि0 मिडावाला		
	7	प्रा0 वि0 वाणीविहार		
	8	प्रा0 वि0 नूनूरखेडा		

डोईवाला	1	प्रा0 वि0 डोईवाला	1	पू0 मा0 वि0 डोईवाला
	2	प्रा0 वि0 बुल्लावाला–2	2	पू0 मा0 वि0 कोटी भानियावाला
	3	प्रा0 वि0 माधोवाला	3	पू0 मा0 वि गढ़ीश्यामपुर
	4	प्रा0 वि0 दुधली		
	5	प्रा0 वि0 मियावाला		
	6	प्रा0 वि0 ह0ब0 माजरी		
	7	प्रा0 वि0 सुनारगांव		
	8	प्रा0 वि0 रायवाला स्टेशन		
देहरादून	1	प्रा0 वि0 नयागांव	1	पू0 मा0 वि0 परेड ग्राउण्ड
	2	प्रा0 वि0 जाखन		
ऋषिकेश	1	प्रा0 वि0 ऋषिकेश न0–3		
मसूरी	1	प्रा0 वि0 हुसैनगंज		

देहरादून वर्ष 2002–03 में प्रस्तावित पेयजल

विकासखण्ड का नाम	क्र0सं0	प्राथमिक विद्यालय का नाम	क्र0सं0	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
चकराता	1	प्रा0 वि0 सुनीर	1	पू0 मा0 वि0 काण्डोईभरम
	2	प्रा0 वि0 मोहना	2	पू0 मा0 वि0 मोहना
	3	प्रा0 वि0 गमरी	3	पू0 मा0 वि0 लाखामण्डल
	4	प्रा0 वि0 जगथान	4	पू0 मा0 वि0 हनोल
	5	प्रा0 वि0 ठारठा	5	पू0 मा0 वि0 अणु
	6	प्रा0 वि0 पाटी	6	पू0 मा0 वि0 कठंग
	8	प्रा0 वि0 रावना		
	9	प्रा0 वि0 सीढ़ीबरकोट		
	10	प्रा0 वि0 बरोथा		
	11	प्रा0 वि0 चिल्हाड		
	12	प्रा0 वि0 त्यूनी ।।		
	13	प्रा0 वि0 चौसाल		
	14	प्रा0 वि0 रडू		
	15	प्रा0 वि0 गोठाड		
	16	प्रा0 वि0 गढसार		
	17	प्रा0 वि0 काण्डोई		
	18	प्रा0 वि0 लाखामण्डल		
	19	प्रा0 वि0 खोलरा		
	20	प्रा0 वि0 मेन्द्रथ		
कालसी	1	प्रा0 वि0 धोईरा	1	पू0 मा0 वि0 देसऊ
	2	प्रा0 वि0 हरिपुर	2	पू0 मा0 वि0 लोरली
	3	प्रा0 वि0 चापनू	3	पू0 मा0 वि0 पिपाया
	4	प्रा0 वि0 कालसी गेट	4	पू0 मा0 वि0 नगऊ
	5	प्रा0 वि0 बोसान	5	पू0 मा0 वि0 रूपऊ
	6	प्रा0 वि0 व्यासनहरी		
	7	प्रा0 वि0 दधेऊ		
	8	प्रा0 वि0 खेरी		
	9	प्रा0 वि0 कालसी जंगलात		
	10	प्रा0 वि0 लोहारी		
	11	प्रा0 वि0 केनोटा		
	12	प्रा0 वि0 बाढ़ो		
	13	प्रा0 वि0 व्यासभूड़		
	14	प्रा0 वि0 कचटा		
	15	प्रा0 वि0 दोहा		
	16	प्रा0 वि0 कोटी करूवा		
	17	प्रा0 वि0 बोहरी		
	18	प्रा0 वि0 उद्पाल्टा		
	19	प्रा0 वि0 फटेऊ		

विकासनगर	1	प्रा0 वि0 भीमावाला	1	पू0मा0वि0 केदारावाला
	2	प्रा0 वि0 गुडश्चि	2	पू0मा0वि0 पपडियान
	3	प्रा0 वि0 बरोटीवाला	3	पू0मा0वि0 सर्दसु
	4	प्रा0 वि0 नम्बरपुर	4	पू0मा0वि0 बाड़वाला
	5	प्रा0 वि0 पृथ्वीपुर	5	पू0मा0वि0 शेरपुर
	6	प्रा0 वि0 बुलाकीवाला		
	7	प्रा0 वि0 बदामावाला		
	9	प्रा0 वि0 छोटूवाला		
	10	प्रा0 वि0 मु0 ब0 केदारावाला		
	11	प्रा0 वि0 बालूवाला		
	12	प्रा0 वि0 कोटी		
	13	प्रा0 वि0 भूड		
	14	प्रा0 वि0 बड़वा		
	15	प्रा0 वि0 पपडियान		
	16	प्रा0 वि0 चिलियों		
	17	प्रा0 वि0 डुमेट		
	18	प्रा0 वि0 जीवनगढ़		
	19	प्रा0 वि0 जस्सोवाला		
सहसपुर	1	प्रा0 वि0 ईस्ट होप टाऊ.न	1	पू0मा0वि0 झीवर हेडी
	2	प्रा0 वि0 मिठ्ठी भेडी	2	पू0मा0वि0 कमो0 झाजरा
	3	प्रा0 वि0 भूडडी	3	पू0मा0वि0 कमो0 भट्टा
	4	प्रा0 वि0 नयागाँव पेलियों	4	पू0मा0वि0 राजावाला
	5	प्रा0 वि0 गोरखपुर	5	पू0मा0वि0 खुशहालपुर
	6	प्रा0 वि0 भूडपुर		
	7	प्रा0 वि0 कोटडा सन्तौर		
	8	प्रा0 वि0 फुलसनी		
	9	प्रा0 वि0 तेलपुरा		
	10	प्रा0 वि0 सुद्धोवाला		
	11	प्रा0 वि0 धूलकोट		
	12	प्रा0 वि0 बडोवाला भाऊवाला		
	13	प्रा0 वि0 गोपीवाला अनारवाला		
	14	प्रा0 वि0 रिखोली		
	15	प्रा0 वि0 गलडवाडी		
	16	प्रा0 वि0 शंकरपुर –।।		
	17	प्रा0 वि0 शंकरबाग		
	18	प्रा0 वि0 रैडापुर		
	19	प्रा0 वि0 ढाकी		

रायपुर	1	प्रा0 वि0 लाडपुर	1	पू0मा0वि0 बजारावाला
	2	प्रा0 वि0 मालदेवता	2	पू0मा0वि0 भूपालपानी
	3	प्रा0 वि0 सरखेत	3	पू0मा0वि0 भगवानपुर
	4	प्रा0 वि0 नेहरूग्राम – I	4	पू0मा0वि0 क0 माजरा
	5	प्रा0 वि0 ग0ब0 नेहरूग्राम	5	पू0मा0वि0 नालापानी
	6	प्रा0 वि0 तरला नागल	6	पू0मा0वि0 भृगुद्वारीखाल
	7	प्रा0 वि0 अजबपुर खुर्द		
	9	प्रा0 वि0 क0 अपरतलाई		
	10	प्रा0 वि0 बडासी		
	11	प्रा0 वि0 भगवानपुर – II		
	12	प्रा0 वि0 बडासी		
	13	प्रा0 वि0 भगवानपुर – II		
	14	प्रा0 वि0 धारकोट		
	15	प्रा0 वि0 बडेरना		
	16	प्रा0 वि0 कांवली – I		
	17	प्रा0 वि0 मेहूँवाला – 1		
	18	प्रा0 वि0 हरभजवाला		
	19	प्रा0 वि0 चामासारी		
	20	प्रा0 वि0 सरोना		
	21	प्रा0 वि0 क्यारा		
	22	प्रा0 वि0 नाली गाँव		
डोईवाला	1	प्रा0 वि0 केशवपुरी	1	पू0मा0वि0 खेरीमारखम ग्रान्ट
	2	प्रा0 वि0 बुल्लावाला	2	पू0मा0वि0 मियावाला
	3	प्रा0 वि0 ह0ब0 बुल्लावाला	3	पू0मा0वि0 क्र0 नथुवावाला
	4	प्रा0 वि0 झडौन्द	4	पू0मा0वि0 क0 जौली ग्रान्ट
	5	प्रा0 वि0 नागल ज्वालापुर	5	पू0मा0वि0 बडोवाला जौली
	6	प्रा0 वि0 माजरी माफी	6	पू0मा0वि0 रायवाला गाँव
	7	प्रा0 वि0 शमशेर गढ़		
	8	प्रा0 वि0 ह0ब0 बालावाला		
	9	प्रा0 वि0 जोगयाणा		
	10	प्रा0 वि0 अपर जौली		
	11	प्रा0 वि0 जौली ग्रान्ट – II		
	12	प्रा0 वि0 शेरगढ़		
	13	प्रा0 वि0 कोटि भानिवाला		
	14	प्रा0 वि0 जीवन गढ़		
	15	प्रा0 वि0 चांडी प्लाटेशन		
	16	प्रा0 वि0 रेशम माजरी		
	17	प्रा0 वि0 भानियावाला		
	18	प्रा0 वि0 भोगपुर		
	19	प्रा0 वि0 नवीन श्यामपुर		

नगर क्षेत्र देहरादून	1	प्रा0 वि0 परेड ग्राउण्ड न0–3	1	पू0मा0 वि0 परेड ग्राउण्ड
	2	प्रा0 वि0 करनपुर – न01	2	पू0मा0 वि0 डोभालवाला
मसूरी	1	प्रा0 वि0 नाला पानी		
	2	प्रा0 वि0 लन्ढौर–2		
ऋषिकेश	1	प्रा0 वि0 ऋषिकेश न0 3		
	2	प्रा0 वि0 ऋषिकेश न0 6		

देहरादून –वर्ष 2002–03 में प्रस्तावित शौचालय

विकासखण्ड का नाम	क्र0सं0	प्राथमिक विद्यालय का नाम	क्र0सं0	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
चकराता	1	प्रा0 वि0 निमगा	1	पू0 मा0 वि0 खरोडा
	2	प्रा0 वि0 चातरा	2	पू0 मा0 वि0 गमरी गवेला
	3	प्रा0 वि0 हाजा	3	पू0 मा0 वि0 मलेथा
	4	प्रा0 वि0 गमरी	4	पू0 मा0 वि0 मोहना
	5	प्रा0 वि0 कलेथा	5	पू0 मा0 वि0 अणु
	6	प्रा0 वि0 कान्डोई भरम	6	पू0 मा0 वि0 कोटि बाबर
	7	प्रा0 वि0 रावना	7	पू0 मा0 वि0 कठंग
	8	प्रा0 वि0 बरौथा		
	9	प्रा0 वि0 छुल्टाड		
	10	प्रा0 वि0 खोलरा		
	11	प्रा0 वि0 कोटी कनासर		
कालसी	1	प्रा0 वि0 धोइरा	1	पू0 मा0 वि0 क्वासा
	2	प्रा0 वि0 चापनू	2	पू0 मा0 वि0 देसऊ
	3	प्रा0 वि0 गास्की	3	पू0 मा0 वि0 लोरली
	4	प्रा0 वि0 जुड्डो	4	पू0 मा0 वि0 उदपाल्टा
	5	प्रा0 वि0 लोहारी	5	पू0 मा0 वि0 नगऊ
	6	प्रा0 वि0 लखस्यार	6	पू0 मा0 वि0 लोहारी
	7	प्रा0 वि0 कचटा	7	पू0 मा0 वि0 पिपाया
	8	प्रा0 वि0 मंगरौली		
	9	प्रा0 वि0 टुगरा		
	10	प्रा0 वि0 कोठा		
	11	प्रा0 वि0 बाढौ		
विकास नगर	1	प्रा0 वि0 रसूलपुर	1	पू0 मा0 वि0 चाँदपुर
	2	प्रा0 वि0 बरोटीवाला	2	पू0 मा0 वि0 पपडियान
	3	प्रा0 वि0 पश्चिमीवाला	3	पू0 मा0 वि0 मदर्सू
	4	प्रा0 वि0 छोटूवाला	4	पू0 मा0 वि0 बाडवाला
	5	प्रा0 वि0 बालूवाला	5	पू0 मा0 वि0 कटापत्थर
	6	प्रा0 वि0 कोटी	6	पू0 मा0 वि0 शेरपुर
	7	प्रा0 वि0 लांघा		
	8	प्रा0 वि0 बडवा		
	9	प्रा0 वि0 हरिपुर		
	10	प्रा0 वि0 कुल्हाल		
	11	प्रा0 वि0 आवलीवाला		
	12	प्रा0 वि0 शेरपुर		

सहसपुर	1	प्रा0 वि0 लाइन परवल	1	पू0 म0 वि0 क्रमो0 झाजरा
	2	प्रा0 वि0 गोरखपुर	2	पू0 मा0 वि0 झाजरा
	3	प्रा0 वि0 केहरी गाँव	3	पू0 मा0 वि0 क्रमो0 भट्टा
	4	प्रा0 वि0 चाँदमारी	4	पू0 मा0 वि0 अब्दुलापुर
	5	प्रा0 वि0 शुद्धोवाला	5	पू0 मा0 वि0 खुशालपुर
	6	प्रा0 वि0 बडोवाला भाऊवाला	6	पू0 मा0 वि0 कैंचीवाला
	7	प्रा0 वि0 डूँगा	7	पू0 मा0 वि0 क0 पंडितवाडी
	8	प्रा0 वि0 जोहडी		
	9	प्रा0 वि0 पुडकल गाँव		
	10	प्रा0 वि0 भगवन्तपुर		
	11	प्रा0 वि0 कुढनल गाँव		
	12	प्रा0 वि0 रामनगर खुर्द		
रायपुर	1	प्रा0 वि0 लाडपुर	1	पू0 मा0 वि0 रामनगर डांडा
	2	प्रा0 वि0 अंखाडीभिलंग	2	पू0 मा0 वि0 सलेली
	3	प्रा0 वि0 नेहरूग्राम ।	3	पू0 मा0 वि0 हरबशवाला
	4	प्रा0 वि0 तरला नागल	4	पू0 मा0 वि0 बुरासखण्डा
	5	प्रा0 वि0 दीपनगर	5	पू0 मा0 वि0 भृगुद्वारीखाल
	6	प्रा0 वि0 सौडाद्वारा		
	7	प्रा0 वि0 नालीगाँव		
	8	प्रा0 वि0 धारकोट		
	9	प्रा0 वि0 थानों		
	10	प्रा0 वि0 हरभजवाला		
	11	प्रा0 वि0 सरोना		
	12	प्रा0 वि0 क्यारा		
डोईवाला	1	प्रा0 वि0 गा0 गा0 बुल्लावाला	1	पू0 मा0 वि0 कमो0 नकरौदा
	2	प्रा0 वि0 ह0ब0 बुल्लावाला	2	पू0 मा0 वि0 माजरी माफी
	3	प्रा0 वि0 माधोवाला	3	पू0 मा0 वि0 क0 चक तुनवाला
	4	प्रा0 वि0 तीर्थवाल बस्ती वालावाला	4	पू0 मा0 वि0 जौली ग्रान्ट
	5	प्रा0 वि0 बालावाला ।।		
	6	प्रा0 वि0 शमशेर गढ़		
	7	प्रा0 वि0 गढ़ निवास		
	8	प्रा0 वि0 नवीन जौली		
	9	प्रा0 वि0 शेरगढ़		
	10	प्रा0 वि0 चाण्डी प्लांटेशन		
	11	प्रा0 वि0 लाल तप्पड		
	12	प्रा0 वि0 क0 बरकोट		

नगर क्षेत्र देहरादून	1	प्रा0 वि0 नेहरू नगर कालोनी	1	पू0 मा0 वि0 परेड ग्राउण्ड
	2	प्रा0 वि0 कुम्हार मौहल्ला	2	पू0 मा0 वि0 पटेल नगर
	3	प्रा0 वि0 हकीकत रायनगर	3	पू0 मा0 वि0 क्रमो0 हाथी बडकला
	4	प्रा0 वि0 दिलाराम बाजार		
मसूरी	1	प्रा0 वि0 दूधली	1	पू0 मा0 वि0 धोबीघाट
	2	प्रा0 वि0 लन्ढौर–।		
ऋषिकेश	1	प्रा0 वि0 ऋषिकेश न0 2	1	पू0 मा0 वि0 मनीराम मार्ग
	2	प्रा0 वि0 ऋषिकेश न0 3		

देहरादून – वर्ष 2002–03 में प्रस्तावित अतिरिक्त कक्ष

विकासखण्ड का नाम	क्र0सं0	प्राथमिक विद्यालय का नाम	क्र0सं0	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
चकराता	1	प्रा0 वि0 मलेथा	1	पू0 मा0 वि0 क्वानू
	2	प्रा0 वि0 मयरावना	2	पू0 मा0 वि0 गमरी गवेला
	3	प्रा0 वि0 रंडू	3	पू0 मा0 वि0 मुन्धौल
	4	प्रा0 वि0 लाखामण्डल		
कालसी	1	प्रा0 वि0 हरिपुर	4	पू0 मा0 वि0 नगऊ
	2	प्रा0 वि0 कालसी गेट	5	पू0 मा0 वि0 पिपाया
	3	प्रा0 वि0 नगऊ		
	4	प्रा0 वि0 उदपाल्टा		
	5	प्रा0 वि0 सलगा		
विकासनगर	1	प्रा0 वि0 विकासनगर	1	पू0 मा0 वि0 लक्ष्मीपुर
	2	प्रा0 वि0 रसूलपुर	2	पू0 मा0 वि0 रूद्रपुर
	3	प्रा0 वि0 भीमावाला	3	पू0 मा0 वि0 बाड़वाला
	4	प्रा0 वि0 रूद्रपुर	4	पू0 मा0 वि0 जस्सों वाला
	5	प्रा0 वि0 जीवनगढ़	5	पू0 मा0 वि0 जमनीपुर
	6	प्रा0 वि0 हरबर्टपुर	6	पू0 मा0 वि0 धर्मावाला
	7	प्रा0 वि0 ढकरानी	7	पू0 मा0 वि0 बद्रीपुर
	8	प्रा0 वि0 फतेहपुर	8	पू0 मा0 वि0 सभावाला
	9	प्रा0 वि0 जस्सोवाला	9	पू0 मा0 वि0 शैरपुर
	10	प्रा0 वि0 प्रतितपुर		
	11	प्रा0 वि0 शहापुर कल्याणपुर		
	12	प्रा0 वि0 सभावाला		
	13	प्रा0 वि0 सिहनीवाला		
	14	प्रा0 वि0 आवली वाला		
	15	प्रा0 वि0 शेरपुर		
	16	प्रा0 वि0 लाक्खनवाला		
सहसपुर	1	प्रा0 वि0 बनियावाला	1	पू0 मा0 वि0 बनियावाला
	2	प्रा0 वि0 झीवर हेडी	2	पू0 मा0 वि0 झीवर हेडी
	3	प्रा0 वि0 बडोवाला आर केडिया	3	पू0 मा0 वि0 कोटडा सन्तौर
	4	प्रा0 वि0 भूडडी	4	पू0 मा0 वि0 क0 सेलाकुई
	5	प्रा0 वि0 नया गाँव पेलियो	5	पू0 मा0 वि0 तेलपुरा
	6	प्रा0 वि0 गोरखपुर	6	पू0 मा0 वि0 रामपुर कला
	7	प्रा0 वि0 भूडपुर	7	पू0 मा0 वि0 कन्डोली
	8	प्रा0 वि0 आमवाला	8	पू0 मा0 वि0 विरसनी
	9	प्रा0 वि0 सेलाकुई	9	पू0 मा0 वि0 क0 सहसपुर
	10	प्रा0 वि0 धूलकोट		
	11	प्रा0 वि0 भगवानपुर		

अप्रैल से मार्च 2002–03 में प्रस्तावित बी0आर0सी0/सी0आर0सी0

विकासखण्ड का नाम	क्र0सं0	बी0आर0सी0 का नाम	क्र0सं0	सी0आर0सी0 का नाम
चकराता	1	चकराता	1	प्रा0 वि0 त्यूनी
			2	प्रा0 वि0 क्वानू
			3	प्रा0 वि0 लाखामण्डल
			4	प्रा0 वि0 मोहना
कालसी	1	पू0 मा0 हरिपुर	1	प्रा0 वि0 कालसी गेट
			2	प्रा0 वि0 पजिटिलानी
			3	प्रा0 वि0 लखवाड
विकासनगर	1	प्रा0 वि0 विकासनगर	1	प्रा0 वि0 बरोटीवाला
			2	प्रा0 वि0 हरबर्टपुर
			3	प्रा0 वि0 सभावाला
सहसपुर			1	प्रा0 वि0 जोहडी
			2	प्रा0 वि0 बनियावाला
			3	उ0प्रा0 वि0 तिलवाडी
	1	प्रा0 वि0 डोईवाला	1	प्रा0 वि0 गढ़ी श्यामपुर
			2	प्रा0 वि0 भानियावाला – I
			3	प्रा0 वि0 मियावाला
नगर क्षेत्र देहरादून		पू0 मा0 वि0 जाखन	1	प्रा0 वि0 परेड ग्राउण्ड
मसूरी			1	प्रा0 वि0 लन्डौर
ऋषिकेश			1	उ0प्रा0 वि0 मनीराम मार्ग

देहरादून – वर्ष 2002–03 के लिए प्रस्तावित पूर्ण भवन पुनः निर्माण

विकासखण्ड का नाम	क्र0सं0	प्राथमिक विद्यालय का नाम	क्र0सं0	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
चकराता	1	प्रा0 वि0 कोटा तप्पलाड	1	पू0मा0 वि0 भाटगढी
	2	प्रा0 वि0 निनूस	2	पू0 मा0 वि0 सिलामू
	3	प्रा0 वि0 जाडी		
	4	प्रा0 वि0 चाजोई		
	5	प्रा0 वि0 खबऊ		
कालसी	1	प्रा0 वि0 पंजिया	1	पू0 मा0 वि0 डकियारना
	2	प्रा0 वि0 मुंधान	1	पू0 मा0 वि0 अष्टी
	3	प्रा0 वि0 सैंसा		
	4	प्रा0 वि0 समाल्टा		
	5	प्रा0 वि0 अष्टाड		
विकासनगर	1	प्रा0 वि0 झन्डूपुर	2	पू0 मा0 वि0 ढकरानी
	2	प्रा0 वि0 बैरागी वाला	3	पू0 मा0 वि0 एनफिल्ड
	3	प्रा0 वि0 मटक माजरी		
	4	प्रा0 वि0 तौली		
सहसपुर	1	प्रा0 वि0 बडोवाला आरकेडिया	1	पू0 मा0 वि0 झाजरा
	2	प्रा0 वि0 जोहडी	2	पू0 मा0 वि0 खुशालपुर
	3	प्रा0 वि0 बिष्ट गाँव		
	4	प्रा0 वि0 भाऊवाला		
रायपुर	1	प्रा0 वि0 अजबपुर – I	1	पू0 मा0 वि0 सरोना
	2	प्रा0 वि0 कंडोली	2	पू0 मा0 वि0 चामासारी
	3	प्रा0 वि0 चौकी चुंगी चामासारी		
	4	प्रा0 वि0 चलचला		
डोईवाला	1	प्रा0 वि0 दूधली	1	पू0 मा0 वि0 डोईवाला
	2	प्रा0 वि0 नथुवाबाला – I	2	पू0 मा0 वि0 नथुवा वाला
	3	प्रा0 वि0 कालूवाला		
	4	प्रा0 वि0 भानियावाला – II		
नगर क्षेत्र देहरादून	1	प्रा0 वि0 रेसकोर्स		—
	2	प्रा0 वि0 बलबीर रोड नयी बस्ती		
मसूरी	1	प्रा0 वि0 घोबी घाट – लन्डौर		—
ऋषिकेश	1	प्रा0 वि0 नगर क्षेत्र न0 – I		—

सर्व शिक्षा अभियान

वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट

वर्ष **2002–2003**

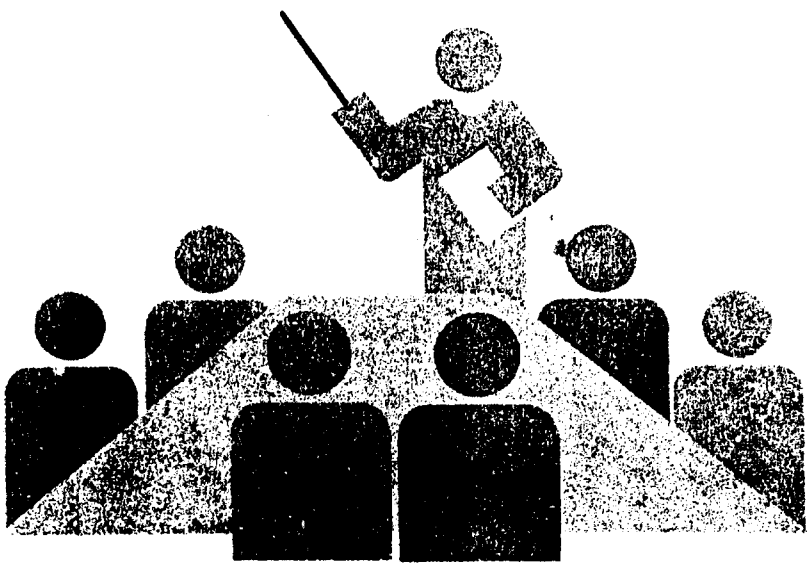

जनपद – देहरादून
(उत्तरांचल)

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11905
DOC, No 27-06-2003
Date .....

सर्व शिक्षा अभियान – जनपद देहरादून

वार्षिक योजना – वर्ष 2002–2003

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद देहरादून – एक परिचय	1–11
2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	12–32
3	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य	33–34
4	नियोजन प्रकिया	35–44
5	समस्याएँ एंव रणनीतियाँ	45–54
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार	55–57
7	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	58–63
8	गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रम	64–67
9	योजना कियान्वयन एवम् अनुश्रवण	68–79
10	दिसंबर 2001 से मार्च 2002 (SPILL OVER)	80–85
11	वार्षिक बजट तथा समय सारिणी	86-

अध्याय–1

जनपद देहरादून – एक परिचय

जनपद देहरादून हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित उतरांचल राज्य का महत्वपूर्ण नगर व राजधानी है। यह नगर प्रदेश तथा देश के मानचित्र पर अपनी नैसर्गिक सौन्दर्यता एवम् शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जनपद शिवालिक पर्वत श्रृंखला की धाटी में स्थित है। इसको दून धाटी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की एतिहासिक एंवमृ सांस्कृतिक विरासत से संतृप्त दून धाटी अपनी आध्यात्मिक एंवम् सांस्कृतिक उपलब्धियों के इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपती रही है। अशोक महान का अहिंसा का संदेश कालसी के प्रस्तर खंड (शिलालेख) से सदियों तक इस धाटी में गूँजता रहा। गुरू राम राय ने यहां डेरा डालकर समन्वय एंवम् सद्भावना का अलख जगाया कदाचित अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्वाह करते हुए,देहरादून जनपद आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका क्व निर्व्रह कर रहा है। अनेक लब्ध प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के साथ श्री गुरू राम राय मिशन द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य इस जनपद से हो रहा है,वह निसंदेह अद्धितीय है। मात्रात्मक ही नहीं, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए देहरादून भारत के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाए हुए है।

1.1 नाम उद्भव

देहरादून नगर अपने नाम व अनेक सांस्कृतिक एंवम् धार्मिक विविधताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके नाम के सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित है। एक मत के अनुसार गुरू द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम के अनुसार द्रोणाश्रम था, जो कालान्तर में देहरादून के नाम से प्रचलित हो गया।एक अन्य मत के अनुसार देहरादून शब्द देहरा और दून शब्दों से मिलकर बना है। इस मत को गुरूरामराय के यहाँ डेरा डालने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार देहरा (डेरा) को दून के साथ जोड़ने से यह क्षेत्र देहरादून के नाम से पुकारा जाता है। भूगोल वेत्ताओं के मतानुसार, दो पहाडियों के बीच की घाटी को दून के नाम से पुकारा जाता हैं।

1.2 जनपद देहरादून की भौगोलिक स्थिति;

- ❖ जनपद देहरादून उत्तरांचल राज्य के गढवाल मण्डल के अन्तर्गत स्थित है। इसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है।
- ❖ जनपद देहरादून शिवालिक पर्वत श्रृखंला की घाटी में स्थित है।

❖ जनपद देहरादून उत्तरांचल की उत्तर पश्चिम सीमा पर 29.57 था 31.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77.35 डिग्री एवं 29. 20 डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।

❖ जनपद के पश्चिम में टौन्स और यमुना नदी, जनपद को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है।

❖ इस जनपद के पूर्व में टिहरी, पौड़ी, उत्तर में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में हरिद्वार व सहारनपुर जनपद है।

❖ जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3088 वर्ग किमी है।

❖ 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1279083 है। 603534 स्त्रियॉं, 675549 पुरूष है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 414 प्रति वर्ग किमी है।

❖ जनपद में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 764 ग्राम आबाद है तथा 21 वनग्राम है। जनपद की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.6 प्रतिशत है।

❖ प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 15.9 प्रतिशत बायो क्षेत्रफल है।

❖ जनपद की वार्षिक सामान्य वर्षा 2212 मि0मी0 है।

❖ प्रमुख नदियॉं--- गंगा, यमुना, टोंस, आसन, सुसवा, विन्दाल, रिस्पना, सौंग है।

❖ भूमिगत जल--- भूगर्भ जल 50 फीट से लेकर 350 फीट तक उपलब्ध है।

❖ वन सम्पदा--- इस जनपद में 219811 हेक्टेअर क्षेत्रफल में वन है।

❖ खनिज सम्पदा--- खनिज पदार्थो में चूना, संगमरमर, चिप्स, फासफाइट, डोलोमाइट एवंम् ताबॉ प्रमुख है।

❖ तहसील–जनपद देहरादून में चकराता, देहरादून, विकासनगर एवम् ऋषिकेश 4 तहसीलें हैं।

❖ विकासखण्ड– इस जनपद में चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर डोईवाला तथा रायपुर छः विकासखण्ड है।

❖ भौगोलिक दृष्टि से– इस जनपद को 3 भागों में बॉटा जा सकता है।

- उत्तरी पहाड़ी भाग
- मध्य भाग
- दक्षिणी पहाड़ी भाग

❖ उत्तरी पहाड़ी भाग–

यह भाग अधिकतर पहाड़ी है जो समुद्रतल से 900 से 2700 मी उॅचाई तक फैला है। इसमें देववन, चकराता एवं बाबर मुख्य पहाड़ ळें

❖ मध्य भाग घाटी–

यह भाग गंगा एवं यमुना के बीच का भाग है और समुद्र तल से 90 मीटर से 315 मीटर उँचाई तक फैला हुआ है। यह भाग धान की फसल के लिए बहुत अच्छा है। इस मध्य भाग को देहरादून नगर कहते है।

❖ दक्षिणी पहाड़ी भाग–

यह भाग शिवालिक पहाड़ी की तलहटी है जो समुद्र की सतह से 300 मीटर से 900 मीटर ऊँचा है। सहारनपुर जाते समय रास्ते में पहाड़ के बीच से जो सुंरग बनाई गयी हैं, ये ही शिवालिक की पहाडियाँ है।

1.3 जलवायु–

जनपद देहरादून की जलवायु शीतोष्ण है। यह स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभकारी है। जनपद देहरादून वनों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ दो प्रकार के वन पाये जाते हैं–

◆ प्रथम प्रकार के वन– चकराता में पाये जाते हैं, जो शंकुधारी हैं। इसमें देवदार, कैल, चीड़ आदि प्रमुख इमारती लकड़ी वाले वन हैं।

◆ दूसरे प्रकार के वन– अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर पाये जाते हैं। इनमें शीशम, तुन, बेर, बहेड़ा, आदि विभिन्न प्रकार की वनौषधियाँ पाई जाती है।

1.4 लिंग अनुपात

" प्रति हजार पुरूषों में महिलाओं की संख्या 893 हैं। " (जनगणना 2001)

1.5 जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रमुख कर्मकर कुल जनसंख्या का 31.4 प्रतिशत है तथा कृषिकर्मकर कुल जनसंख्या का 10.4 प्रतिशत है तथा कृषि श्रमिक 3.1 प्रतिशत है। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योगो में लगे कर्मकर कुल जनसंख्या के 0.9 प्रतिशत है। उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जैसे उद्योग, निर्माण, परिवहन एवं अन्य सेवाओं में लगे कर्मकरों की संख्या कुल जनसंख्या का 64.6 प्रतिशत है। कर्मकर तथा काम न करने वालों का अनुपात 32:68 है। पुरूषों का अनुपात 51:49 तथा स्त्रियों में 11:89 प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या में से 35 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या में 30 प्रतिशत कार्य करने वाले है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कर्मकरों में से 51 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं तथा कृषक का प्रतिशत 49 हैं।नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने वालों में से 67 प्रतिशत अकृषकों का है तथा 3 प्रतिशत कृषकों व श्रमिकों का है। जनपद में स्त्री कर्मकरों की जनसंख्या 11 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कर्मकरों का प्रतिशत 83 है जबकि 17 प्रतिशत कर्मकर अकृषक कार्यो में लगी हैं। " स्त्रोत– जिला सांख्यिकी "

1.6 सामाजिक दशा– जनपद देहरादून एक ऐसा जनपद है, जिसमें सभी संस्कृतियों और जातियों का समावेश है। संस्कृति, जातिगत एवं भाषागत विविधताओं के चलते भी सभी सामाजिक कियाकलापों में समन्वय, सहयोग एवं सद्भावना देखने को मिलती हैं। जनपद देहरादून में जौनसार बावर की एक विशिष्ट संस्कृति है। जौनसार बावर क्षेत्र पौराणिक काल में महाभारत की संस्कृति से जुड़ा रहा, इसके पुष्ट प्रमाण इस क्षेत्र में मिलते है। जौनसार बावर की संस्कृति में कौरवों एवं पाण्डवों की संस्कृति की झलक मिलती है। जौनसार बावर के रीति रिवाज जनपद के सामान्य रीति रिवाजों से अलग हैं। इस क्षेत्र का पहनावा एवं खान–पान विशिष्टता लिये हुये हैं। लोकगीत, लोकनृत्यों के संदर्भ में यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। जौनसार बावर क्षेत्र में ऊन तथा भेड़ पालन एक प्रमुख काम के रूप में है। जनपद के अन्य भागों में लोग मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं।

1.7 जनपद की प्रशासनिक इकाइयॉ

क.सं	प्रशासनिक इकाइयाँ	संख्या
1	तहसील	04
2	विकासखण्ड	06
3	न्याय पंचायत	40
4	ग्राम पंचायत	335
5	राजस्व ग्राम	744
6	आबाद ग्राम	746
7	गैर आबाद ग्राम	18
8	वनग्राम	21
9	नगर निगम	01
10	नगर पालिका परिषद	03
11	छावनी क्षेत्र	04
12	नगर पंचायत	02
13	नोटीफाइड एरिया	01
14	सेन्सस टाउन	06
15	पुलिस स्टेशन–क. ग्रामीण ख. नगरीय	06 11

स्त्रोत–जिला सांख्यिकी

1.8 जनपद स्तर पर;

जनसंख्या 1991 के अनुसार;	जनसंख्या 2001 के अनुसार;
पुरूष – 556432	पुरूष – 675549
महिला – 469247	महिला – 603534
कुल योग – 1025679	कुल योग – 1279083

वृद्धि दर – 24.71 प्रतिशत

लिंग अनुपात – 893 प्रति हजार पुरूष

जनसंख्या घनत्व – 414 प्रति वर्ग किमी

अनुसूचित जाति;	अनुसूचित जनजाति;
पुरूष – 92598	पुरूष – 55510
महिला – 7883	महिला – 49304
कुल योग – 171431	कुल योग – 104814

जनसंख्या

जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001
ग्रामीण – 510199	ग्रामीण – 636255
नगरीय – 515480	नगरीय – 642828
कुल जनसंख्या – 1025679	कुल जनसंख्या – 1279083

स्त्रोतः– जनगणना कार्यालय

1.9 जनपद में स्थित प्रमुख संस्थान

हमारे जनपद में महत्वपूर्ण कार्यालय व संस्थान स्थित है। हमारा जनपद संस्थानों के लिये प्रसिद्ध है। कुछ प्रसिद्ध संस्थानों का विवरण और उनके कार्यो के विषय में जानकारी दी जा रही है।

❖ भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इण्डिया)

इस संस्थान में मानचित्रों का निर्माण होता है मानचित्रों का मानव जाति के लिये अत्यन्त महत्व है। मानचित्र बनानें के लिये भारत सरकार द्वारा यही एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसकी स्थापना सन् 1967 में हुयी थी। भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय देहरादून में ही स्थित है।

❖ तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ. एन. जी. सी)

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का कार्यालय देहरादून में स्थित हैं। जिसको तेल भवन भी कहा जाता हैं। इस संस्थान का कार्य भूमि के अन्दर छिपे तेल का पता लगाना है और उसे निकालना है।

❖ वन अनुसंधान संस्थान (एफ. आर. आई)

जनपद देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ वन अनुसंधान का कार्य किया जाता है।

❖ भारतीय सैन्य अकादमी (आई0एम0ए0)

देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है,जिसमें कैडिटों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ये कैडिट भारतीय सेना में नियुक्ति पाते हैं।

❖ लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी इसी जनपद के मसूरी नगर में स्थित है,जहां देश के सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

❖ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई0आई0पी0)

पेट्रोलियम उत्पादों से सम्बन्धित शोध कार्य के लिए जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इस संस्थान में पेट्रोलियम पदार्थो के विषय में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जाते है।

❖ आयुध निर्माणी (आर्डीनेन्स फैक्ट्री)

आयुध निर्माणी देहरादून में रायपुर नामक स्थान पर स्थित है। यह रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का विशाल कारखाना है।यहाँ रक्षा उपकरणों का निर्माण एवंम् अनुसंधान होता है।

❖ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में स्थित है।यह विभाग प्राचीन संस्कृति की खोज एंवम् संरक्षण का कार्य करता है।

❖ राष्ट्रीय दृष्टि बधितार्थ संस्थान

दृष्टिहीनों के लिए देहरादून नगर में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दृष्टिं बधितार्थ संस्थान है,जो दृष्टिहीनों में आत्मविश्वास,आत्मनिर्भरता लाने में अपना योगदान करता है।

❖ हिमालियन चिकित्सा विज्ञान संस्थान

यह संस्थान जौलीग्रांट में स्थित है। इसकी स्थापना महान विद्वान संत श्री स्वामी राम जी ने की है। इस संस्थान में चिकित्सा विज्ञान में उपाधि दी जाती है तथा रोगियों का इलाज किया जाता है।

❖ वाडिया संस्थान

यह संस्थान देहरादून नगर क्षेत्र में जनरल महादेव सिंह मार्ग पर स्थित है इस संस्थान में भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धित शोध कार्य किए जाते हैं।

1:10जनपद देहरादून का रेशम उद्योग

जनपद देहरादून रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारे जनपद में इस उद्योग का प्रारम्भ **1858** में मसूरी कें झड़ीपानी गाँव में,अंग्रेजी शासनकाल में कैप्टन हिल्टन के द्वारा किया गया था। आज पूर्वी देहरादून का रेशम माजरी इस उद्योग में सबसे आगे है। सन **1881** से यह कार्य इस गॉव में किया जा रहा है। यहॉ लगभग 35 एकड़ भूमि सरकार द्वारा किसानों को रेशम उद्योग के लिये दी गयी थी, इस समय **1647** परिवार इस उद्योग में लगे हुये हैं।

1.11 जनपद देहरादून में पर्यटन

भारत के पर्यटन स्थलों की गणना में उत्तरांचल प्रमुख है। उत्तरांचल एक पर्वतीय प्रदेश है,जिसमें कुमायूँ एवम् गढवाल दो मण्डल है। जनपद देहरादून गढ़वाल मण्डल का एक सुन्दर जनपद है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहॉ की जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक है। पर्य्रटन की दृष्टि से वास्तव में समूचा जनपद महत्वपूर्ण है; किन्तु जनपद के कुछ पर्यटन केन्द्र अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् नैसर्गिक सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है।

❖ देहरादून नगर

देहरादून नगर आधुनिक नगरों में से एक है। नगर में देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जो कि पर्य्रटन के दृष्टि से ही नहीं अपितु वैज्ञानिक, शैक्षिक एवम् अनुसंधानात्मक कार्यो के लिये भी महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम प्रधानमत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू को देहरादून शहर बहुत पसन्द था।

❖ सहस्त्रधारा

यह स्थान देहरादून से 12 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है, तथा अपनी प्राकृतिक सौन्दर्यता के लिये प्रसिद्ध हैं। इस नदी से कई धाराऐ निकलती हैं, इसलिये इसे सहस्त्रधारा कहते है। नदी के किनारों पर प्राकृतिक रूप से शुद्ध गन्धक के जल के फब्बारे निकलते हैं।

❖ हनोल

यह स्थान देहरादून से 155 कि0 मी0 दूर है।यहॉ पर भगवान (महासू) का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं। लोगों का विश्वास है, कि हिमालय यात्रा के दौरान पाण्डवों ने भगवान विष्णु की आराधना करने के लिये इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु महासू जौनसार बावर के जनजाति लोगों के आराध्य देव तथा न्याय के प्रतीक हैं।

❖ मसूरी

देहरादून के पर्यटक स्थलों में सबसे मनोरंजक मसूरी है। यह देहरादून से 35 कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। उसकी उँचाई समुद्र तल से 1791 मीटर है। मसूरी नगर अत्यधिक रमणीक है। इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि बडी रोचक है। इसे सन् 1811में एक यूरोपियन मेजर " हिदरसे " ने खरीदा था, तत्पश्चात् 1812 में उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों बेच दिया। गर्मियों में जलवायु आनन्दायक होती हैं, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्ष्रित करती है। यहाँ पर कैम्टी,मैसी फाल नामक दो सुन्दर जल प्रपात हैं। प्रतिवर्ष लाखों देश–विदेश के पर्यटक यहॉ अप्रैल से जून तक आते हैं।

❖ ऋषिकेश

यह देहरादून से पूरब की ओर हिमालय की तलहटी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान हरिद्वार से 24 कि0 मी0 दूर है। यहॉ पर 250 मी0 लम्बे लोहे के रस्सो से बना पुल हैं, जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है।

❖ टपकेश्वर मंदिर

यह मंदिर देहरादून नगर से 6 कि0 मी0 दूरी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक एवम् धार्मिक महत्व का स्थान है। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य जी ने शिवजी से धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिये तथा शिव जी को प्रसन्न करने के लिये इस गुफा में तपस्या की थी।

❖ डाकपत्थर

यह स्थान देहरादून से 45 कि0 मी0 दूर है, सिंचाई विभाग तथा यमुना जल विद्युत परियोजना के तहत सुन्दर बैराज का निर्माण किया गया है। यहॉ से यमुना तथा टौंस नदी का पानी पक्की नहर द्वारा ढकरानी व ढालीपुर विद्युत पावर हाउस के लिये लाया है।

❖ कोटी छिबरू

देहरादून से लगभग 60 कि0 मी0 दूर इस स्थान पर टौंस नदी के किनारे भारतीय वैज्ञानिकों तथा इन्जिनीयरों की सहायता से स्वदेशी तकनीकी द्वारा 240 मेगावाट क्षमता के एक भूगर्भ पावर हाउस का निर्माण किया गया है। कोटी स्थित बाँध से टौन्स का पानी लगभग 24 कि0मी0 लम्बी सुरंग से छिबरू भूगर्भ पावर हाऊस तक लाया जाता है।

❖ लाखमण्डल

यह स्थान देहरादून से 168 कि0 मी0 दूर स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत के समय पाण्डवों की मृत्यु की कामना से लाक्षागृह का निर्माण यहीं पर हुआ था। यहॉ खुदायी में लाखों मूर्तियॉ प्राप्त हुयी है। यहॉ पर प्राचीन शिव मंदिर है।

❖ चकराता

चकराता देहरादून से 100 कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। यह अति सुन्दर पहाड़ी नगर है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यह नगर पाण्डवों से सम्बद्ध रहा है। उस समय इसका नाम चकानगरी था। इसका आधुनिक नाम ही चकराता है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज इसकी प्राकृतिक सुन्दरता से प्रभावित हुये तथा उन्होने इसे आवासीय बना दिया है। यह नगर चीड़ तथा देवदार के वृक्षों से ढका हुआ है, तथा जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर का केन्द्र स्थल हैं। यहॉ पर सैनिक छावनी भी है।

1.12 प्रमुख उपज एवम् उद्योग–धन्धे

हमारा जिला पहाड़ी होने के कारण पथरीला और उँचा नीचा है। इसके पहाड़ी भागों मे घने जंगल पाये जाते हैं। मैदानी भाग में मिट्टी ऊपजाऊ होने के कारण फसल अच्छी होती हैं।फसलों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—

❖ खरीफ की फसल

यह फसल जून–जुलाई में बोयी जाती है, और अक्टुबर–नवम्बर में काट ली जाती है। इस फसल की मुख्य पैदावार मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। देहरादून में धान सबसे अधिक होता हैं। देहरादून का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध हैं, जो दूर–दूर तक भेजा जाता हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी स्थानों पर अदरक, चौलाई, कोंदों, कंगनी, हल्दी, मिर्च, गागली आदि भी उगायी जाती हैं। चकराता और कालसी आलू, मिर्च, राजमा तथा गागली के लिये प्रसिद्ध है।

❖ रवी की फसल

यह फसल अक्टुबर–नवम्बर में बोयी जाती हैं, जो अप्रैल–मई में काट ली जाती है। इसकी मुख्य उपज गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिलहन आदि हैं।

1.12.1 उद्योग–धन्धे

❖ चाय

हमारा जिला चाय की पैदावार के लिये प्रसिद्ध है। लगभग 4000 एकड़ भूमि पर चाय के बगीचे है। गुडरिच, उदियाबाग, हरबर्टपुर, कौलागढ़, अम्बीवाला, निरंजनपुर, आरकेडिया इत्यादि में चाय के बागान हैं। यहाँ पर हरी चाय तैयार की जाती है, जो विदेशों को भी भेजी जाती है।

❖ चावल

हमारे जिले का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है।सेवला, माजरा, बद्रीपुर, तपोवन, मझोन, कांढली का बासमती चावल प्रसिद्ध है।

❖ चूना

इस जनपद में पहाड़ी नदियों और पहाड़ों से चूने का पत्थर निकालकर इसे– भट्टों में फूंककर चूना बनाया जाता है। यह उद्योग रिस्पना नदी के किनारे अधोईवाला गॉव के आस–पास अधिक स्थित है।

❖ जिप्सम पत्थर

यह पत्थर मसूरी, सहस्त्रधारा, और पश्चिमी भाग की ओर फैली पर्वत श्रेणियों से निकाला जाता हैं। इन पहाड़ियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाला पत्थर तथा गन्धक युक्त पत्थर भी मिलता है।

❖ लकड़ी

हमारे जिले में पहाड़ों पर चीड़,देवदार,कैल, इत्यादि पेड़ अत्यधिक पाए जाते हैं और मैदानी भागों में साल,शीशम,हल्दू,सांदन आदि इमारती लकड़ी के जंगल पाए जाते है। देहरादून से इमारती लकड़ी बाहर भी भेजी जाती है। यहाँ पर छड़ी,स्लीपर,टोर,बल्लियाँ,शहतीर आदि इमारती लकडियों का व्यापार भी होता है।

❖ ऊन

हमारे जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में भेड़ें पाली जाती है,जिनसे ऊन मिलती है। ऊन से कम्बल और कोट के कपड़े और ऊनी चादर तैयार करके उनका व्यापार होता है। चकराता और ऋषिकेश में ऊन के सरकारी केन्द्र भी है। यहाँ पर पशुलोक में ऊन के लिए उन्नत विदेशी भेड़ें पाली जाती है,और ऊन साफ करके बाजार में भेजी जाती है। देहरादून – मसूरी मार्ग पर भी ऊन की एक मिल है।

❖ जड़ी–बूटी

यहाँ पहाड़ व जगंल अधिक होने के कारण जड़ी–बूटी व औषधियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ राजपुर रोड़ पर अमृतधारा फार्मेसी ट्रस्ट है जो जड़ी–बूटियों से दवाइयाँ तैयार करके बाहर भेजती हैं।

❖ बाग

इस जिले में अनेक प्रकार के फलों के बाग पाए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से लीची, आम, चूलू, सेब, आड़ू, नाशपाती के बाग हैं। इसके अतिरिक्त पपीता और अमरूद का व्यापार भी होता हैं।

❖ चीनी/गुड़

हमारे जिले में डोईवाला नामक स्थान पर चीनी मिल है जो लगभग 5 लाख कुंतल चीनी प्रति वर्ष तैयार करती है। कुछ किसान गुड़ स्वंय बनाते हैं।

अध्याय –2
शैक्षिक परिदृश्य

जनपद देहरादून ने शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहचान राष्ट्र के मानचित्र में रेखांकित की है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री गुरू राम राय द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यो एंवम् पहुँच ने शिक्षा के सर्व सुलभीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। विश्व भर में प्रसिद्ध दून स्कूल तथा व्हेलम स्कूल भी इसी जनपद में है। महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से अधिक होने के कारण इस जनपद को सभी के लिए शिक्षा तथा डी0पी0ई0पी0 जैसी परियोजनाओं से आच्छादित नहीं किया गया। इस जनपद में किसी भी शिक्षा परियोजना को संचालित न होने के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत नामांकन,ठहराव और सम्प्राप्ति की दशा अपेक्षाकृत अच्छी हैं। बालिका शिक्षा को जनपद में प्रोत्साहन मिला है। इस जनपद में उच्च शिक्षा के भी पूर्ण एंवम् बेहतर अवसर है। डी0ए0वी0,डी0बी0एस0,एम0के0पी0, गुरू राम राय, पी0जी0 महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय किसी परिचय के मोहताज नही हैं। इन महाविद्यालयों ने अपने जनपद की ही नही बल्कि असेवित दूरदराज एवं बाहय जनपदों के छात्रों के भविष्य को सवाँरने में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। इन महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा,पत्रकारिता,पर्यावरण,कम्प्यूटर आदि के पाठ्यकम संचालित हैं। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यकमों को लेकर इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय भी इस जनपद में स्थापित है। शिक्षा में नवाचार लाने में एंवम् प्राथमिक शिक्षा में सार्वभोमिकरण की दिशा में वर्ष 1994 से इस जनपद में डायट संचालित है। उत्तरांचल राज्य गठन के बाद शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एंवम् विशिष्ट प्रशिक्षणों के लिए राज्य में सिमेट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 का प्राविधान किया जाना अपेक्षित है। शैक्षिक परिदृश्य के अन्तर्गत जनपद की स्थिति सारिणीयों में अंकित है–

सारणी 2.1

राज्य एवं जनपद स्तर पर साक्षरता एवं साक्षरता दर

स्तर	जनसंख्या			साक्षरता			साक्षरता दर		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
राज्य स्तर	4316401	4163161	8479562	3044487	2130689	5.06	84.01	60.26	72.28
जिला स्तर	675549	603534	1279083	506621	374855	881476	85.57	71.22	78.96

स्त्रोत– जनगणना कार्यालय

सारणी–2.2

विकासखण्डवार साक्षरता (1991के अनुसार)

क्रम0संख्या	विकासखण्ड का नाम	पुरूष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	योग प्रतिशत
1	चकराता	27.08	12.36	27.88
2	कालसी	53.22	20.12	38.06
3	विकासनगर	57.64	32.31	46.01
4	सहसपुर	71.81	51.51	62.30
5	रायपुर	80.39	60.26	71.20
6	डोईवाला	81.51	57.14	70.46
7	नगर क्षेत्र	86.95	73.71	81.04
	जनपद की कुल साक्षरता	77.95	59.26	69.05

स्त्रोत– जनगणना कार्यालय

सारिणी 2.3(अ) ग्रामीण/नगरीय जनसंख्या विवरण – 1991 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	26341	22756	49097	7291	6353	13644	16705	15224	31929
2	कालसी	26514	23000	49514	6234	5449	11683	17151	15868	33019
3	विकासनगर	47167	40333	87500	6060	5156	11216	6775	5502	12277
4	सहसपुर	54242	48073	102315	7281	6163	13444	680	563	1243
5	रायपुर	58326	49752	108090	7484	6171	13655	63	35	98
6	डोईवाला	55656	47093	102749	6664	5409	12073	1261	1077	2338
7	वनक्षेत्र	5866	5070	10936	847	725	1572	51	20	71
8	नगर क्षेत्र	282520	233160	515680	32390	27787	60177	1824	1247	3071
	योग	556432	469247	1025679	74251	63213	137464	44510	39536	84046

सारिणी 2.3(ब)

जनगणना 2001 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या संख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	32850	28379	61229	9093	7923	17016	20833	18966	39819
2	कालसी	33065	28683	61748	7774	6795	14569	21389	19788	41177
3	विकासनगर	58822	50299	109121	7557	6430	13987	8449	6861	15310
4	सहसपुर	67645	59952	127597	9080	7686	16766	848	702	1550
5	रायपुर	72738	62046	134784	9333	7696	17029	79	44	123
6	डोईवाला	69409	58730	128139	8311	746	15057	1573	1343	2916
7	वनक्षेत्र	7315	6322	13637	1056	904	1960	64	25	89
8	नगर क्षेत्र	333705	30923	642828	40394	34653	75047	2275	1555	3830
	योग	675549	603534	1279083	92598	78833	171431	55510	49304	104814

नोटः– जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1279083 है। जिसमें पुरूष 675549 व महिला 603534 है। जनपद की पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 24.71 प्रतिशत है, इस आधार पर विकासखण्डों व नगर क्षेत्र की जनगणना को वर्ष 2001 के लिए आंगणित कर प्रक्षेपित किया गया है।

सारिणी 2.4 जनपद की शैक्षिक संस्थाएँ 30.9.2001 की स्थिति

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त वित्तसहित विद्यालय			मान्यता प्राप्त वित्तविहिन विद्यालय			कुल योग		
सं0		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	745	86	831	0	0	0	317	193	510	1062	279	1341
2	माध्य0 विद्यालय सम्बद्ध	0	0	0	0	16	16	0			0	0	16
	प्राइमरी अनुभाग			0	0								
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	198	12	210	20	26	46	126	70	196	344	108	452
4	माध्यमिक विद्यालय से	0	0	50	0	0	57	0	0	0	0	0	107
	सम्बद्ध (उ0प्रा0 अनुभाग)												
5	केन्द्रीय विद्यालय	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6	नवोदय विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हाई स्कूल	33	3	36	11	6	17	0	0	0	44	9	53
8	इण्टरमीडिएट	39	5	44	19	24	43	0	73	73	58	102	160
9	डिग्रीकालेज	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	7
11	प्रशिक्षणसंस्थान(बी0एड0)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12	तकनीकी संस्थान	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
13	आंगनबाडी केन्द्र	349	57	406	0	0	0	0	0	0	349	57	406
14	मकतब/मदरसे	0	0	0	6	1	7	0	0	0	6	1	7
15	बी0 आर0 सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	सी0आर0सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	डी0आई0ई0 टी0(डायट)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	विकलांग संस्थाऐं	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5

स्त्रोत–विभागीय

सारणी – 2.5

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अभिकर्मियों का विवरण 20.2.2002 की स्थिति

क्रम	विकास खण्ड	वि0 की	प्रधानाध्यापक			सहायक अध्यापक			योग		कुल योग
सं0	का नाम	संख्या	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	अध्यापक	शिक्षा मित्र	
1	चकराता	155	29	17	46	71	103	174	220	69	289
2	कालसी	150	26	73	99	15	131	146	245	38	283
3	विकास नगर	91	70	17	87	57	133	190	277	1	278
4	सहसपुर	107	41	39	80	10	266	276	356	1	357
5	रायपुर	115	44	42	86	25	258	283	369	6	375
6	डोईवाला	127	58	24	82	24	222	246	328	1	329
	योग ग्रामीण	745	268	212	480	202	1113	1315	1795	118	1911
1	न0क्षे0देहरादून	57	16	34	50	19	47	86	116	0	116
2	न0क्षे0मसूरी	16	5	6	11	6	19	25	36	0	36
3	न0क्षे0ऋषिकेश	13	4	9	13	3	14	17	30	0	30
	योग नगरीय	86	25	49	73	28	80	128	182	0	182
	कुल योग	831	293	261	554	230	1193	1423	1977	116	2093

स्त्रोत–विभागीय

सारणी – 2.6

परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की उपलब्धता– 28.2.02 की स्थिति

क्रम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार				अध्यापकों की उपलब्धता						कुल
						प्रधानाध्यपाक			स0 अध्यापक			
सं0	का नाम	बालक	बालिका	क्रमोत्तर	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	योग
1	चकराता	34	0	2	36	32	0	32	102	0	102	134
2	कालसी	32	1	1	34	31	0	31	46	0	46	77
3	विकास नगर	26	3	1	30	26	1	27	113	9	122	149
4	सहसपुर	27	4	2	33	23	5	28	92	28	120	148
5	रायपुर	20	6	3	29	17	6	23	69	39	108	131
6	डोईवाला	26	5	5	36	21	5	26	100	47	147	173
	योग ग्रामीण	165	19	14	198	150	17	167	522	123	645	812
1	देहरादून	5	1	1	7	2	1	3	17	16	33	36
2	मसूरी	4	0	0	4	1	3	4	6	10	16	20
3	ऋषिकेश	1	0	0	1	0	0	0	0	4	4	4
	योग नगरीय	10	1	1	12	3	4	7	23	30	53	60
	योग	175	20	15	210	153	21	174	545	153	698	872

स्त्रोत–विभागीय

सारणी– 2.7

परिषदीय एंव मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्रम0संख्या	विकासखण्ड	प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता			बस्तियों की संख्या		
	का नाम	1कि0मी0	1कि0मी0 से अधिक परन्तु	1.5 कि0मी0 से	1कि0मी से कम	1कि0मी0 से अधिक परन्तु	1.5 कि0मी0 से
		से कम पर	1.5 कि0मी0 से कम पर	अधिक दूरी पर	पर प्रा0वि0	1.5 कि0मी0 से कम पर प्रा0वि0	अधिक दूरी पर प्रा0वि0
1	चकराता	154	0	0	51	9	66
2	कालसी	70	1	1	137	10	25
3	विकासनगर	39	0	0	131	9	7
4	सहसपुर	79	30	3	223	3	5
5	रायपुर	49	1	2	184	16	64
6	डोईवाला	44	21	2	123	11	11
	योग	435	53	8	849	58	178

स्त्रोत–विभागीय

2.2.1 विश्लेषण –

सारिणी 2.1 से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून की कुल साक्षरता दर 78.96 प्रतिशत है,जिसमें पुरूष साक्षरता दर 85.57 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 71.22 प्रतिशत है,जो कि राज्य की कुल साक्षरता दर 72.28 प्रतिशत जिसमें पुरूष साक्षरता दर 84.01 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 60.26 प्रतिशत की तुलना में अधिक है तथा राष्ट्रीय साक्षरता से भी अधिक हैं। परन्तु इस जनपद में कुछ विकासखण्ड ऐसे हैं जिनमें पुरूषों एंव महिलाओं दोनो की साक्षरता दर जनपद की कुल साक्षरता दर की तुलना में अत्यन्त न्यून हैं। सारिणी–2.2 में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार चकराता विकासखण्ड में कुल साक्षरता दर 27.88 प्रतिशत हैं जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 27.08 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 12.36 प्रतिशत है,विकासखण्ड कालसी में कुल साक्षरता दर 38.06 प्रतिशत हैं,जिसमें पुरूष साक्षरता दर 53.22 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 20.12 प्रतिशत हैं। विकासनगर ब्लाक में कुल साक्षरता दर 46.01 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 57.64 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 32.31 प्रतिशत हैं। विकासखण्ड चकराता, कालसी एवम् विकासनगर में महिला साक्षरता अतिन्यून है। विकासखण्ड चकराता में पुरूष साक्षरता दर भी न्यून हैं।

जनपद देहरादून में वर्तमान समय में 1341 प्राथमिक विद्यालय हैं,एंवम् 16 प्राथमिक अनुभाग माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध हैं,तथा 452 उच्च प्रा0वि0 हैं,एंवम् 107 ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। इस जनपद में 11 केन्द्रीय विद्यालय, 53 हाईस्कून, 160 इण्टरमीडियट कालेज,ग्रामीण क्षेत्र में 02 डिग्री कालेज,नगर क्षेत्र में 07 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,एक प्रशिक्षण संस्थान बी0एड0 प्रशिक्षण के लिए, 06 तकनीकी संस्थान जिसमें आई0टी0आई0 एंवम् पॉलीटेक्निक सम्मिलित हैं, 406 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं,जो ग्रामीण एंवम् नगरीय दोनो क्षेत्रों में स्थित हैं। जनपद में वर्ष 1994 से जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। विकलांगों के शैक्षिक सहायतार्थ 05 संस्थाएं हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 06 तथा नगर क्षेत्र में 01 मकतब/मदरसे हैं। इस जनपद में नवोदय विद्यालय,बी0आर0सी0/एन0आर0सी0 व सी0आर0सी0 अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं।

सारणी 2.5 से स्पष्ट है कि जनपद में कुल 2093 अध्यापक कार्यरत हैं,जिसमें 1977 पूंर्णकालिक अध्यापक तथा 116 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 1795 पूंर्णकालिक अध्यापक एंवम् 116 शिक्षा मित्र एंवम् नगरीय क्षेत्र में 182 पूंर्णकालिक अध्यापक कार्यरत हैं। जनपद के 831 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 554 प्र0अ0 कार्यरत हैं,जिसमें 293 पुरूष प्र0अ0 एंवम् 261 महिला प्र0अ0 है तथा 1423 स0अ0 में से 230 पुरूष अध्यापक तथा 1193 महिला अध्यापिकाएं कार्यरत हैं।

सारिणी 2.6 में स्पष्टतः दृष्टिगत है,कि जनपद के उच्च प्रा0विद्यालय में कुल 872 अध्यापक हैं, जिसमें 174 प्रधानाध्यापक तथा 698 स0अ0 कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कुल 812 अध्यापक हैं, जिनमें 167 प्रधानाध्यापक तथा 645 स0अ0 कार्यरत हैं। जनपद में कुल 174 प्रधानाध्यापकों में से 153 पुरूष प्रधानाध्यापक एवं 21 महिला प्रधानाध्यापिका कार्यरत हैं तथा 698 अध्यापकों में से 545 पुरूष अध्यापक एवं 153 महिला अध्यापिका कार्यरत हैं। जनपद में

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में **167** प्रधानाध्यापक एवं **645** सहायक अध्यापक कार्यरत हैं तथा नगर क्षेत्र में **07** प्रधानाध्यापक एवं **53** सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

सारिणी 2.7 से स्पष्ट हैं, कि जनपद में कुल 435 गाँव ऐसे हैं, जहाँ 1 कि0 मी0 के अन्दर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा **61 (53+8)** गाँव ऐसे है, जहाँ पर 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं इन ग्रामों के लिए माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नवीन प्रा0 वि0 को वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित किया जायेगा, इसके साथ ही जनपद मे कुल **849** ऐसी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, परन्तु **236 (58+178)** ऐसी बस्तियाँ हैं, जो 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं। इन बस्तियों के लिए माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 का प्रस्ताव वार्षिक योजनाओं में किया जायेगा।

सारिणी 2.8 परिषदीय एंव मान्यता प्राप्त उ0प्रा0वि0 की उपलब्धता (30.9.2001)

क्र0सं	विकासखण्ड	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता		बस्तियों की संख्या	
		3कि0मी0 से कम पर	3कि0मी0 से अधिक परन्तु 5 कि0मी0 से कम पर	3कि0मी0 से कम पर	3कि0मी0 से अधिक परन्तु 5 कि0मी0 से कम पर
1	चकराता	36	6	13	6
2	कालसी	20	0	72	20
3	विकासनगर	27	0	42	3
4	सहसपुर	112	0	227	4
5	रायपुर	27	0	67	16
6	डोईवाला	41	2	241	1
	योग	263	8	662	50

सारिणी 2.9 प्राथमिक स्तर पर 6–11वर्ग की बाल गणना 2001–02

क्र	विकास	6–11 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या			6–11 वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे			6–11 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चे			कुल नामाकंन			सकल नामांकन
सं0	खण्ड/नगर क्षेत्र	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
1	चकराता	5472	5468	10940	4840	4845	9685	632	643	1275	4840	4845	9685	88.52
2	कालसी	4921	4816	9737	4627	4465	9092	323	322	645	4627	4465	9092	93.37
3	विकास नगर	10347	8340	18687	9636	7940	17576	711	400	1111	9639	7940	17579	94.05
4	सहसपुर	12890	11692	24582	10425	9945	20370	1805	1600	3405	10425	9945	20370	82.86
5	रायपुर	12165	10454	22619	11453	9716	21169	712	738	1450	11453	9716	21169	93.58
6	डोईवाला	10680	9751	20431	10336	9415	19751	344	336	680	10336	9415	19751	96.67
7	न0क्षे0 देहरादून	20648	14775	35423	19942	14251	34193	706	524	1230	19942	14251	34193	96.52
8	न0क्षे0 मसूरी	1773	1627	3400	1653	1499	3152	120	128	248	1653	1499	3152	92.70
9	न0क्षे ऋषिकेश	5535	4532	10067	5477	4453	9930	58	79	137	5477	4453	9930	98.63
	योग	84431	71455	155886	78389	66529	144918	5411	4770	10181	78392	66529	144921	92.96

स्त्रोत–विभागीय

सारिणी 2.10 सकल नामांकन अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर पर 11–14 वय वर्ग की बालगणना (2000–2001)

क्रम सं0	विकास खण्ड/नगर क्षेत्र	11–14 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या			11–14 वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे			11–14 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चे			कुल नामाकंन			सकल नामाव
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
1	चकराता	1597	1375	2972	1486	1232	2718	111	143	254	1486	1232	2718	91.45
2	कालसी	2077	1648	3725	1840	1403	3243	237	245	482	1840	1403	3243	87.06
3	विकास नगर	4120	3530	7650	3981	3329	7310	139	201	340	3981	3329	7310	95.55
4	सहसपुर	5972	5769	11741	5312	5410	10722	660	359	1019	5312	5410	10722	91.32
5	रायपुर	4286	4320	8606	4059	4019	8078	227	301	528	4059	4019	8078	93.86
6	डोईवाला	5769	5535	11304	5741	5519	11260	28	16	44	5741	5519	11260	99.60
7	न0क्षे0 देहरादून	18741	16634	35375	18236	16214	34450	505	420	925	18236	16214	34450	97.38
8	न0क्षे0मसूरी	820	795	1615	750	760	1510	70	35	105	750	760	1510	93.49
9	न0क्षे0ऋषिकेश	2510	2722	5232	2502	2777	5279	8	5	13	2502	2777	5279	100.89
	योग	45892	42328	88220	43907	40663	84570	1985	1725	3710	43907	40663	84570	95.86

स्त्रोत–विभागीय

सारिणी 2.8 से स्पष्ट है कि जनपद में कुल 263 ग्राम तथा 662 बस्तियाँ ऐसी हैं, जहाँ 11–14 वय वर्ग के बच्चों के लिये उच्च प्रा0 शिक्षा (कक्षा 6 से 8 तक) की पहुँच है। परन्तु 08 ग्राम एवम् 50 बस्तियाँ असेवित हैं, इन असेवित बस्तियों तथा ग्रामों की दूरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 3 कि0मी0 से 5 कि0मी0 तक है। इन बस्तियों में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों या ए0आई0केन्द्रों को वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित किया जायेगा। सारिणी–2.9 से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–2001 की बालगणना के अनुसार जनपद में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 155886 हैं, जिसमें से 84431 बालक एवम् 71455 बालिकाएँ हैं। 6–11 वय वर्ग के पढने वाले कुल बच्चों की संख्या 144918 है जिसमें 78389 बालक तथा 66529 बालिकाएँ सम्मिलित हैं स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 10181 है जिसमें 5411 बालक तथा 4770 बालिकाएँ हैं। जनपद का सकल नामांकन अनुपात 92.96 प्रतिशत् है। सारिणी 2.10 से स्पष्ट है कि इस जनपद में 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 88220 है, जिसमें 45892 बालक तथा 42328 बालिकाएँ हैं। 11–14 वयवर्ग के पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या 84570 है, जिसमें 43907 बालक तथा 40663 बालिकाएँ सम्मिलित हैं।इन बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैं। जनपद में स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 3710 है, जिसमें 1985 बालक तथा 1725 बालिकाएँ सम्मिलित हैं।

सारिणी–2.13 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात :– पी0टी0आर0 30.6.2001

कम0 संख्या	विकासखण्ड/नगर क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	अध्ययनरत छात्र संख्या	कार्यरत शिक्षकों की संख्या	छात्र–शिक्षक अनुपात
1	चकराता	155	9005	280	32
2	कालसी	150	8271	330	26
3	विकासनगर	91	10902	260	42
4	सहसपुर	107	10722	336	32
5	रायपुर	115	9491	345	28
6	डोईवाला	127	9950	291	34
	योग ग्रामीण	745	58341	1842	32
7	नगर क्षेत्र देहरादून	57	5527	117	47
8	नगर क्षेत्र मसूरी	16	1097	37	30
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	13	1645	30	55
	योग नगरीय	86	8269	184	44
	कुल योग	831	66610	2026	33

स्त्रोत – विभागीय

सारिणी 2:13 से स्पष्ट है कि जनपद के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक हैं। नगर क्षेत्र देहरादून में 47 छात्रों पर एक शिक्षक तथा ऋषिकेश में 55 छात्रों पर एक शिक्षक कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास क्षेत्रों में छात्र–शिक्षक अनुपात 40:1 या इससे न्यून हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों के मानक के अनुसार जनपद में शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

सारिणी 2.14 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

क्र0स0	विकासखण्ड /	प्राथमिक विद्यालयों	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं0				2:1 के अनुपात में उ0प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
	नगर क्षेत्र	की सख्या	परिषदीय	राजकीय हा0/इ0	मान्यताप्राप्त हा0/इ0	योग	की आवश्यकता	की कमी
				से सम्बद्ध	से सम्बद्ध			
1	चकराता	155	36	6	0	42	77	35
2	कालसी	150	34	6	0	40	75	35
3	विकासनगर	91	30	6	4	40	45	5
4	सहसपुर	107	33	10	11	54	53	–1
5	रायपुर	115	29	6	9	44	57	13
6	डोईवाला	127	36	12	8	56	63	7
7	न.क्षे. देहरादून	57	7	2	18	27	28	1
8	न.क्षे.मसूरी	16	4	1	4	9	8	–1
9	न.क्षे.ऋषिकेश	13	1	01	3	5	6	1
	कुल योग	831	210	50	57	317	412	97

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2:1 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है अर्थात् दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय इस तरह जनपद में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 831 है। सारिणी 2.14 से स्पष्ट है कि जनपद में 2:1 के अनुपात में 412 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी परन्तु 307 उ0प्रा0वि0 तथा सम्बद्ध उ0प्रा0वि0 पूर्व से संचालित है। अतः 105 उ0प्रा0वि0 की कमी होगी। सारिणी 2.14 से स्पष्ट है कि विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में 35–35 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी हैं,किन्तु 2:1 के अनुपातिक मानक के अनुसार

छात्र संख्या अति न्यून है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना उपयुक्त नही होगा। इन ग्रामों/बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये जायेगे।

सारणी– 2.15

जनपद में आँगनवाडी केन्द्रों का विवरण– 30.9.2001

क0स0	नगर/विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	बच्चों की संख्या	20 से कम छात्र सं0 के केन्द्र	20 से अधिक छात्र सं0 के केन्द्र
1	नगर क्षेत्र देहरादून	98	2712	7	91
2	चकराता	50	1835	6	44
3	विकासनगर	97	2806	4	93
4	कालसी	50	1453	6	44
5	सहसपुर	158	3700	72	86
	योग	453	12506	95	358

स्त्रोत – विभागीय

जनपद में कुल 453 आँगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें 3 से 6 वयवर्ग के 12506 बच्चें नामांकित हैं। जनपद में रायपुर तथा डोईवाला विकासखण्ड तथा मसूरी एवंम् ऋषिकेश नगर क्षेत्र में आँगनवाड़ी केन्द्र नहीं है। इन क्षेत्रों में 3 से 6 वयवर्ग के बच्चों के लिये ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के खोलने के लिये वार्षिक योजनाओं में प्रस्ताव किया जायेगा। सारिणी 2. 15 में वर्णित आँगनवाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

नगर क्षेत्र देहरादून, विकासखण्ड चकराता, विकासनगर, कालसी तथा सहसपुर में अभी भी ऐसी बस्तियाँ हैं, जहाँ 3 से 6 वयवर्ग के बच्चों की संख्या 20 या 20 से अधिक है। अतः इन बस्तियों/ग्रामों में ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया जायेगा।

सारिणी– 2.16(अ)

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संगठनात्मक ढ़ाँचा एवम् उपलब्ध जनशक्ति

(30–9–2001 के अनुसार)

क्र0स0	पद का नाम	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	1	1	0
2	उप प्राचार्य	1	1	0
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	6	5	1
4	प्रवक्ता	17	17	0
5	सहायक अध्यापक	3	3	0
6	कार्यालय अधिक्षक	1	1	0
7	लेखाकार	1	0	1
8	आशुलिपिक	1	1	0
9	प्रयोगशाला सहायक	2	2	0
10	कनिष्ठ लिपिक	9	9	0
11	परिचारक	5	5	0

स्त्रोत – विभागीय

सारिणी–2.18(ब) जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संकायगत ढ़ाँचा

क्र0स0	संकाय का नाम	उप प्राचार्य/वरिष्ठ प्रवक्ता	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक	लिपिक	योग
1	सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	8	0	1	10
2	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	1	0	1	3
3	पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवम्	1	1	0	0	2
	मूल्याकंन संकाय					
4	कार्यानुभव संकाय	1	1	1	0	3
5	शैक्षिक तकनीकी संकाय	1	1	1	0	3
6	जिला संसाधन इकाई	1(उप प्राचार्य)	4	0	1	6
7	शैक्षिक नियोजन एवम् प्रबन्ध संकाय	1	1	1	0	3

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी–2.17

जनपद में विकासखण्डवार एकल अध्यापकीय विद्यालय – 28.2.2002 के अनुसार

क्र0स	विकासखण्ड/	परिषदीय विद्यालयों	एकल शिक्षक विद्यालय	बंद विद्यालयों	एकल शिक्षक विद्यालय जहाँ	शेष एकल शिक्षक
	नगर क्षेत्र	की संख्या	की संख्या	की संख्या	शिक्षा मित्रों की व्यवस्था है	विद्यालय
1	चकराता	155	92	02	69	23
2	कालसी	150	64	00	38	24
3	विकासनगर	91	13	0	1	12
4	सहसपुर	107	10	0	1	9
5	रायपुर	115	18	0	6	12
6	डोईवाला	127	16	1	1	15
7	नगर क्षेत्र देहरादून	57	12	0	0	12
8	नगर क्षेत्र मसूरी	16	3	0	0	3
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	13	1	0	0	1
	कुल योग	831	229	3	116	111

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी 2.17 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में कुल 111 प्रा0वि0 ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक कार्यरत है। चकराता विकासखण्ड जो पर्वतीय व दुर्गम है वहाँ पर 02 प्रा0वि0 बंद पड़े हैं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित गोष्ठी में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की आम राय थी कि चकराता व कालसी विकासखण्ड में स्थानीय समुदाय के लोगों की नियुक्ति शिक्षा मित्र के रूप में की जाए।

सारिणी–2.18 प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन– जनपद देहरादून 30.6.01

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की सं0	भवनों की स्थिति										शौचालय	पेयजल	चाहरदीवारी
			एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांचं कक्षीय	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
1	चकराता	155	1	85	41	0	1	0	0	27	128	19	0	15	0
2	कालसी	150	4	107	7	8	2	0	0	22	128	25	7	2	4
3	विकास नगर	91	1	58	6	8	8	0	0	10	81	9	46	24	15
4	सहसपुर	107	0	49	32	7	3	5	0	11	96	14	22	28	21
5	रायपुर	115	2	55	31	5	5	3	0	14	101	22	64	32	19
6	डोईवाला	127	4	44	40	15	7	3	0	14	113	6	52	55	30
7	न0क्षे0देहरादून	57	0	8	5	6	4	1	किराए पर 33	0	24	0	18	18	19
8	न0क्षे0मसूरी	16	1	5	2	0	2	1	5	0	11	2	0	5	5
9	न0क्षे0ऋषिकेश	13	1	0	1	2	8	0	1	0	12	1	7	5	7
	योग	831	14	411	165	51	40	13	39	98	694	98	216	184	120

स्रोत – विभागीय

सारिणी–2.19 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधान जनपद– देहरादून 30.6.01

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की	भवनो की स्थिति										पेयजल	शौचालय	चाहरदीवारी
			एक	दो	तीन	चार	पांच	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
		सं0	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय								
1	चकराता	36	0	0	3	13	0	9	7	4	25	3	10	5	0
2	कालसी	34	0	1	7	11	8	0	7	0	27	5	12	13	4
3	विकास नगर	30	0	0	14	10	0	2	3	1	26	0	14	7	4
4	सहसपुर	33	0	1	0	0	0	26	6	0	27	3	13	16	3
5	रायपुर	29	0	0	6	4	2	8	6	3	20	1	18	12	10
6	डोईवाला	36	0	0	4	6	1	16	7	2	27	1	19	19	9
7	हा0/इण्टर से सम्बद्ध														
	उच्च प्रा0विद्यालय	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	11	21
8	न0क्षे0देहरादून	7	0	1	2	1	2	0	1	0	6	0	3	4	6
9	न0क्षे0मसूरी	4	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	4	0	4
10	न0क्षे0ऋषिकेश	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	योग	258	0	3	38	46	14	61	38	10	162	13	130	88	62

स्रोत – विभागीय

सारिणी–2.18(अ)

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधान की आवश्यकता

विकासक्षेत्र/नगर क्षेत्र	भवन (पुनःनिर्माण)	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चारदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लघु	वृहद				
चकराता	46	0	26	85	106	109	35
कालसी	50	0	14	88	101	99	43
विकास नगर	22	0	37	42	48	57	62
सहसपुर	25	0	23	55	54	61	79
रायपुर	40	0	60	39	47	60	68
डोईवाला	22	0	30	55	52	77	66
न0क्षे0देहरादून	10	0	24	6	6	5	34
न0क्षे0मसूरी	2	0	9	12	4	4	2
न0क्षे0ऋषिकेश	4	0	5	10	4	4	12
योग	221	0	228	392	422	476	401

स्रोत – विभागीय

सारणी 2.19(अ)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधान की आवश्यकता

विकासक्षेत्र/नगर क्षेत्र	भवन (पुनःनिर्माण)	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चारदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लघु	वृहद				
चकराता	14	0	10	21	12	22	3
कालसी	12	0	7	11	10	18	2
विकास नगर	4	0	23	22	12	22	13
सहसपुर	9	0	4	8	11	21	14
रायपुर	10	0	13	19	8	9	14
डोईवाला	10	0	2	7	7	17	12
हा0/इण्टर से सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	0	0	0	37	12	27	198
न0क्षे0देहरादून	1	0	0	22	3	0	8
न0क्षे0मसूरी	0	0	3	1	0	0	1
न0क्षे0ऋषिकेश	0	0	1	1	0	0	5
योग	60	0	63	149	75	136	270

स्रोत – विभागीय

सारणी – 2.20

जनपद देहरादून में विकलांगो की संख्या (विकासखण्डवार) 30.9.2000

क्रम	विकासखण्ड/नगर क्षेत्र	17 वर्ष से ऊपर विकलांगों की सं0	17 वर्ष से कम विकलांगो की सं0
सं0			
1	चकराता	120	16
2	कालसी	130	10
3	विकास नगर	231	70
4	सहसपुर	238	38
5	रायपुर	380	70
6	डोईवाला	372	33
7	नगर क्षेत्र	707	131
	योग	**2178**	**368**
			स्रोत:– समाज कल्याण अधिकारी

अध्याय–3

सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य एवं उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2003 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन, वर्ष 2007 तक 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को कक्षा 5 तक की गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, तथा वर्ष 2010 तक सभी नांमाकित बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा VIII तक पूरी कराना है। स्कूल प्रबन्धन एवम् स्कूल के शिक्षण शिक्षणेत्तर एंव निर्माण कार्यो में समुदाय की भागीदारी को सक्रिय बनाना, सर्वशिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समाज के सभी वर्गो स्त्री पुरूषों की शिक्षा में भागीदारी सुनिशिचित करा कर वर्ग भेद एंव स्त्री पुरूषों के विभेद को समाप्त करना भी सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है।

इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को शिक्षण के बारे में अनुमति देना, तथा उनकी मानवीय क्षमता को अर्थात् भौतिकवादी और अध्यात्मिक दोनों में, सहज रूप से नैसर्गिक वातावरण में पूरी तरह से विकसित होने की अनुमति प्रदान करना है।

(3.1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यापक कार्यनीतियॉ :

☐☐संस्थागत सुधार –

इस अभियान के अन्तर्गत सस्थाओं को शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षण पद्धिति में सुधार लाना होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में तथ्य परक मूल्यांकन करना होगा। शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में निर्धारित उपलब्धि स्तर पर वित्तीय निर्गम, केन्द्रित एवं समुदाय आधारित शिक्षा व्यवस्था, राज्य अधिनियम की समीक्षा, शिक्षकों की पूर्ति मानीटरिंग, मूल्यांकन, बालिकाओं, विकलांगों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों की शिक्षा, और शैशव कालीन देखरेख जैसी नीतियाँ शामिल है।

☐☐सतत् वित्त पोषण –

सर्वशिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि इसके लिए सतत पोषण जारी रहेगा।

☐☐सामुदायिक स्वामित्व –

शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, समाज में शिक्षा एंव स्कूली व्यवस्था के प्रति "स्वामित्व" की भावना का प्रादुर्भाव करना होगा। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति तथा पंचायती राज के सदस्यों को शामिल कर के इस कार्यक्रम को गतिशील बनाया जाएगा।

☐☐संस्थागत क्षमता का निर्माण –

इस अभियान के अन्तर्गत विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना कर, विशेषज्ञों के स्थायी सहयोग से संस्थागत क्षमता निर्माण किया जाएगा।

☐☐शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा का सुधार –

इसमें संस्थागत विकास, नई पहल को शामिल करके और लागत,प्रभावी और कुशल पद्धतियों अपना,..कर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

(3.2) सर्वशिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 के लिए जनपद के लक्ष्य एवं उददेश्य :

इस जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मलिन बस्तियों मजरों के 0–6, 6–11, 11–14 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना जो विद्यालयी शिक्षा से बाहर हैं।

इस जनपद में ड्राप आउट रेट 4.20 है, उसे समाप्त कर शत प्रतिशत नामाकंन सुनिश्चित करना।

☐ 6 से 14 वय वर्ग के बच्चो के ठहराव को सुनिश्चित करना।

☐ सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा, एवं गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना।

☐ भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुदूर क्षेत्रो में समुदाय की आवश्यकता पर तथा मलिन बस्तियों में उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नये प्राथमिक विद्यालयों, ई0 जी0 एस0 की स्थापना।

☐ मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत, उनमें शौचालय, पेयजल एवं चाहरदीवारी का निर्माण करवाना।

☐ 6 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं, अनु0 जाति, के बालकों, अनु जन जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

☐ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और वांछित वय वर्ग की बालिकाओं का नामाकंन और ठहराव सुनिश्चित करना।

☐ स्त्री पुरूषों साक्षरता अन्तर को समाप्त करना।

☐ विकंलाग बच्चों को पहचान कर उनकी विकंलागता के अनूरूप, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, तथा विद्यालयों में विंकलाग शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षको की व्यवस्था करना।

☐ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना।

☐ वर्तमान, सकल नामांकन अनुपात को 93%से बढ़ाकर 100% तक पहुचाना।

☐ उच्च प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन 97.02% से बढ़ाकर 100% पहुचाना।

अध्याय–4

नियोजन प्रक्रिया

यह सर्वविदत और सर्वमान्य तथ्य है कि, किसी भी कार्य के प्रभावी ढंग से सम्पादन के लिए पूर्व नियोजन आवश्यक है। नियोजन का वर्तमान स्वरूप जनसहभागिता पर आधारित नहीं रहा है , जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाली योजनाऐं लक्ष्य समूह की आवश्कताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है और ना ही योजना कियान्वयन में गुणवत्ता आ पा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात् सामुदायिक स्वागित्व पर आधारित योजना निर्माण की प्रक्रिया स्वीकार की गई है । ऐसी शैक्षिक योजना जो समुदाय की अपेक्षा की पूर्ति का साधन बन सके, इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए स्कूल व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अनु0जाति, अनु0जनजाति के बच्चों की शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति एवम् सामुदायिक सक्रियता, आदि प्रमुख रूप से उभरे हुये मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये, ग्राम, बस्ती, मजरे पर आधारित आवश्कताओं को विकास खण्ड स्तर पर संकलित कर, योजना का निर्माण किया गया है।

4.1 स्कूल चलो अभियान (वर्ष 2000–2001)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6–14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपदमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लाक स्तर, ग्राम स्तर के समस्त शिक्षाधिकारी, शिक्षक, निरीक्षक, जनप्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2000–2001 में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण सारिणी 4.1.1 में दर्शाया गया है।

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11905
DOC, No .....
Date 27-06-2003.

सारणी 4.1.1

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण वर्ष 2000–2001

क0स0	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (6–14 वय वर्ग)			बीच में विद्यालय छोडने वाले बच्चों की संख्या		
		चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष	चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष
1	चकराता	2007	1970	37	179	173	6
2	कालसी	7454	7446	8	43	35	8
3	विकासनगर	4544	4050	494	387	246	141
4	सहसपुर	1615	1516	99	128	0	128
5	रायपुर	1209	1089	120	85	69	16
6	डोईवाला	1544	1510	34	14	14	0
7	नगर क्षेत्र देहरादून	451	279	172	177	98	79
8	नगर क्षेत्र मसूरी	1073	697	376	395	233	162
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	549	396	153	70	46	24
	कुल योग	20446	18953	1493	1478	914	564

स्त्रोत–विभागीय

(4.2) माइक्रोप्लानिंग

जनपद देहरादून में ग्राम तथा परिवार को इकाई मानकर माइक्रोप्लानिंग किया गया। वर्ष 2000 – 2001 की जनसंख्या एवं विभागीय आँकडों का संकलन किया गया है। विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र स्तर पर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों कों शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ई0जी0एस0 अथवा ए0आई0ई0 खोलने के लिये प्रस्ताव तैयार किये गय है। नये प्राथमिक विधालयों, उच्च प्राथमिक विधालयों के खोलने एवम् वर्तमान समय में विधालय भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार, पेयजल , शौचालय ,चाहरदीवारी पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि सुविधाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा की गई। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये डी0पी0ओ0 एवम् डायट जिला स्तर पर, बी0आर0सी0 ब्लाक स्तर पर,सी0आर0सी0 स्थानीय स्तर एवं नगर क्षेत्र में संकुल केन्द्र स्थापित करने तथा उन्हे संसाधनों से युक्त करने के सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार किये गये। राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 एवम् सीमेट के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम,पाठ्य, पुस्तक संदर्भ पुस्तक एवम् ग्राम शिक्षा समिति की शैक्षिक आवश्कताओं पर आधारित प्रस्ताव तैयार किये गये है।

उपरोक्त क्रिया कलापों के सम्पादन से इस जनपद के ग्राम, बस्ती मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार हुआ तथा समुदाय की भागीदारी सशक्त हुयी । ग्राम्य स्तर पर जन – समुदाय द्वारा बेहिचक अपनी आवश्कताओं की पूर्ति के लिये नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी की गयी। शिक्षा की योजना निर्माण प्रक्रिया में ग्राम प्रधानों पंचायत सदस्यों जनप्रतिनिधियों शिक्षकों एवम् शिक्षा विदों को एक साथ सम्मिलित किया जा रहा है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना निर्माण किया जा रहा है।

4.3 योजना पूर्व गतिविधियाँ

– विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों तथा फोकसग्रुप चर्चा एवम् विचार विमर्श के मुद्दें :–

क्रम0 सं0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या व विवरण	विचार–विमर्श के मुद्दे एवंम् सम्पादित कार्य
1.	20 मई से 31 मई 2000	समस्त जनपद	–	बालगणना
2.	1 जुलाई से 3जुलाई 2001	समस्त जनपद	–	– स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत सर्वेक्षण, प्रभात फेरियाँ।

3.	दिनांक 5, 6, 7 जुलाई 2001	रूलेक, देहरादून	डायट के प्राचार्य, चार प्रवक्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून	1– सर्व शिक्षा अभियान क्या है ? 2– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना निर्माण प्रकिया। 3– पहुँच, नामांकन, ठहराव, संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा।
4.	दिनांक 16 अगस्त 2001	सर्वशिक्षा अभियान जिला प्रकोष्ठ देहरादून	बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्राचार्य डायट,उप बेसिकशिक्षाअधिकारी,समस्त स0बे0शि0अ0,प्रवक्ता डायट	1 सर्वेक्षण प्रपत्र निर्माण। 2 जिला कोर टीम का गठन। 3 आँकडों एंव सूचनाओं के संकलन के लिए रणनीति तैयार की गई।
5	दिनाँक 30 अगस्त 2001	सर्व शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	विकासखण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला के आयोजन हेतु विचार विमर्श किया गया तथा तिथियाँ सुनिश्चित कर स0बे0शि0अ0 को उत्तरदायित्व सौंपा गया।
6	दिनाँक 3 सितम्बर 2001	सर्व शिक्षा अभेयान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	1 योजना निर्माण की प्रकिया। 2 आँकड़ों का विश्लेषण। 3 फोकस ग्रुप की पहचान।

				4 समस्याओं की पहचान। 5 समस्याओं के समाधान की रणनीति तैयार करना।
7	14 सितम्बर 2001	उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्गर,नगर क्षेत्र	1 मलिन बस्ती के सामाजिक कार्यकर्ता। 2 अध्यक्ष प्रा0शि0 संघ उत्तरांचल। 4 प्रा0 एंव उ0प्रा0विद्यालय के शिक्षक। 5 स्वंय सेवी संस्था के पदाधिकारी व सदस्य। 6 शिक्षा अधिकारी। 7 वरिष्ठ प्रवक्ता डायट। 8 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 फोकस ग्रुप चर्चा में मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय तक न पहुँचने की समस्या पर चर्चा हुई। 3 गुणवत्ता विकास पर चर्चा की गई।
8	17 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय रायपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 विकासखण्ड अधिकारी।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई।

			3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	2 ग्राम व बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गई। 3 स्कूल से बाहर बच्चों के लिए ई0जी0एस0,ए0आई0ई0 केन्द्रों के बारे में चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समितियों के बारे में चर्चा की गई।
9	18 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय डोईवाला,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई।
10	20 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय चकराता,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ज्येष्ठ प्रमुख। 3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई।

			5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी 8 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा की गई।
11	दिनांक 21 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ज्येष्ठ प्रमुख। 3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता। 5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी। 9 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एव जिला	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा की गई। 6 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 7 नए विद्यालयों के निर्माण एंव अन्य भौतिक आवश्यकताओं पर

			राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य। 10 बहुधंधी कर्मचारी।	चर्चा हुई। 8 जनजाति बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
12	दिनांक 22 सितम्बर 2001	राज्य प्रकोष्ठ,इेहरादून	1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 2 जिला कोर ग्रुप के सदस्य	1 एक वर्षीय कार्ययोजना के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 2 आँकडों एवम् सूचनाओं को संकलित तथा विश्लेषण करने की रणनीति पर चर्चा की गई।
13	दिनांक 24 सितम्बर 2001	विकासखण्ड विकासनगर, देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई। 3 फोकस ग्रुप चर्चा में नामांकन,ठहराव एंव गुणवत्ता विकास की समस्याओं पर बल दिया गया।
14	दिनांक 26 सितम्बर 2001	विकासखण्ड सहसपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन,ठहराव एवम् गुणवत्ता विकास

			पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	नामांकन,ठहराव एवम् गुणवत्ता विकास में अवरोधों पर चर्चा हुई।

15	18 अक्टूबर 2001	जनपद देहरादून	1 एन0एस0डार्ट के निदेशक तथा विशेषज्ञ। 2 शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल। 3 मुख्य विकास अधिकारी। 4 जिला विकास अधिकारीं। 5 समस्त बी0डी0ओ0। 4 क्षेत्रीय विधायक। 5 समस्त ब्लाक प्रमुख,प्रधान,पंचायत सदस्य,पालिका अध्यक्ष	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 जिले का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु एन0एस0डार्ट के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा चिन्हित समस्याओं :– जैसे भौतिक संसाधनों की कमी,शिक्षकों की कमी,गुणवत्ता आदि का विश्लेषण किया गया।
16	09 अप्रैल से 15 अप्रैल 2002	जनपद देहरादून	1. जिला कोर टीम के सदस्य। 2. राज्य परियोजना के विशेषज्ञ।	1. दि0 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना में स्वीकृत एंव आवंटित बजट पर चर्चा। 2. वर्ष 2002–03 की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट पर चर्चा की गई।

अध्याय–5

समस्यायें एवं रणनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रकिया अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का शत्–प्रतिशत् नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जाना है। ठहराव के साथ–साथ शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाए जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु जनपद के विकासखण्ड़ों एवं नगरक्षेत्रों में ग्राम्य, बस्ती, मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशालाओं, गोष्ठियों तथा फोकस ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों, शिक्षाविदों समुदाय के विभिन्न वर्गों, ग्राम प्रधानों अभिभावकों आदि ने प्रतिभाग किया। फोकसगुप डिस्कशन एवं ग्राष्ठियों में सम्पन्न चर्चा से उभरे मुद्दों के समाधान के लिये इस अभियान के अन्तर्गत जो रणनीतियाँ अपनाई जायेगी उनका वर्णन निम्नवत हैं–

	समस्यायें	रणनीतियाँ
(अ)	**शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी**	
	1– सामाजिक एवम् आर्थिक पिछड़ापन	जनपद में मलिन बस्तियों एवम् जनजाति क्षेत्र की महिलाओं में समाजिक चेतना जागृत करने तथा बच्चों एंव उनके माता पिता,अभिभावकों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन हेतु महिला मँगल दल, महिला सशक्तिीकरण,कला जत्था, जनसम्पर्क आदि का क्रियावयन ग्राम शिक्षा समितियों

	एवम् जागरूक नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।
2–जनपद में असेवित बस्तियों मे विद्यालय का अभाव	जनपद में ऐसी असेवित बस्तियाँ जहाँ की आबादी 200 या इससे अधिक है तथा 1 कि0मी0 की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं,वहाँ पर विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा।ऐसे ग्राम व बस्ती जहाँ पर 6–11 वय वर्ग के 20 बच्चे उपलब्ध हैं, वहाँ पर ई0जी0एस0 खोले जाएगें तथा ड्राप आउट होने वाले बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्र खोले जाएगें।
3–शिक्षा की उपादेयता का संदिग्ध होना।	जनपद की मलिन बस्तियों तथा जनजाति क्षेत्रों की बस्तियों के लोगों के लिए व्यवसाय या धन कमाना,शिक्षा के अपेक्षाकृत प्रमुख है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपादेयता पर लगे प्रश्नचिन्ह के समाधान के लिए उ0प्रा0 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा,जिससे बच्चों में आत्मनिभरता का विकास हो सके तथा उनका आर्थिक पिछडापन

भी दूर होसके। विशेषकर बालिकाओं के लिए कढाई,बुनाई, सिलाई, चटाई निर्माण, झाड़ू निर्माण, टोकरी निर्माण, मोमबत्ति बनाना, जूस, चटनी ,अचार, जैली बनाना आदि सिखाने का प्राविधान किया जाएगा।

4–जनपद में निजी(पब्लिक,मोन्टेसरी) विद्यालयों के प्रति आर्कषण।

इस जनपद में अभिभावक अपने बच्चों को अधिक शुल्क अदा करके अंग्रेजी स्कूल में पढाना अपने सामाजिक स्तर का प्रतीक मानते हैं। जनपद के सभी परिषदीय तथा मान्यताप्राप्त विद्यालयों की भौतिक आवश्यकताओं जैसे कक्षा–कक्ष, शौचाजय,पेयजल,चाहरदीवारी,सा ज–सज्जा आदि की उपलब्धता करायी जाएगी। नगर क्षेत्र देहरादून में 10 प्रा0वि0 को एवम् दो उ0प्रा0वि0 को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा अध्यापक/अभिभावक संघ की सहभागिता से मेज–कुर्सी,कम्प्यूटर आदि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी

	तथा कक्षा 1 से अंग्रेजी का शिक्षण कराया जाएगा। अध्यापक–अभिभावक संघ के प्रस्तावनुसार अतिरिक्त शुल्क का प्राविधान किया जाएगा।
ब:– नामांकन सम्बन्धी समस्या	
1–अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि।	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रूचि जागृत करने के लिए माह जुलाई में प्रथम 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान, जनसम्पर्क, अभिभावक गोष्ठी, नुक्कड़नाटक आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
2–भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले एवम् जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध	जनपद के चकराता, कालसी एवम् रायपुर विकास खण्ड के पर्वतीय भाग के ऐसे बस्तियों/मजरों में जहाँ भौगोलिक अवरोध के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं हो पाते हैं वहाँ मानक के अनुसार ई.जी.एस. व ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेगें तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ें जायेगें।

3. अध्यापकों का समुदाय से अलगाव।	अध्यापक एंव समुदाय में पारस्परिक सद्भावना जागृत करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति को सकिय बनाया जाएगा। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा लक्ष्य क्षेत्र में अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। महिला अध्यापिका द्वारा ग्राम या बस्ती की महिलाओं से संपर्क किया जाएगा तथा उन्हें शिक्षा के गुणों के बारे में बताया जाएगा।
4.अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति रूचि में कमी	बालक को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है तथा बालिका को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है इस संदेश के द्वारा जनपद में सेमिनार,गोष्ठी एंव फौकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।
5 विद्यालय के कियाकलापों के प्रति बच्चों की अरूचि	कक्षा शिक्षण को रूचिपूर्ण बनाने के लिए आकर्षक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण रिया जाएगा

	तथा शिक्षकों को रूचिपूर्ण शिक्षण विधाओं का कक्षा शिक्षण में योग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
(स) ठहराव	
1–विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना	जनपद के प्रा0वि0 एवम् उवप्रा0वि0 के विद्यालय भवन के अग्रभाग पर तथा कक्षा–कक्ष की दीवारों पर नैतिक वचन एवम् सूक्तियों को लिखवाया जायेगा । कक्षा कक्ष का आन्तरिक सौन्दीकरण किया जायेगा जो सहायक शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित होगा । विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण एवम् पुष्प वाटिका की व्यवस्था की जायेगी जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा।
2. अभिभावकों द्वारा बच्चों की अन्य सुविधाओं को अधिक महत्व देना	शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए अभिभावकों को गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा तथा शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।

3. अध्यापकों द्वारा अपने विभाग के साथ साथ अन्य शासकीय / विभागीय कार्यो का निष्पादन करना।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य कराए जाए। पठन–पाठन के लिए निर्धारित समय का पूर्ण उपयोग की स्थिति बनाई जायेगी।
4. विद्यालयों में फर्नीचर उपकरण एवम् पेयजल, शौचालय विद्युतीकरण,चाहरदीवारी का अभाव	विद्यालयों में शिक्षकों के सापेक्ष एवम् कुर्सी मेज व्यवस्था बच्चों को बैठने हेतु टाट पट्टी तथा शिक्षण कार्यो में सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे विद्यालय जो विधुतीकृत ग्रामों मे स्थिति है, वहाँ विधुतीकरण की व्यवस्था की जायेगी तथा चाहरदीवारी, पेयजल एवम् शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति की सहायता ली जाएगी।

द. गुणवत्ता सम्बन्धी

1. ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी एंव सदस्यों को दायित्वों की जानकारी न होना। के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा अपने ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिसमे भवननिर्माण रखरखाव , नामांकन एंव ठहराव सम्बन्धी सम्बन्धी कार्यो में सम्बन्धी कार्यो में गुणवत्ता प्रदान करने की जानकारी दी जाएगी।

	मस्तिष्क में अध्यापक की छवि सकारात्मक आत्मीय एवम् प्रभावी हो इसके लिए अभिप्रेरण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
5. विद्यालय,शिक्षक एंव विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का न होना।	प्राथमिक स्तर पर बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी।
6. उपयुक्त निरीक्षण का अभाव	जनपद के निरीक्षक वर्ग के लिए नियोजन एवम् प्रबन्धन तथा एम0आई0एस0 से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
7.. विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव	विद्यालय अनुदान तथा शिखक अनुदान के उपयोग से कक्षावार तथा विषय वस्तु पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करवाया जाएगा।

य. संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी

1.जनपद में संसाधन केन्द्रों का अभाव	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में 6 बी0आर0सी0, 01 एन0आर0सी0 तथा 88 सी0आर0सी0 की स्थापना/निर्माण किया जाएगा।

उपरोक्त समस्याओं के अलावा जनपद में भविष्य में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाएगी तथा उनके समाधान के लिए रण्नीति बनाई जाएगी।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार

(6.1) नवीन विद्यालय :

जनपद देहरादून की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ ऐसे क्षेत्र भी है, जिन ग्रामों बस्तियों में विद्यालय की सुविधा नहीं है। यहाँ पर रह रहे बच्चे अपनें शारीरिक एवं भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते है। इन बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था कर नामांकन बढ़ाया जायेगा! यह जनपद प्रथम बार परियोजना से आच्छादित हो रहा है। विभागीय सर्वेक्षण के माध्यम से कतिपय असेवित बस्तियाँ उभर कर सामने आयी है। चूंकि सर्वशिक्षा अभियान की मंशा वर्ष 2003 तक समस्त बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की है अतः अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य को, एक वर्षीय योजना में पूर्ण कराने पर विशेष बल दिया जायेगा, ताकि 2003 तक शत् प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकें। असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव आगे सारिणी में दर्शाये गये हैं।

(6.2) निर्माण की प्रक्रिया

- माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित बस्तियों मे आवश्यकतानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया जायेगा।
- स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जाएगी।
- स्थल चयन के उपरान्त ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।
- विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एवम् प्रधानध्यापक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें । धन का हिसाब प्रधानाध्यापक के पास रहेगा ।
- धनराशि ग्राम प्रधान के पास पहुँच जाने पर निर्माण कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा इस आशय का शपथ प्रमाणपत्र, निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जाएगा।
- निर्माण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए विद्यालय के सूचना पट्ट पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान एवम् खर्च का स्पष्ट विवरण लिखकर प्रदर्शित किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को अबाध गति प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अनुश्रवण कराने की व्यवस्था की जाएगी ।

(6.3) नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

एक वर्षीय योजना में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2002–03

सारिणी 6–1 विकासखण्ड वार/नगर क्षेत्र वार

क्र0सं0	विकासखण्ड/नगरक्षेत्र	असेवित बस्तियां	प्रस्तावित नये प्राथमिक विद्यालय
1.	चकराता	31	02
2.	कालसी	28	02
3.	विकास नगर	27	04
4.	सहसपुर	24	02
5.	डोईवाला	28	0
6.	रायपुर	26	02
7.	देहरादून न0 क्षे0	–	–
8.	मसूरी न0क्षे0	–	–
9.	ऋषिकेश	–	–
	योग	164	12

इस जनपद में 164 असेवित बस्तियों में 6–11 वय वग्र के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के पहुँच से बाहर है 11 कि0मी0 के दायरे में 2 से 5 बस्तियाँ है, जहाँ पर मानक के अनुसार 200 की जनसंख्या एवम् 6–11 वय वर्ग के बच्चों की ुल संख्या–40 उपलब्ध है। नवीन विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे ग्रामों एवम् बस्तियों में स्थापित होगें, जो अत्यधिक दुर्गम एवम् पिछडें है तथा जिन बस्तियों में अनु0 जाति, जनजाति की संख्या अधिक है। इस तरह विकास खण्ड चकराता में 02, कालसी में 02, विकास नगर में 04, सहसपुर 02, तथा रायपुर में 02 नवीन प्राथमिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया गया है। असेवित ग्रामों बस्तियों के माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ग्राम प्रधान से भूमि का प्रसाव प्राप्त किया जायेगा। इन नवीन विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक एवं एक शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

(6.4) नयें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :

- जनपद में कुल परिषदीय प्राथमि विद्यालयों की संख्या – 831 है।
- 2.1 के मानक के अनुसार उ0प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता – 415 है।
- वर्तमान में जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 197 है।
- हाई स्कूल एवम् इण्टर कालेजों की संख्या जिसमें 6 सक 8 तक के बच्चे अध्ययन करते है – 74 है।

इस तरह जनपद में कुल 144 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। एक वर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में, 06 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। विकास खण्ड चकराता में 01, विकासनगर में 01, सहसपुर में 01, रायपुर में 02, तथा देहरादून नगर क्षेत्र में 01, उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। असेवित बस्तियों की माइक्रोप्लानिंग कर ग्राम प्रधान तथा नगर क्षेत्र में सभासद से भवन निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जायेगा। इन निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जायेगा। इन नवीन विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा 03 सहायक अध्यापकों की नियक्ति की जायेगी।

(6.5) शिक्षकों की नियुक्ति :

प्राथमिक विद्यालयों में 40:1 के अनुपात में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षकों की अनिवार्यतः तैनाती की जायेगी। वर्ष 2002–03 में प्रस्तावित 12 नवीन प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षकों की अनिवार्यतः तैनाती की जायेगी। वर्ष 2002–03 में प्रस्तावित 12 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में एक–एक नियमित अध्यापक तथा एक–एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा 6 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक में 03 शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, ये शिक्षक विभागीय प्रोन्नत के आधार पर नियुक्त होंगे। प्रोन्नत के फलतः रिक्त पदों पर शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही दशम् वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत संचालित 8 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें पद स्वीकृत/सृजित नही है, में 24 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी।

(6.6) शिक्षण अधिगम उपकरण (टी0एल0ई0) :

जनपद में 12 प्राथमिक विद्यालयों एवं 6 उच्च प्राथमिकं विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत टी0एल0ई0 हेतु वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में प्रस्तावित कियाा गया है। इन विद्यालयों को आपरेशन ब्लेकबोर्ड के अन्तर्गत किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नही हो पाया था। टी0एल0ई0 का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय में महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम उपकरण क्रय करने तथा विज्ञान प्रयोगशाला की सामग्री हेतु किया जायेगा।

अध्याय –7
"ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम"

(7.1) अतिरिक्त कक्षा–कक्ष :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार छात्र नामांकन के सापेक्ष कक्षा–कक्ष की कमी है। प्राथमिक विद्यालयों में 17 विद्यालय एक कक्षीय है तथा शेष 45 विद्यालयों में छात्र नामांकन क सापेक्ष अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 03 विद्यालय दो कक्षीय है, 11 विद्यालय तीन कक्षीय है, तथा 24 विद्यालयों में छात्र नामांकन के सापेक्ष अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की आवश्यकता हैं वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में 40 प्राथमिक विद्यालयों तथा 28 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण के लिये भूमि के चिन्हीकरण का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

(7.2) शौचालय निर्माण :

इस जनपद में कुल 392 प्राथमिक विद्यालयों तथा 149 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण की आवश्यकता है। वर्ष 2001–02 की कार्ययोजना के अनुसार 30 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निमार्ण की आवश्यकता है। वर्ष 2001–02 की कार्ययोजना के अनुसार 30 प्राथमिक विद्यालयों तथा 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें से 15 प्राथमिक विद्यालयों तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु बजट का आवंटन किया जा चुका है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में 30 प्राथमिक विद्यालयों तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। शौचालय निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त किया जायेगा।

(7.3) पुनः निर्माण :

इस जनपद में 221 प्राथमिक विद्यालयों तथा 60 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवनों के पुनः निर्माण की आवश्यकता है। वर्ष 2001–02 की कार्ययोजनानुसार 15 प्राथमिक विद्यालयों तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनः निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। जिसमें से 12 प्राथमिक विद्यालयों तथा 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनः निर्माण हेतु धन का आवंटन किया जा चुका है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में 10 प्राथमिक विद्यालयों एवं 06 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवनों के पुनः निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया है।

(7.4) पेयजल सुविधा :

जनपद में कुल 422 प्राथमिक विद्यालयों तथा 75 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की आवश्यकता है। वर्ष 2001–02 की कार्ययोजनानुसार 25 प्राथमिक विद्यालयों तथा 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा पेयजल सुविधा की स्वीकृति प्रदत्त की गयी है, जिसमें से 23 प्राथमिक विद्यालयों तथा 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु धन का आवंटन भी किया जा चुका है। वर्ष 2002–03 को कार्ययोजना एंव बजट में 50 प्राथमिक विद्यालयों तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु प्रस्ताव किया गया है।

(7.5) मरम्मत एवं रख रखाव :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के 831 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, 210 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 50 राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट कालेजों के लिये 5 हजार प्राते विद्यालय की दर से मरम्मत एवं रखरखाव हेतु धनराशि का प्रस्ताव वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में किया गया हैं।

(7.6) विद्यालय विकास अनुदान :

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 847 363 प्राथमिक विद्यालयों (हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेजों सहित) में रू0 2000/– प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय विकास अनुदान का प्रस्ताव किया गया है।

(7.7) चाहरदीवारी निर्माण :

वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में 15 प्राथमिक विद्यालयों तथा 06 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। चाहरदीवारी निर्माण हेतु ग्राम शिक्षा समिति का प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा।

(7.8) आंगनवाड़ी केन्द्रों का समन्वयन :

जनपद में कुल 453 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 358 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 20 से अधिक तथा 95 केन्द्रों में 20 से कम छात्र है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में 100 आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ समन्वयन किया जायेगा।

इसके अन्तर्गत इन्हीं केन्द्रों के लिये रू0 5000 /– प्रति केन्द्र शिक्षण अधिगम सामग्री के लिये, रू0 275/ – प्रति अनुदेशक तथा रू0 125/ – प्रति सेविका अतिरिक्त मानदेय, रू0 1500/ – प्रति केन्द्र आकस्मिक व्यय तथा रू0 1200/– प्रति अनुदेशक प्रशिक्षण हेतु बजट वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

(7.9) सामुदायिक सक्रियता हेतु कार्यक्रम:

इस जनपद में प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के 8 सदस्यों के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में किया गया है। इस तरह कुल 1041 सदस्यों को शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

(7.10) एम0सी0डी0ए0 (माडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच)

जनपद के न्याय पंचायत स्तर पर एक–एक गाँव को "पायलट" के रूप में चयनित किया जायेगा। यह गाँ पिछड़े क्षेत्र का होगा जहाँ महिला साक्षरता दर तथा 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का नामांकन दर न्यून होगा। पायलट गाँव की साक्षरता या शिक्षित बालिकाओं का "बालिका शिक्षा समूह" को उसी न्याय पंचायत के अन्य गाँव की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी, प्रभातफेरी अभिप्रेरण कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस समूह द्वारा सम्बन्धित न्याय पंचायत के गाँवों/बस्तियों की बालिकाओं का शत् प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबन्धन समिति तथा गाँव के जागरूक लोगों की मदद ली जायेगी। पायल गाँव में माँ बेटी मेला, मीनाकम्पेन तथा ग्राम शिक्षा शिविर का आयोजन किया जायेगा। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बज में दो न्याय–पंचायतों के लिये प्रस्ताव किया गया है।

(7–11) एस0यू0पी0डबलू फार गर्ल्स:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2002–0 की कार्ययोजना में 20 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के अन्तर्गत कियाकलापों एवं बजट प्रस्ताव किया गया हैं इन चयनित 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तथा फल संरक्षण के कार्यक्र सम्पादित किये जायेंगे।

(7–12) ऋषिवैली पैटर्न पर आधारित शैक्षिक नवाचार :

जनपद में वर्ष 2001–02 के विभागीय आँकड़ों के अनुसार 129 एकल अध्यापकीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में लगभग 25 से 80 या 100 तक छात्र संख्या है। विशेष रूप सें एकल अध्यापकीय विद्यालय जनपद के पर्वतीय क्षेत्र चकराता, कालसी तथा रायपुर विकासखण्ड में स्थिति है। प्रारम्भ में जनपद के 20 प्राथमिक विद्यालयों में ऋषिवैली विद्या पर आधारित प्रयोग सम्पन्न किया जायेगा, तदुपरान्त जनपद में आवश्यकता आधारित विद्यालयों को आच्छादित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत निम्नवत कियाकलाप प्रस्तावित है।

1. ऋषिवैली (आन्ध्रप्रदेश) तथा नलीकली (कर्नाटक) का एक्सपोजर विजिट।
2. जनपद स्तर पर क्षमता विकास।
3. संकुल स्तर पर क्षमता विकास।
4. शिक्षक सबलीकरण।
5. सामग्री विकास एवं निर्माण
6. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।
7. प्रबन्धन।

(7–13) विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा :

जनपद में द्वीतीयक विभागीय आँकड़ों (2000–01) के अनुसार विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित 368 बच्चे है। जिनके लिये रू0 1200 /– प्रति बच्चे की दर से विभिन्न प्रकार के आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। विकलांगता की पहचान हेतु संकुल तथा विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये शिक्षक संवेदीकरण/ प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। वर्ष 2002–03 में ऐसे बच्च के लिये कार्यक्रम एवं बजट का प्रस्ताव किया गया है।

(7–14) बालिका शिक्षा संवेदीकरण कार्यक्रम :

जनपद में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में शिक्षकों ए0वी0एस0ए0/एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 स्टाफ के लिये 3 दिवसीय बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

सारिणी 6.(अ)

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता

क्र0स	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	बी0आर0सी	सी0आर0सी	अतिरिक्त कक्ष	चाहरदीवारी	भवन की आवश्यकता (पुनःनिर्माण)		पेयजल की आवश्यकता		शौचालय की आवश्यकता	
		2002– 03 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002– 03 प्रस्तावित
1	चकराता	01	02	02	02	46	02	106	08	85	04
2	कालसी	00	02	02	02	50	02	101	08	88	04
3	विकासनगर	00	01	08	02	22	01	48	07	42	04
4	सहसपुर	00	01	08	02	25	01	54	07	55	04
5	रायपुर	00	01	08	02	40	01	47	07	39	04
6	डोईवाला	01	01	08	02	22	01	52	07	55	04
7	न0क्षे0दे0दून	00	01	02	01	10	01	06	02	06	02
8	न0क्षे0मसूरी	00	00	01	01	2	00	04	02	12	02
9	न0क्षे0 ऋषिकेश	00	01	01	01	4	01	04	02	10	02
	योग	02	10	40	15	221	10	422	50	392	30

सारिणी 6.(ब)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता

क0स	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	अतिरिक्त कक्ष		चाहरदीवारी		भवन की आवश्यकता (पुनःनिर्माण)		पेयजल की आवश्यकता		शौचालय की आवश्यकता	
		2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2002–03 प्रस्तावित
1	चकराता	03	03	24	01	14	01	12	02	21	02
2	कालसी	02	03	16	01	12	01	10	02	22	02
3	विकासनगर	09	05	25	01	4	01	12	02	11	02
4	सहसपुर	10	05	29	01	9	01	11	02	8	02
5	रायपुर	09	05	16	01	10	01	8	02	19	02
6	डोईवाला	07	05	26	01	10	01	7	02	7	02
7	हा0/इ0 से	.	.	.	.	सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	0	12	00	37	00
7	न0क्षे0दे0दून	03	02	01	00	1	0	3	01	22	01
8	न0क्षे0मसूरी	.	00	.	.	0	0	0	01	1	01
9	न0क्षे0ऋषिकेश	.	00	.	.	0	0	0	01	1	01
	योग	43	28	137	06	60	06	75	15	149	15

अध्याय –8
" गुणवत्ता विकास के लिये कार्यक्रम "

8–1 प्रशिक्षण कार्यक्रम :

8–1–1 शिक्षा मित्रों का आधारभूत प्रशिक्षण :

जनपद में 12 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप 12 नये शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी। इन शिक्षा मित्रों के लिये नियुक्ति की जायेगी। इन शिक्षा मित्रों के लिये 30 दिन का आधार भूत प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा प्रशिक्षण हेतु संदर्भदाता एवं प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध है। 12 शिक्षा मित्रों के लिये प्रशिक्षण पैकेज की व्यवस्था भी जायेगी। प्रशिक्षण आवासीय होगा। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में रू0 70/ – प्रति प्रतिभागी की दर से बजट का प्रस्ताव किया गया है।

8–1–2 प्राथमिक शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण :

जनपद में कार्यरत 2009 प्राथमिक शिक्षकों के लिये 10 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण कार्याक्रम का आयोजन ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। जिन विकासखण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र या अन्य स्थल उपलब्ध नही होगें, उन विकासखण्ड के शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट में समपादित किया जायेगा। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में रू0 70/ –प्रति प्रतिभागी की दर से बजट का प्रस्ताव किया गया है।

8–1–3 उच्च प्राथमिक शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण :

जनपद में कार्यरत 1157 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में प्रस्ताव किया गया है। यह प्रशिक्षण बी0आर0सी0 पर सम्पादित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु रू0 70/– प्रति प्रतिभागी बजट का प्राविधान किया गया है।

8–1–4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये टी0एल0ई0 का प्राविधान :

जनपद के 80 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो आपरेशन ब्लैक बोंड से आच्छादित नही थे उन विद्यालयों को रू0 50 हजार की दर से टी0एल0ई0 का प्राविधान वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्तावित है।

8–1–5 शिक्षक अनुदान :

कक्षा–शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिये जनपद के 2009 प्राथमिक शिक्षकों तथा 1157 उच्च प्राथमिक शिक्षकों (प्रत्येक हाई स्कूल तथा इण्टर के तीन शिक्षक सहित) के लिये रू0 500/ – प्रति शिक्षक की दर से शिक्षण–अधिगम सामग्री निर्माण हेतु "शिक्षक अनुदान का प्रस्ताव वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में किया गया है।

8–1–6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक (परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त), हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज (राजकीय तथा मान्यता प्राप्त) में अध्ययनरत अनुसूचित, अनु0 जनजाति के बालकों तथा समस्त बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जायेगा।

वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) कुल 61837 बच्चों के लिये रू0 2339.2 हजार तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) कुल 27080 बच्चों के लिये रू0 4208.3 हजार का निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिये प्रस्ताव किया गया है। इस धनराशि में 10 प्रतिशत दुलान भी सम्भिलित है। ये पाठ्यपुस्तकें वर्ष 2003–04 में वितरित की जायेगी।

सारिणी 8–1–6(1)

अनु0जाति, अनु0 जनजाति तथा समस्त बालिकाएँ

कक्षा –1	कक्षा –2	कक्षा –3	कक्षा –4	कक्षा –5	कक्षा –6	कक्षा –7	कक्षा –8
15885	15572	11546	10145	8689	9729	9494	7857

योग (कक्षा –1 से 5 तक) 61837 (योग– कक्षा 6–8 तक) 27080

8.2 क्षमता विकास :

8–2–1 विकासखण्ड संसाधन केन्द्र :

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 07 बी0आर0सी0 की स्थापना हेतु वर्ष 2001–02 की कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति प्रदत्त की जा चुकी है। 2 बी0आर0सी0 की स्थापना हेतु बजट का आवंटन किया जा चुका है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में 2 बी0आर0सी0 की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया गया है। बी0आर0सी0 की क्षमता विकास हेतु 06 बी0आर0सी0 के लिये फर्नीचर तथा यात्रा –भत्ता देयक, आकस्मिक व्यय तथा टी0एल0एम0 हेतु प्रस्ताव किया गया है।

8–2–2 संकुल संसाधन केन्द्र :

जनपद में वर्ष 2001–02 की कार्ययोजनानुसार 88 संकुल संसाधन केन्द्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की जा चुकी है, जिसमें से 02 सी0आर0सी0 की स्थापना हेतु बजट भी आवंटित किया जा चुका है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में 10 सी0आर0सी0 की स्थापना तथा 88 सी0आर0सी0 समन्वयकों के वेतन, केन्द्रों के लिये फर्नीचर, आकस्मिक व्यय, टी–ए तथा टी0एल0एम0 हेतु प्रस्ताव किया गया है।

8–2–3 जिला परियोजना कार्यालय :

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान को गति प्रदान करने के लिये जिला परियोजना कार्यालय स्थापित है। इसके क्षमता विकास के लिये जिला परियोजना कार्यालय के स्टाफ, वेतन एवं साज–सज्जा की व्यवस्था हेतु वर्ष– 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्ताव किया गया है।

8–2–4 शोध, मल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण :

जनपद में 6–14 वय वर्ग के बच्चों के नामांकन में कमी ठहराव की समस्याओं एवं ड्राप आउट के कारणों के अध्ययन एवं समाधान के लिये तथा बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर की समानता एवं स्तरोन्नय हेतु शोध अध्ययन, क्रियात्मक शोध, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के कार्यक्रमों का प्रस्ताव वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नवत् क्रियाकलाप सम्पादित किये जायेंगे।

1. वर्ष 2002–03 में सूक्ष्म नियोजन एवं कोहार्ट विश्लेषण द्वारा नामांकन, धारण एवं ड्राप आउट के कारणों का अध्ययन किया जायेगा।

2. जनपद के 06 मकतव / मदरसों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इसके अन्तर्गत रू0 20 हजार प्रति मकतव / मदरसा का प्रस्ताव किया गया है।

3. बी0आर0सी0 तथा ए0बी0आर0सी0 समन्वयकों के लिये 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। यह प्रशिक्षण डायट में सम्पादित होगा। प्रशिक्षण में 18 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण पैकेज तथा संदर्भदाताओं की व्यवस्था एस0सी0ई0आर0टी0/एस0पी0ओ0 द्वारा किया जायेगा।

4. सी0आर0सी0 समन्वयकों के लिये 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण में 88 सी0आर0सी0 समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण पैकेज तथा संदर्भदाताओं की व्यवस्था एस0सी0ई0आर0टी0/एस0पी0ओ0 द्वारा किया जायेगा।

5. डायट संकाय सदस्यों बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 समन्वयको के लिये क्रियात्मक शोध , कार्यानुभव तथा मूल्यांकन सम्बन्धी 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य क्रम का आयोजन डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण पैकेज तथा संदर्भदाताओं की व्यवस्था एस0सी0ई0आर0टी0/एस0पी0ओ0 द्वारा की जायेगी।

6. प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण :

प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भदाताओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में विकासखण्डवार चार–चार प्राथमिक शिक्षकों का चयन किया जायेगा। इस तरह कुल 24 प्रतिभागियों को टी0ओ0टी0 का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण साहित्य की व्यवस्था एस0पी0ओ0 द्वारा की जायेगी।

7. उच्च प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण :

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भदाताओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन डायट में किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में विकासखण्डवार चार–चार प्रतिभागी जिनकी कुल संख्या 24 होगी, प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण पैकेज की व्यवस्था एस0पी0ओ0 द्वारा की जायेगी।

8. डायट के संकाय सदस्यों के लिये क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :

डायट संकाय सदस्यों के लिये 07 दिवसीय क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्तर पर किया जायेगा। प्रशिक्षण का आयोजन एस0सी0ई0आर0/एस0पी0ओ0 द्वारा किया जायेगा।

9. डायट के लिये शोध अध्ययन एवं क्रियात्मक शोध कार्यक्रम :

वर्ष 2002–03 में शोध अध्ययन एवं क्रियात्मक शोध हेतु निम्नवत शीर्षक प्रस्तावित है :–

(1) शोध अध्ययन :

1. ड्राप आउट अध्ययन
2. ग्राम शिक्षा समिति की सक्रिय सहभागिता कैसे हो ?

(11) क्रियात्मक शोध :

1. विद्यालय में बच्चों की कम उपस्थिति की समस्या।
2. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किए प्रकार सम्भव है ?
3. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उपाय।

10. जनपद के 07 बी0आर0सी0 ५र सी0आर0सी0 समन्वयकों के लिये माहवार संकुल के विद्यालयों में संचालित हो रहे कियाकलापों को गति प्रदान करने के लिये बैठक का आयोजन किया जायेगा।
11. जनपद के प्रत्येक सी0आर0सी0 (कुल 88 सी0आर0सी0) समन्वयकों द्वारा संकुल केन्द्र पर प्रधानाध्यापकों के लिये बैठक में शिक्षण कार्य, शिक्षण–अधिगम सामग्री, विद्यालय के विकास सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा की जायेगी।
12. जिला परियोजना कार्यालय में जनपद के बी0आर0सी0 समन्वयाकों के लिये माहवार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा।
13. जनपद के समस्त ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 समन्वयकों के लिये 5 दिवसीय प्रबन्धन का प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा।

अध्याय – 9

योजना क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की समपूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 – 2010 तक ही होगी । इस अवधि में 6 – 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस अवधि में प्रर्याप्त क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा इसमे व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिशचित हो सके। सक्ष्य समय पर समीक्षा और रणनितियों में परिर्वतन के लिये तत्पर रहना होगा। इसमे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा अध्यापकों एवम् छात्रों की उपस्थित सुनिशचित की जायेगी ।

(9.1) प्रबन्ध तंत्र

प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील एवम् लचीली प्रणाली के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की जायेगी। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली को स्थापित किया जायेगा। वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया गया है जो निम्नवत है:–

निर्णय कर्त्ता	प्रबन्ध तन्त्र	अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्य कारणी	राज्य परियोजन कार्यालय	एस.सी.ई.आर.टी.एवम् सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विधालय प्रधानाध्यापक/अध्यापिका	सी.आर.सी.

(9.2) ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम्य स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

- ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होगा ।
- ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापको मे से ज्येष्ठतम् अध्यापक सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।
- बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिमावक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे, सदस्य होगे।

अधिकार एवम् दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

- पंचायत क्षेत्र के स्कूलों का प्रशासन नियन्त्रण एवम् प्रबन्धन करना ।
- बेसिक स्कूलो में प्रचार प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
- बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिऐ आवश्यक समझें जायेंगे।
- पंचायत की सीमाओं के अंदर अनियमितताओं के लिये, बेसिक स्कूल के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के लिए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- बेसिक शिक्षा से संम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हे सौंपा जायें ।

कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए., महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जाऐगें । इन कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का कार्य एंवम् दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(9.3) क्षेत्र पंचायत समिति

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत समिति के दर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगा ।

क्षेत्र सहायक समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है:-

1. ब्लाक प्रमुख – अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान – सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् अध्यापक – सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करना तथा ग्राम पंचायत समिति एवम् जिला पंचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना है।

ब्लाक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन गया है इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य है –:

1. खण्ड विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
3. क्षेत्र पंचायत समिति की भी सदस्यता हो 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

4. क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति पिछड़े वर्ग का ग्राम प्रधान 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

5. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0 (1) – सदस्य

6. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 (1) – सदस्य

7. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य /सचिव

अधिकार एवम् दायित्व

इस कोर टीम का प्रमुख कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकास खण्ड होगा । विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण करना विधालयों शिक्षकों बच्चों एवम् ग्राम शिक्षा समितियो के बारें में सूचनाओं / आँकड़ो का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लाक स्तर पर संकलन, समन्वयकों के साथ बैठक का आयोजन करना, इस टीम के प्रमुख दायित्वों के रूप में संदर्भित है।

9.4 संकुल संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.)

जनपद की भौगेलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। एक संकुल केन्द्र से अधिकतम 12 विधालय सम्बद्ध होगें। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल समन्वयक की नियुक्ति की जाऐगी तथा इस केन्द्र पर वांछित शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेगे। संकुल संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

कार्य एवम् दायित्व

- संकुल केन्द्र से सम्बद्ध विधालयों का अकादमिक निरीक्षण करना ।
- अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्गित कठिनाईयों पर विचार विमर्श करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से, संकुल केन्द्रों से सम्बद्ध विधालयों में गुणवत्ता सुधार की दिशा में परिवेश निर्माण की योजना बनाना। संकुल स्तरीय सूचनाओं/ आँकड़ों का संकलन करना ।

(9.5) एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0 ए0 का गठन:

प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों मे एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0ए0 का गठन किय जायेगा। विद्यालयो में होने वालें शैक्षिक कार्यो, विद्यालयों में भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने में, विद्यालयो में होने वाले निर्माण कार्यो तथा विद्यालय स्तर पर अनुभूत समस्याओं कें निराकरण में यह संगठन सक्रिय भूमिका निभायेगें। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम0 टी0 ए0 का गठन किया जायेगा।

(9.6) ब्लाक संसाधन केन्द्र एवम् नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र

इस जनपद के सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवम् नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा। इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विधुतीकरण,कम्प्यूटर एवम् अन्य मूल भूत सुविधा से सुसज्जित किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । विकास खण्डों एवम् नगर क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवम् कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र में सह समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । समन्वयकों एवम् सहसमन्वयकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाऐगी।

कार्य एवम् दायित्व

- अध्यापकों के लिए अभीनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्कताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना।
- विधालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना नवीन विधियों एवम् सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना ।
- ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
- संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- ब्लाक स्तर पर अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटरीकृत आँकडें तैयार करना
- विधालय से सम्बन्धित आँकडों का संकलन जाँच एवम् विश्लेषण करना ।

- प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
- विकास खण्ड में संकुल एवम् विद्यालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाईयों तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एदम् डायट को अवगत कराना है।

(9.7) जनपद स्तरीय समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवम् रणनितियों के निर्धारण हेतु जिला स्तर पर, जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है –:

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
प्राचार्य/डायट	सदस्य
वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवम् लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर.ई.एस)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्लू.डी)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (अवकाश प्राप्त अधिकारी)	सदस्य
विश्व विद्यालय व महाविद्यालय से	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्ण माला क्रम से)	सदस्य

दो शिक्षक (राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार प्राप्त)

स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिला अधिकारी द्वार

जिला शिक्षा परियोजना के अधिकारी एवम् दायित्व

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी । सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुऐ इसे सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधि गुणवत्ता में सुधार एवम् जनसहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में मान्य होगें। प्रवेश,धारण, गुणवत्ता सम्बधी निर्माण की तकनीक के लिये समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के संरचना, संचालन एवम् जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा का होगा ।

(9.8) जिला बेसिक शिक्षा समिति

बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद् अधिनियम 1972 के अर्न्तगत गठित की गई है जिसका स्वरूप निम्नवत है –

जिला पंचायत अध्यक्ष

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)

जिला हरिजन कल्याण एवम् समाज कल्याण अधिकारी

जिला विधालय निरीक्षक

उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)

तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से

राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट

विधालय उप निरीक्षक (पदेन)

जो समिति का सहायक उप सचिव होगा

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी ।

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

2. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।

3. बेसिक स्कूल के विकास, प्रचार प्रसार एवम् सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

(9.9) प्रशासनिक तन्त्र

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवम् कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमे अभिकर्मियों के पद सृजित करतैनाती सुनिश्चित की जायेगी ।

1.	जिला परियोजना अधिकारी	पदेन– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
2.	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500 प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	04 (रू0 6500–10500) राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर
4.	सलाहकार	02 (रू 10000/– नियत वेतन प्रति पद) आवश्यकतानुसार
5	लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक	01 (रू0 5000–8000)
6.	लिपिक	01 (रू0 4000–6000)
7.	आशुलिपिक	01 (रू 5000–8000)
8.	कम्प्यूटर आपरेटर	01 (रू0 5000–8000)
9.	परिचारक	02 (रू0 2550–3200)

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें । जनपद में कार्यरत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।

(9.10) शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली (ई.एम.आई.एस.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण आकड़ों का संकलन एवम् विश्लेषण किया जायेगा । विधालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर आपरेटर ,प्रधानाध्यापक,संकुल समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने व संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाऐगी।

आँकड़ों का उपयोग

ई.एम.आई.एस. आँकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचक जैसे, जी.ई.आर., एन.ई.आर., ड्राप आउट दर, छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विधालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन सूचको का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा, ताकि बार बार सूचनाओं के संकलन में समय की बचत हो सके और कार्य के योजना की संरचना में तदनुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

आँकड़ों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में, शिक्षा गारंटी केन्द्र/ नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान में, एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्हीकरण में, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में, बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में, पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में, शिक्षकों के विवरण में विकलांग बच्चों के चिन्हीकरण तथा उन्हे उपलब्ध करायी गई सुविधा के बारे में, आंकड़ों, का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होगा।

(9.11) जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिऐ जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। वर्तमान में नवसृजित उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप इस संस्थान के भूमि एवम् भवन पर उत्तरांचल राज्य का सचिवालय स्थापित हो चुका है।सम्प्रति यह संस्थान स्पोर्टस कालेज रायपुर (देहरादून) के प्रशासनिक भवन में अस्थाई रूप से संचालित हो रहा है, इसके फलस्वरूप भौतिक सुविधाओं का अभाव है। सर्वशिक्षा अभियान की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए इसको सुदृढ़ किया जायेगा ।

इस योजना के अर्न्तगत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर, संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना, तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।

2. राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों कें सम्पर्क में रहना, तथा शिक्षा में नवाचार अभिनव प्रवृत्तियों अनुसंधानों, क्रियात्मक शोधों, शोध अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना,ताकि जिला स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके ।

3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।

4. जिला स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवम् उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।

5. जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण एवम् अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवम् नियन्त्रण करना ।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवम् अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. न्यूनमत अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये वेस लाइन सर्वे करना।

9. जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

10. शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शिक्षकों, समन्वयकों ई.सी.सी.ई., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, तथा निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12. शैक्षिक आँकड़ों (ई.एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

13. जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वित कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एवम् सांख्यिकी का प्रकाशन ।

(9.12) परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली

एम.आई.एस के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है, उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति सुनिश्चित करने वाले करकों की पहचान कर, प्रभावी कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा।

(9.13) निधि का प्रवाह – जिले की वार्षिक योजना एवम् बजट के आधार पर राज्य परियोजना द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण, अकादमिक,पर्यवेक्षण, अनुश्रवण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी ।इस संस्थान द्वारा गुणवत्ता के लिये बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी. को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ।निर्माण,वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वय सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तारित की जायगी।

जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त एवम् व्यय की धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि राज्य परियोजना द्वारा जिला परियोजना कार्यालय को तथा जिला परियोजना द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 को उपलब्ध करा दी जायेगी।

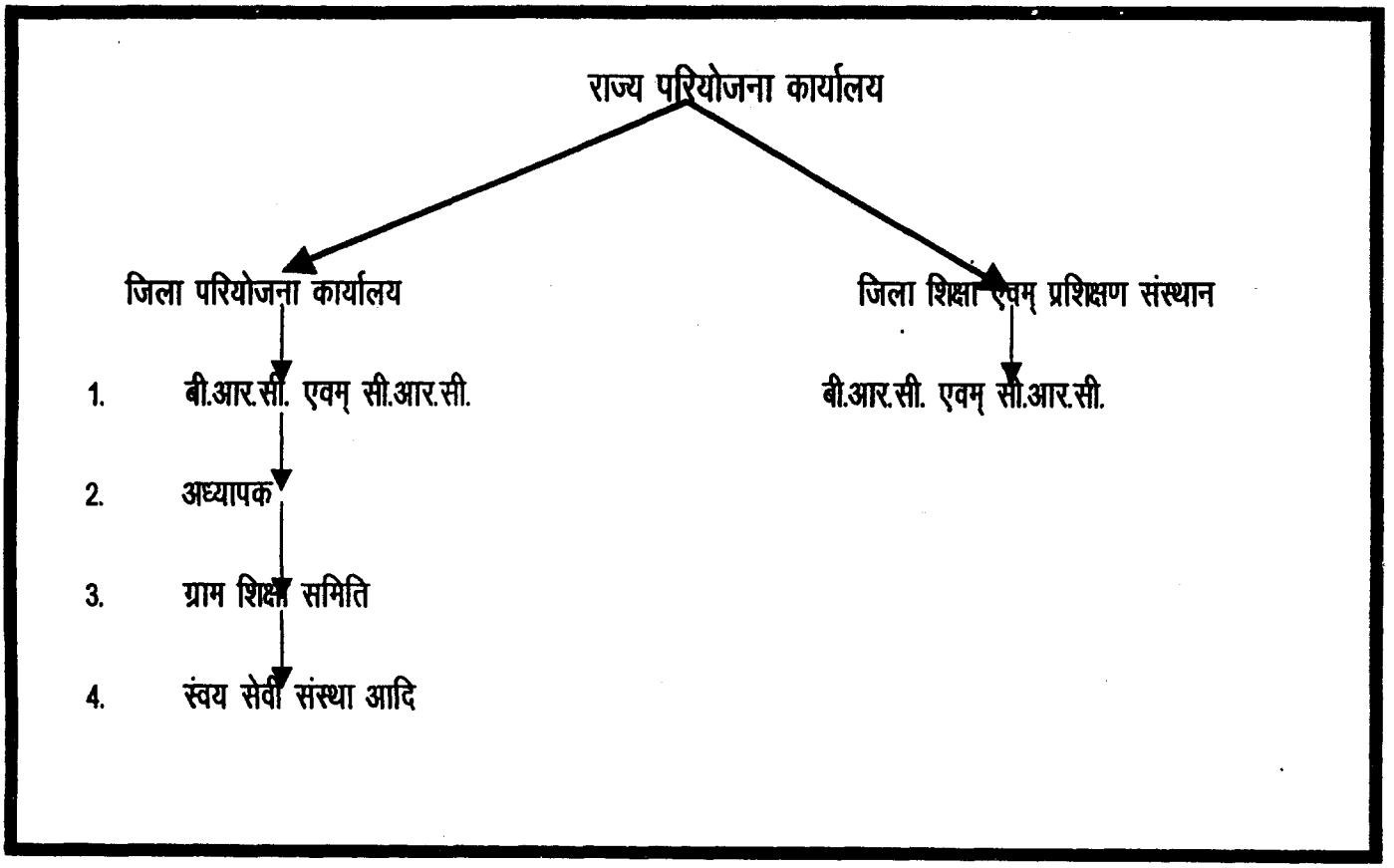
राज्य परियोजना कार्यालय
जिला परियोजना कार्यालय
जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान
1. बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी.
2. अध्यापक
3. ग्राम शिक्षा समिति
4. स्वय सेवी संस्था आदि
बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी.

अध्याय –10

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की स्वीकृत कार्ययोजना एवं बजट तथा आवंटन के सापेक्ष शेष जारी कार्यक्रम एवं बजट का उपयोग :

- माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 की स्वीकृत कार्ययोजना एवं बजट के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कार्यक्रम एवं बजट का उपयोग वर्ष 2003–03 में किया जायेगा।

- बजट का आवंटन शिक्षा की पहुँच में विस्तार, धारण क्षमता में विकास, गुणवत्ता सम्वर्द्धन तथा प्रबन्धकीय क्षमता के विकास सम्बन्धी विभिन्न मदों में आवंटित किया गया है।

- टेबल A; इस टेबल में प्रदर्शित समस्त कियाकलाप एवं बजट माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत–भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

- टेबल B; इस टेबल में प्रदर्शित समस्त कियाकलाप एवं बजट, टेबल A के कियाकलापों एवं बजट के अन्तर्गत आवंटित कियाकलाप एवं बजट है जिसका उपयोग आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over) द्वारा वर्ष 2002.–03 में किया जायेगा।

(अ) <u>शिक्षा की पहुँच का विस्तार</u>

<u>आवंटन के सापेक्ष जारी राशि **(spill over)** टी0एल0ई0–</u>

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 135 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये शिक्षण अधिगम उपकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये बजट का आवंटन किया गया है। अतः वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी कियाकलपों एवं बजट का उपयोग किया जायेगा।

(ब) <u>धारण:</u> आवंटन के सापेक्ष जारी राशि **(spill over)**

(1) <u>शौचालय निर्माण</u> : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अर्न्तगत 30 प्राथमिक विद्यालयों एवं 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण बजट का आवंटन किया गया है । वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी क्रियाकलाप एवं बजट का उपयोग किया जायेगा।

(2) **पुनःनिर्माण (Re-Construction)–**

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 15 प्राथमिक विद्यालयों एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनः निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसके सापेक्ष 12 प्राथमिक विद्यालयों एवं 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन पुनः निर्माण के लिये बजट का आवंटन किया गया है। वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कियाकलाप एवं बजट का उपयोग किया जायेगा। विद्यालय भवन पुनः निर्माण के अन्तर्गत शौचालय, पेयजल तथा चहारदीवारी निर्माण भी सम्मिलित है।

3. पेयजलः–

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 25 प्राथमिक विद्यालयों एवं 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी है, जिसके सापेक्ष 23 प्राथमिक विद्यालयों एवं 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था के लिये बजट का आवंटन किया गया है, इसका उपयोग वर्ष–2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कियाकलाप एवं बजट के अन्तर्गत किया जायेगा।

4. विद्यालय अनुदान :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 831 प्राथमिक विद्यालयों एवं 360 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय सुधार के लिये विद्यालय अनुदान हेतु भारत सरकार द्वारा बजट का आवंटन किया गया है। वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (spill over) कियाकलाप एवं बजट का उपयोग किया जायेगा।

" स्वीकृत परन्तु अनाबंटित कियाकलाप एवं बजट "

4. नवाचार :–

इस अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा संवेदीकरण के लिये 07 एम0सी0डी0ए0, 40 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के लिये शिक्षण–अधिगम सामग्री, अनुदेशकों एवं कार्यकर्त्रियों का मानदेय तथा कान्टीजेन्सी, 88 कलाजत्था– ग्राम्य स्तर, ब्लाकस्तर तथा जनपद स्तर पर तथा 200 व्यक्तियों के लिये 3 दिवसीय बालिका शिक्षा संवेदीकरण कार्यकम एवं बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। स्वीकृत कियाकलाप एवं बजट टेबल A में दर्शाया गया है, जिसका आवंटन नही हुआ है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में इन कार्यकमों के कियान्वयन हेतु प्रस्ताव है।

(स) <u>गुणवत्ता सम्वर्द्धन :-</u>

आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over)

(1) <u>निरीक्षक वर्ग के लिये प्रशिक्षण :-</u>

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 30 ए0बी0एस0ए0 तथा एस0डी0आई0 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। इस कार्यक्रम के लिये बजट भी आवंटित है, जिसका उपयोग वर्ष 2002-03 में आवंटन के सापेक्ष जारी शेष (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) <u>ए0ई0 तथा जे0ई0 के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> :-

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 07 ए0ई0 तथा जे0ई0 के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी है, जिसका उपयोग वर्ष 2002-03 में आवंटन के सापेक्ष जारी शेष (spill over) बजट के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) <u>शिक्षक अनुदान :-</u>

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के परिप्रेक्ष्य में 2032 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षको तथा 1115 उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिये शिक्षक अनुदान की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसका आवंटन प्राप्त हो चुका है, इसका उपयोग वर्ष 2002-03 में आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

4 <u>निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण :</u> सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 53415 बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिये बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। ये पाठ्यपुस्तकें राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के अनु0 जाति, अनुसुचित जनजाति के बालकों तथा समस्त बालिकाओं को वितरित की जानी है। अतः वर्ष 2002-03 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिये आवंटन के सापेक्ष जारी राशि (spill over) का उपयोग किया जायेगा।

5 <u>स्वीकृत किन्तु अनावंटित कियाकलाप एवं बजट :-</u>

शिक्षक- प्रशिक्षण - सर्व शिक्षा अभियन के अन्तर्गत दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 1908 प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवम् बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है,

परन्तु धन का आवंटन नही हुआ है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव है।

6 <u>शोध एवं मूल्यांकन :</u>

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 1091 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधार पर शोध एवं मूल्यांकन के लिये भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी है, परन्तु इसके लिये बजट का आवंटन नही किया गया है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में शोध एवं मूल्यांकन क्रियाकलापों के लिये प्रस्ताव है।

7. ग्राम शिक्षा समितियों एवं वार्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण

माह दिसंबर 2001 से मार्च 2000 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 3200 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं वार्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिये बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी है, परन्तु बजट का आवंटन नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट का प्रस्ताव है।

8 एक वर्षीय कार्ययोजना का पुनरावलोकन एवं कोर टीम का प्रशिक्षण :

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत एक वर्षीय कार्ययोजना का पुनरावलोकन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, परन्तु आवंटन नही हुआ है। वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बजट का प्रस्ताव है।

(द) <u>क्षमता विकास</u> : <u>आवंटन के सापेक्ष जारी राशि</u>

(1) <u>ब्लाक संसाधन केन्द्र :–</u>

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत जनपद के 07 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये फर्नीचर तथा 02 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसका आवंटन प्राप्त हो चुका है। इसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जमा राशि (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) संकुल संसाधन केन्द्र :–

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत जनपद में 88 सी0आर0सी0 के लिये फर्नीचर एवं 02 सी0आर0सी0 निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसका आवंटन प्राप्त हो चुका है। इसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जमा राशि (spill over) के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) जिला परियोजना कार्यालय :

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय की क्षमता विकास हेतु उपकरणों, फर्नीचर, टेलीफोन तथा फैक्स, एवं सूचना प्रबन्ध प्रणाली प्रकोष्ठ की स्थापना के लिये बजट का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग वर्ष 2002–03 में आवंटन के सापेक्ष जमा राशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(।।) स्वीकृत परन्तु अनावंटित कियाकलाप एवं बजट :–

1 ब्लाक संसाधन केन्द्र :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना एवं बजट के अन्तर्गत 109 बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 के समन्वयकों के 3 माह के वेतन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, परन्तु बजट का आवंटन नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना एवं बजट में समन्वयकों के वेतन का प्रस्ताव है। जनपद के 07 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये आकस्मिक व्यय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है, परन्तु बजट का आवंटन नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्य योजना एवं बजट में बी0आर0सी के लिये आकस्मिक व्यय हेतु प्रस्ताव है।

1 संकुल संसाधन केन्द्र : जनपद में 88 सी0आर0सी के लिये आकस्मिक व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी है, परन्तु बजट आवंटित नही हुआ है। अतः वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में सी0आर0सी0 के लिये आकस्मिक व्यय हेतु बजट का प्रस्ताव है।

2 जिला परियोजना कार्यालय :

माह दिसम्बर 2001 से मार्च 02 तक की कार्ययोजना में जिला परियोजना कार्यालय की क्षमता विकास के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 04 जिला समन्वयकों के वेतन, 01 कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन, 01 लेखाकार का वेतन, 01 लिपिक का वेतन यात्रा देयक, चौकीदार का वेतन, वाहन मरम्मत तथा पी0ओ0एल0, ए0ई0 तथा जे0ई0 का मानदेय, किराये का वाहन, आकस्मिक

व्यय, छपाई एवं वितरण/प्रपत्र निर्माण तथा कम्प्यूटर–सामग्री की स्वीकृति प्रदत्त की गयी है। परन्तु बजट का आवंटन नहीं हुआ है। इन मदों में बजट आवंटन हेतु वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में बजट का प्रस्ताव है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11905
Date 27-06-2005

TABLE- A :- LAST YEAR ACTIVITIES PROGRESS 2001-02

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	Physical Target	Last year sanctioned amount with spill over	Re-appropriated Amount	Revised Sanctioned Amount	Physical Achievement Till 31st Dec	Physical Achievement Till 31st march approx.	Expenditure Till 31st Dec	Expenditure Till 31st march approx.	Approx. Saving & Balancing Amount	Remark
A	ACCESS										
A1	TLE Grant for UPS	135	6750	-	-	-	-	-	-	6750	
	Sub Total -A									6750	
(R)	RETENTION										
R1	Toilets (PS)	30	450	-	-	-	-	-	-	450	
R2	Toilets (UPS)	20	300	-	-	-	-	-	-	300	
R3	Ree. Const of old PS	15	4125	-	-	-	-		-	4125	
R4	Ree. Const of old UPS	10	4000	-	-	-	-	-	-	4000	
R5	Drinking water PS	25	500							500	
R5	Drinking water UPS	20	600							600	
	Sub Total									9975	
3.1	School Improvement Grant PS	831	1662							1662	
3.2	School Improvement Grant UPS	360	720							720	
	Total									2382	
	Innovation										
4.1	MCDA including gender sensitisation	7	525							525	
4.2	ECCE TLM	40	200							200	
4.3	Addl.Honorarium (Inst. .250+ worker .125	40	15							15	
4.4	Contingency grant for ECCE	40	60							60	
4.5	Kala Jatha (VEC, Block Level& Dist. Level)	88	704							704	
4.6	Teacher/ABSA/BRC/CRC Trg. for gender										
	sensitisation 03 days	200	42							42	
	Sub Total									1546	
	TOTAL -R									13903	
(Q)	Quality Improvement										
1	PS Teacher training for 10 days in DIET	1908	1335.6							1335.6	
2	Research & Evaluation (monthly review meeting										
	CRC coordinators)	1091	1527.4							1527.4	
3	ABSA/SDI orientation 5 days	30	10.5							10.5	
4	Training of AE/JE 5 days	7	2.45							2.45	
5	AWP&B review & trg. of core planning team	1	15							15	
6	Orientation of VEC/Ward Committees										
	02 days 08 members	3200	192							192	
7	Teacher grant PS	2032	1016							1016	
8	Teacher grant UPS	1115	557.5							557.5	
	Mitra ,15 days										
9	Free text books for sc/st & girls	53415	8012.25							8012.25	
	Sub Total - Q									12668.7	
C	Block Resource Centre										
1	Salary of BRC/ABRC/CRC										
	coordinators for 3 months	109	2452.5							2452.5	
2	BRC construction	2	1200							1200	
3	Equipment/Furniture	7	350							350	
4	Contingency	7	87.5							87.5	
	Total									4090	
	School Complex(CRC)										
1	Construction	2	400							400	
2	Equipment/Furniture	88	880							880	
3	Contingency	88	220							220	
	Total									1500	

	District Project office										
	Staffing Coordinators 4 salary 03 months	4	120							120	
	Computer operator/Steno salary 03 months	1	21							21	
	Equipments	1	50							50	
	Chowkidar/Peon salary 03 months	2	18							18	
	Furniture & Fixtures	1	50							50	
	Salary of Clerk 03 months	1	21							21	
	Salary of Accountant 03 months	1	30							30	
	Travelling Allowances	1	50							50	
	Telephone/Fax	1	30							30	
	Vehicle maintenance & POL	1	50							50	
	Honorarium to JE/AE 02 months	7	14							14	
	Hiring of Vehicles	1	50							50	
	Contingency	1	50							50	
	Total									554	
C4 1	**MIS**										
1	MIS Cell Furnisning	1	50							50	
4	Printing &Distribution of Data formats	1	20							20	
6	Computer Consumables	1	25							25	
	Total									**95**	
	Sub Total (C)									**6239**	
	Grand Total									**39560.7**	

TABLE B :-SPILL OVER WORK PLAN FOR COMING NEXT YEAR 2002-03

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	Appropriate		Balance Continue (spill over) phy. target	Unit cost in thousand	Financial Expenditure for continue spill over	Implementing Agency& time period	Remarks
		Balance Phy. target	Balancing Amount					
A	ACCESS							
A1	TLE Grant for UPS	50	2500	2500	50	2500	VEC ,03 months	Money not released
	Sub Total -A					**2500**		in time
(R)	**RETENTION**							
R1	Toilets (PS)	30	450	450	15	450	VEC ,03 months	Money not released
R2	Toilets (UPS)	20	300	300	15	300	VEC ,03 months	in time
R3	Ree. Const of old PS	12	3300	3300	275	3300	VEC ,06 months	Money not released
R4	Ree. Const of old UPS	7	2800	2800	400	2800	VEC ,06 months	in time
R5	Drinking water PS	23	460	460	20	460	VEC ,03 months	Money not released
R5	Drinking water UPS	18	540	540	30	540	VEC ,03 months	in time
	Total					**7850**		
3.1	School Improvement Grant PS	831	1662	1662	2	1662	VEC ,02 months	Money not released
3.2	School Improvement Grant UPS	360	720	720	2	720	VEC ,02 months	in time
	Total					**2382**		
	SUB TOTAL					**10232**		
(Q)	**Qualily Improvement**							
3	ABSA/SDI orientation 5 days	30	10.5	10.5	0.07	10.5	DIET,JUNE	Money not released
4	Training of AE/JE 5 days	7	2.45	2.45	0.07	2.45	DPO,MAY	in time
7	Teacher grant PS	2032	1016	1016	0.5	1016	Teacher,01 month	Money not released
8	Teacher grant UPS	1115	557.5	557.5	0.5	557.5	Teacher,01 month	in time
9	Free text books for sc/st & girls	53415	3148.95	3148.95	0.05	3148.95	DPO ,JULY	Money not released
	Sub Total - Q					**4735.4**		in time
C	**Block Resource Centre**							
1	BRC construction	2	1200	1200	600	1200	CONST.AG.,06 MONTHS	Money not released
2	Furniture	7	350	350	50	350	BRG,JUNE	in time
	School Complex(CRC)							
1	Furniture	88	880	880	10	880	VEC,03 MONTHS	Money not released
2	Construction	2	400	400	200	400	VEC,06 MONTHS	in time
	District Project office							
	Equipments	1	50	50	50	50	DPO,03 MONTHS	Money not released
	Furniture & Fixtures	1	50	50	50	50	DPO,03 MONTHS	in time
	Telephone/Fax	1	30	30	30	30	DPO,03 MONTHS	Money not released
C4 1	MIS							in time
1	MIS Cell Furnisning	1	50	50	50	50	DPO,03 MONTHS	Money not released
	Sub Total (C)					**3010**		in time
	Grand Total					**20477.4**		

TABLE C :- PLAN FOR THE NEXT YEAR 2002-03

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	Unit Cost in 000,s	2002-2003		Time Schedule	Remarks
			Phy	Fin		
A	ACCESS					
1	New Primary School	275	12	3300	12 months	
2	New Upper Primary	400	6	2400	12 months	
3	Salary of PS Asstt.	8.5	12	816	08 months	
4	Salary of Teacher inN.UPS(AT)	10	18	1440	12 months	
5	TLE for new PS	10	12	120	6 months	
6	TLE for new UPS	50	6	300	6 months	
7	Honoranium/Salary of Para Teacher	2.75	12	264	08months	
	Sub Total(A)			**8640**		
(R)	RETENTION					
R1	Salary of UPS (AT 3no.s)	10	24	1920	08months	
R2	Additional Classrooms PS	70	40	2800	06 months	
R3	Additional Classrooms UPS	70	28	1960	06 months	
R4	Toilets (PS)	15	30	450	3 months	
R5	ToiletsUPS)	15	15	225	3 months	
R6	Rec of old PS	275	10	2750	9 months	
R7	Rec of old UPS	400	6	2400	9 months	
R8	Drinking Water (PS)	20	50	1000	3 months	
R9	Drinking Water (UPS)	20	15	300	3 months	
R10	Repair and Mainte.PS	5P.A/P.S	831	4155	1 months	
R11	Repair and Mainte.UPS	5P.A/P.S	260	1300	1 months	
R12	School Improvement Grant (PS)	2P.A/P.S	847	1694	1 months	
R13	School Improvement Grant (UPS)	2P.A/P.S	363	726	1 months	
R14	Boundary walls PS	40	15	600	3 months	
R15	Boundary wallsUPS	50	6	300	3 months	
R16	ICDS convergence (100 no.s)					
R17	TLM	5 per centre	100	500	2 months	
R18	Addl. Hono(.275+.125)(Inst.Worker)	.400 per centre	100	320	08 months	
R19	Contingency	1.5 per centre	100	150	12 months	
R20	Induction training of [redacted] Inst. 07 days	1.2	100	120		
R21	Community Mobolisation					
1	Trg of VEC/SMC 08 Members for 02 days	0.03P.p/day	1041	499.68	July	

2	MCDA for SC/ST cluster	75/cluster	2	150	2 months	
3	SUPW for girls	25	20	500	Aug	
4	Innovative Prog. Rishi valley pattern	1500	1	1500	12 months	
R22	Provision For disabled children	1.2 per child	368	441.6	12 months	
R23	Teacher/ABSA/BRC/CRC staff trg. for	0.07PP/day	200	42	12 months	
	gender sensitisation 03 days					
	SUB Total (B)			**26803.28**		
(Q)	**Qualily Improvement**					
	Training Programmes					
1	Ind. Training forPara Teacher, 30days	0.07per person	12	25.2	30 days	
		per day				
2	In service teachers trgPS 10 days at BRC	0.07per person	2009	1406.3	10 days	
		per day				
3	In service teachers trg UPS 10 days at BRC	0.07per person	1157	809.9	10 days	
		per day				
4	TLE for UPS [redacted].	50	80	4000	3 months	
5	Teacher Grant (PS)	0.5	2009	1004.5	1 month	
6	Teacher Grant (UPS)	0.5	1157	578.5	1 month	
7	Free text books to SC/ST	0.037/CHILD/year	61837	2339.2	3 months	
	children & Girls (PS)					
8	Free text books to SC/ST	0.155/CHILD/year	27080	4208.3	3 months	
	children & Girls (UPS)					
	SUB TOTAL (Q)			**14371.9**		
C	**CAPACITY BUILDING**					
C1	**DIET**					
1	POL	50	1	50	12 months	
2	Maintenance of Vehicle	30	1	30	12 months	
3	Contingency	20	1	20	12 months	
4	T.A	50	1	50	12 months	
	Total			**150**		
C2	**Block Resource Centre**					
1	Civil Construction	600	2	1200	10 months	
2	Salary Coordinator	12 per month	6	576	08 months	
3	Assitt. Coordinator	8.5 per month	12	816	12 months	
4	Furniture	100	6	600	3 months	
5	Travelling Allowance	6	6	36	12 months	

6	Contingency	12.5	6	75	12 months	
7	TLM	5	6	30	12 months	
	TOTAL			**3333**		
C3	**School Complex(CRC)**					
1	Construction	200	10	2000	6 months	
2	Salary Coodinator	8.5/MONTH	88	5984	08 months	
3	Furniture	10	88	880	3 months	
4	Contingency	2.5	88	220	12 months	
5	TA	2.4	88	211.2	12 months	
6	TLM	1	88	88	3 months	
	TOTAL			**9383.2**		
C4	**District Project office**					
1	Salary Coordinators 4no.s	12 per month	4	384	08 months	
2	Consultants 2 HONORARIUM	10 per month	2	160	08 months	
3	Computer operator SALARY	8.5 per momth	1	68	08 months	
4	Salary of AAO	12 per month	1	96	08 months	
5	Chowkidar/Peon SALARY.	5 per month	2	80	08 months	
6	Salary of steno/Clerk	7per month	1	56	08 months	
7	Salary of Accountant	8.5 per month	1	68	08 months	
8	Travelling Allowances	200	1	200	12 months	
9	Contingency	100	1	100	12 months	
10	Telephone/Fax bill charges	50	1	50	12 months	
11	Vehicle maintenance & POL	100	1	100	12 months	
12	Honorarium to JE/AE	6per BRC	6	36	12 months	
13	AWP&B review	10	1	10		
	RESEARCH, EVALUATION,SUPERVISION					
	& MONITORING					
1	Micro planning/Cohort	50	1	50	12 months	
2	Strengthening of Maktab/Madarsa	20	6	120	12 months	
3	Trg of BRC/ABRC coordinator 10 days	0.07PP/day	18	12.6		
4	Trg of CRC coordinator 10 days	0.07PP/day	88	61.6		
5	Action Research/work experience/Evaluation Trg.					
6	of DIET /BRC/CRC 05 days	0.07PP/day	126	44.1		
7	Trg. of resource person at DIET for PS inservice					
	trg. 10 days (TOT)	0.07PP/day	24	16.8		
8	Trg. of resource person at DIET for UPS inservice					

	trg. 10 days (TOT)	0.07PP/day	24	16.8		
9	Staff Development Trg. of DIET 07 days	0.03P.p/day	28	58.8		
10	Research/Action Research for DIET	50	1	50		
11	Monthly Review Meeting of CRC coord. At BRC	0.03	88	21.12		
12	Monthly Review Meeting at CRC	0.02	1210	193.6		
13	Monthly Review Meeting of BRC coord. At DPO	0.03	48	14.4		
14	ABSA/BRC/CRC coord. Trg. for management 05 days	0.07	109	38.5		
15	R.E.M.S at State/District/Block/Cluster level	0.823	1210	995.68		
	Total			**3102**		
	Sub Total (C)			**15968.2**		
	Grand Total			**65783.38**		

Table-D According to main Activities Expenses

Rs in thousands

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	AWPB Last year	Reappropriation	Revised Sanctioned Amount	Expressed of the last year till 31st march	Approximate Balance Amount	Approximate saving Amount	Spill over for next year	Fresh plan for 2002-03	Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	ACCESS									
A1	New PS Unserved							0	3300	3300
	New UPS Unserved								2400	2400
	Salary of PS Asstt.								816	816
	Salary of Teacher inN.UPS(AT)								1440	1440
	TLE for new PS								120	120
	TLE for new UPS								300	300
	Honorarium/salary of Para teacher								264	264
	Sub Total(A)	0	0	0	0	0	0	0	8640	8640
(R)	RETENTION									0
R1	Salary of UPS (AT 3no.s)								1920	1920
	Additional Classrooms PS								2800	2800
	Additional Classrooms UPS								1960	1960
R2	Toilets (PS)	450					450	450	450	900
	ToiletsUPS)	300					300	300	225	525
	Rec of old PS	4125					4125	3300	2750	6050
	Rec of old UPS	4000					4000	2800	2400	5200
R3	Drinking Water (PS)	500					500	460	1000	1460
	Drinking Water (UPS)	600					600	540	300	840
R4	Repair and Mainte.PS								4155	4155
	Repair and Mainte.UPS								1300	1300
R5	School Improvement Grant (PS)	1662					1662	1662	1694	3356
	School Improvement Grant (UPS)	720					720	720	726	1446
	Boundary walls PS								600	600
	Boundary wallsUPS								300	300
	INNOVATION									
R9	ICDS CONVERGENCE (100 no.s)									0
	TLM	200					200		500	500

1	Addl. Hono.(.275+.125) for Inst. & worker	15					15		320	320
2	Contingency	60					60		150	150
3	Induction Trg. for Instructor for 07 days								120	120
	Community Mobolisation									
1	Trg. of VEC/SMC 08 members 02 days	192					192		499.68	499.68
2	MCDA for SC/ST cluster	525					525		150	150
3	SUPW for girls								500	500
4	Innovative Prog. Rishi Valley Pattern								1500	1500
5	Provision for Disabled Children								441.6	441.6
6	Kala Jatha (VEC, Block Level& Dist. Level)	704					704		0	0
7	Teacher/ABSA/BRC/CRC staff trg. for	42					42		42	42
	gender sensitisation 03 days								0	0
	SUB Total (R)	**14095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14095**	**10232**	**26803.28**	**37035.28**
(Q)	**Qualily Improvement**									0
Q1	Training Programmes									0
1	Ind.Trg. for Para teachers, 30days								25.2	25.2
2	Trg. PS Assistant Teacher at BRC 10 days	1335.6					1335.6		1406.3	1406.3
3	In service teachers trainingUPS 10 days								809.9	809.9
4	TLE for UPS	6750					6750	2500	4000	6500
5	Teacher grant PS	1016					1016	1016	1004.5	2020.5
6	Teacher grant for UPS	557.5					557.5	557.5	578.5	1136
7	Free text book for SC/ST boys & all girls PS	8012.25					8012.25	3148.95	2339.2	5488.15
8	Free text book for SC/ST boys & all girls UPS								4208.3	4208.3
9	ABSA/SDI Training (5 days)	10.5					10.5	10.5		10.5
10	Training for AE & JE (5 days)	2.45					2.45	2.45		2.45
	SUB Total(Q)	**17684.3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17684.3**	**7235.4**	**14371.9**	**21607.3**
C1	**CAPACITY BUILDING**									
	DIET									
1	POL								50	50
2	Maintenance of Vehicle								30	30
3	Contingency								20	20
4	TA								50	50
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**

C2	**Block Resource Centre**									0
1	Civil Construction	1200					1200	1200	1200	2400
2	Salary Coordinator	157.5					157.5		576	576
3	Assitt. Coordinator	315					315		816	816
5	Furniture	350					350	350	600	950
6	Travelling Allowance								36	36
7	Contingency	87.5					87.5		75	75
8	TLM								30	30
	TOTAL	2110	0	0	0	0	2110	1550	3333	4883
C3	**School Complex(CRC)**									0
1	Construction	400					400	400	2000	2400
2	Salary Coodinator	1980					1980		5984	5984
3	Furniture	880					880	880	880	1760
5	Contingency	220					220		220	220
6	TA								211.2	211.2
7	TLM								88	88
	TOTAL	3480	0	0	0	0	3480	1280	9383.2	10663.2
C4	**District Project office**									0
1	Salary of AAO								96	96
2	Salary Coordinators 4	120					120		384	384
3	Consultants 2 Honorarium								160	160
4	Computer operator salary	21					21		68	68
5	Furniture	50					50	50		50
6	Chowkidar/Peon salary	18					18		80	80
7	Equipment	50					50	50		50
8	Salary of steno/Clerk	21					21		56	56
9	Salary of Accountant	30					30		68	68
10	Travelling Allowances	50					50		200	200
11	Consumables/Contingency	50					50		100	100
12	Telephone/Fax(connection/Bill charges)	30					30	30	50	80
13	Vehicle maintenance & POL	50					50		100	100
14	Honorarium to JE/AE	14					14		36	36
15	Hiring of Vehicles	50					50		0	0

16	AWP&B Review	15					15		10	10
	Research , Evaluation,Supervision &									0
	Monitoring									0
1	Micro Planning/Cohort								50	50
2	Strengthening of Maqtab/Madarasa								120	120
3	Trg. of BRC/ABRC coord. 10 days								12.6	12.6
4	Trg. of CRC coord. 10 days								61.6	61.6
5	Action Research/Work experience/Evaluation Trg of DIET/BRC/CRC 05 days								44.1	44.1
6	Trg. of Resource person at DIET for PS Inservice Trg. 10 days(TOT)								16.8	16.8
7	Trg. of Resource person at DIET for UPS Inservice Trg. 10 days(TOT)								16.8	16.8
8	Staff development trg. of DIET 07 days								58.8	58.8
9	Research/Action Research for DIET								50	50
10	Monthly review meeting of CRC coord. At BRC								21.12	21.12
11	Monthly review meeting at CRC								193.6	193.6
12	Monthly review meeting of BRC coord. At DPO								14.4	14.4
13	ABSA/ BRC/CRC coord. Trg for Management								38.5	38.5
14	REMS at State/District/Block/Cluster level	1527.4					1527.4		995.68	995.68
1	MIS Cell Furnisning	50					50	50		50
4	Printing &Distribution of Data formats	20					20			
6	Computer Consumables	25					25			0
	Total	**2191.4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2191.4**	**180**	**3132**	**3282**
										0
	Sub Total (c)	**7781.4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7781.4**	**3010**	**15968.2**	**18978.2**
										0
	Grand Total	**39560.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39560.7**	**20477.4**	**65783.38**	**86260.78**

TABLE-E SPILL OVER & SAVINGS OF YEAR 2001-02

Rs in thousands

S.No.	Heads/Sub HeadsActivity	Last year Sanctioned Plan Amt. 2001-02	Amt. released against Sanctioned 2001-02	Spill over 2001-02	Savings 2001-02	Remarks
	A					
A	ACCESS					
A1	New PS Unserved					
	New UPS Unserved					
	Salary of PS Asstt.					
	Salary of Teacher inN.UPS(AT)					
	TLE for new PS					
	TLE for new UPS					
	Furniture/Equipment new PS					
	Furniture/Equipment new UPS					
A2	TLE for EGS					
	TLE for AS					
	Contingency for EGS					
	Contingency for AS					
	EGS Honorarium of Instructor					
	AS Honorarium of Instructor					
A3	Micro planning/cohart					
A4	Back to school campaign					
A5	Bridge /Remedial course					
A6	Strengthening Maqtab/Madarasa					
	Sub Total(A)					
(R)	RETENTION					
R1	Salary of UPS (AT 3no.s)					
	Salary of addl.teacherPS					
	Additional Classrooms PS					
	Additional Classrooms UPS					
	Honorium of shiksha mitra					
R2	Toilets (PS)	450	450	450		
	ToiletsUPS)	300	300	300		
	Rec of old PS	4125	3300	3300		
	Rec of old UPS	4000	2800	2800		
	MAJOR REPAIRS (PS)					
	MAJOR REPAIRS (UPS)					
R3	Drinking Water (PS)	500	460	460		
	Drinking Water (UPS)	600	540	540		
R4	Repair and Mainte.PS					
	Repair and Mainte.UPS					
R5	School Improvement Grant (PS)	1662	1662	1662		
	School Improvement Grant (UPS)	720	720	720		
	Furniture for UPS students					
R6	Innovation Prog. upto max.					
	Rs. 50 lacsPromoting Girls Edu.					
	Boundary walls PS					
	Boundary wallsUPS					
	Summer Camps					
R7	MCDA incldg.Gender Senstization	525				
R8	SUPW for girls					

R9	Opening of ECCE centre in		
	non/CDs block		
1	Addl. classrooms for newECCE		
2	Strengthening ICDs Centres		
3	Development & Distribution of		
	ECCE Materials TLM for ICDS		
4	Civil Works (one additional room)		
5	TLM ECCE	200	
6	Addl. Hono.(.250+.125) (Inst.Worker)	15	
7	Contingency/Recurrent grant	60	
R10	Community Mobolisation		
1	MTA/PTA traning for 8 persons 1 day		
2	Kala Jatha (VEC, Block Level& Dist. Level)	704	
3	Development of Awareness material		
4	Bal Mela at CRC		
5	Production of Video Tapes		
6	Production of Audio Tapes		
8	Assist to NGOs for Comm.Moblisation		
R11	Award of Best VEC (2 No.)		
R12	Award for Best BRC		
R12	Award of Best Shiksha Mitras		
R13	Remedioal Teaching of SC/ST		
R14	Convrg.with A. Padhati sch. for SC&ST		
R15	Provision for Disabled Children		
R15	Comp. Edu. for UPS Composite school		
	Sch. Health Check Up (PS+UPS+HS+IC)		
	Book Bank & School Library PS+UPS		
	SSA Identity Cards		
	SUB Total (R)	**13861**	
(Q)	**Quality Improvement**		
Q1	Training Programmes		
1	Ind.Trg. for Shiksha Mitra, 30days		
2	Teacher Trg. PS Assistant Teacher	1335.6	
3	In service teachers trainingUPS 10 days		
4	Research &Evaluation monthly review	1527.4	
	meeting at CRC		
5	ABSA/SDI orient. Trg.		
6	Indue. trg of EGS/AIE worker.30 days		
7	Orient. course of Shiksha Mitra,20 days		
8	Trg for BRC/ABRC Coord.(10 days)		
9	CRC Coord.training (10 days)		
10	Action research/Evaluation/work		
	experience trg. of DIET/BRC/CRC 10 days		
11	Trg of res.persons PS at (DIET) (10 days)		
	Trg of res.persons UPS at (DIET)(10 days)		
12	Staff Dev.trg for DIETs (7 days)		
	ABSA/SDI . Trg. 5 DAYS	10.5	
14	Training for AE & JE (5 days)	2.45	
15	Tea.Trg Comp.(UPS)/DIET Faculty (20 days)		
16	Orientation of VECs/Ward	192	
	committee (2 days)8 members		
17	Training of RCI(IED)45days		
18	Tea. Orient.in IED (5 days)(RP for PS+UPS)		

19	&WPB Review and Training of core					
	planning Teams by SIEMAT (7 days)	15	15		15	
20	Trg .on EMIS for Distt.Planning teams 7days					
21	Trg. of ECCE+Aangawadi Instructor					
22	Trg. of ECCE+Aangawadi worker					
23	BRC/CRC/ABRC Trg for managenent					
24	Teachers ABSA/BRC/CRC Staff					
	training for Gender sensitisation (3 days)	42				
	Total	**3124.95**	**1155.35**	**12.95**	**1142.4**	
Q2	TLE for UPS for science lab.	6750	2500	2500		
1	Teacher Grant (PS)	1016	1016	1016		
2	Teacher Grant (UPS)	557.5	557.5	557.5		
3	Free text books SC/STchildren & Girls (PS)	8012.25	3148.95	3148.95		
	Free text books SC/STchildren & Girls (UPS)					
4	Supplementary Reading Material (PS)					
5	Supplementary Reading Material (UPS)					
6	Printing & Distribution of syllabus (PS+UPS)					
7	Print.& Distri. of Trg Modules (PS+UPS)					
8	Print.&Distri. of Trainers Guides (PS+UPS)					
9	Dev. Printg and Distri.of AS Trg. Modules					
10	School Awards					
11	Mobile Library					
	Librarian					
	Peon					
	Van Hiring					
	POL					
	Books					
	TOTAL	**16335.75**	**7222.45**	**7222.45**	**0**	
	SUB TOTAL	**19460.7**	**8377.8**	**7235.4**	**1142.4**	
C1	**DIET**					
1	Furniture					
2	Equipments (including audio visual)					
3	Computers Work Station					
4	Computer equipmenyts (1/faculty)					
5	Maintenance of Comp. Equip.					
6	POL					
7	Maintenance of Vehicle					
8	Research/Action Research					
9	Faculty Development					
10	Exposure visits					
11	Library					
12	Salary of computer Operator					
13	Consumable/Computer stationary					
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	
C2	**Block Resource Centre**					
1	Civil Construction	1200	1200	1200		
2	Salary Coordinator	157.5				
3	Assitt. Coordinator	315				
4	Chowkidar					
5	Equipment/Furniture	350	350	350		
6	Travelling Allowance					
7	Maint of Equipment					
8	Maint of Building					

9	Books					
10	Consumables					
11	Contingency	87.5				
12	Monthly Rev. Meeting of CRC Coordinators					
13	Equipments					
14	Honorarium for Librarian					
15	News papers& magzines					
	TOTAL	**2110**	**1550**	**1550**	**0**	
C3	**School Complex(CRC)**					
1	Construction	400	400	400		
2	Salary Coodinator	1980				
3	Equipment/Furniture	880	880	880		
4	Books For Library/Book Banks					
5	Contingency	220				
6	Monthly Review meeting at CRC					
7	Library equipments					
8	News papers& magzines					
	TOTAL	**3480**	**1280**	**1280**	**0**	
C4	**District Project office**					
	Salary of AAO*					
	Salary Coordinators 4	120				
	Consultants 2					
	Computer operator/Steno	21	21		21	
	Furniture	50	50	50		
	Chowkidar/Peon	18	18		18	
	Equipment	50	50	50		
	Salary of librarian/Clerk	21	21		21	
	Books					
	Salary of Accountant	30	30		30	
	Motor Cycle					
	Travelling Allowances	50				
	Consumables					
	Telephone/Fax(connection/Bill charges)	30	30	30		
	Vehicle maintenance & POL	50	50		50	
	Honorarium to JE/AE	14				
	Maintenance of Equipment					
	Hiring of Vehicles	50	50		50	
	Supervision & MonitoringPS+UPS					
	Contingency	50	50		50	
	Research & Evaluation					
	Total	**554**	**370**	**130**	**240**	
C4 1	MIS					
1	MIS Cell Furnisning	50	50	50		
2	Salary of Computer Operator					
3	MIS Equipments (where applicables)					
4	Printing &Distribution of Data formats	20				
5	Maintenance of equipments					
6	Computer Consumables	25	25		25	
	Total	**95**	**75**	**50**	**25**	
	Sub Total (c)	**6239**	**3275**	**3010**	**265**	
	Grand Total	**39560.7**	**21884.8**	**20477.4**	**1407.4**	

SUMMARY OF PROJECT COST

DISTRICT- DEHRADUN

Year 2002-03

HEAD	Cost	%
Access	8640	13.13
Retention	26803.28	40.75
Quality	14371.9	21.84
Capacity Building	15968.2	24.28
TOTAL	65783.38	100

Civil work	21685	32.96
Management Cost	3102	4.71
Programme Cost	40996.38	62.33
Total	65783.38	100

NIEPA DC
D11905
LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11905
Date 27-06-2003